हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

19 सितम्बर, 2006

खण्ड 3, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 19 सितम्बर, 2006

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	1—9
आई० जी० राजकीय महाविद्यालय, टोहाना के छात्रों का अभिनन्दन	9
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	9
वाक-आउट	24
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	24-31
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	31—59
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	
शाहबाद शहर मे हाल ही में हुए पीलिया/हैपेटाईटिस-ई के मामलों सम्बन्धी	59—61
बैठक का स्थगन	61—63
वक्तव्य—	
स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मामला सम्बन्धी	63—65
विशेष आर्थिक जोन की स्थापना सम्बन्धी मामला उठाना	65—76
अध्यक्ष द्वारा घोषणायें—	
(i) चेयरपर्सनज के नामों की सूची	76
(ii) राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए विधेयकों सम्बन्धी	77

मूल्य : 132

अनुपस्थिति की अनुमति
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना 77—81
सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज पत्र 81—83
शोक प्रस्ताव 83—85
अति-विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन 85
वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के अनुदानों तथा विनियोजनों से 85—86
अधिक मांगें प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान वर्ष 2006-2007 के लिए
अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना
एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना 86
वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक
मांगें और वर्ष 2006-2007 के लिए अनुपूरक अनुदान (प्रथम किस्त) पर
चर्चा तथा मतदान
विधान कार्य— 86—102
दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2006 102—106
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानतुर कलां बिल, 2006 107—108
बैठक का समय बढ़ाना
विधान कार्य— 108
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां
बिल, 2006 (पुनरारम्भ)
सदस्य का नाम लेना 108—109
विधान कार्य— 109
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां
बिल, 2006 (पुनरारम्भ)
बैठक का समय बढ़ाना 109—115
विधान कार्य— 115
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां
बिल, 2006 (पुनरारम्भ)
दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बिल, 2006 116—125
बैठक का समय बढ़ाना 126
वाक-आउट 127—131
दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बिल, 2006 (पुनरारम्भ) 131
बैठक का समय बढ़ाना 131
विधान कार्य— 131
दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बिल, 2006 (पुनरारम्भ) 132—136

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 19 सितम्बर, 2006

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में सुबह 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (डा० रघुबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Completion of Minors

***496. Shri Dharampal Singh Malik :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to complete the construction work of the following minors falling in Gohana constituency—

(a) 1. Construction of Ramgarh minor off taking from Khubru Head;

2. Curtailment of Bhainswal Distributary at RD 69027 and feeding of tail reach of Bhainswal Distributary from Katwal minor;

3. Constructing a new channel, off taking from BSB/Rithal Distributary and linking with tail reach of Lath minor; and

4. Repair of damaged linings and structure of Bhainswal Distributary; and

(b) if so, the time by which these are likely to be completed together with the expenditure to be incurred thereon ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) 1. Yes Sir.

2. No Sir.

3. No Sir.

4. Yes Sir.

(b) The work of construction of Ramgarh Minor is in progress and is likely to be completed by 31-3-2007 with total expenditure of Rs.1413.30 lacs.

The Project for rehabilitation of Bhainswal Distributary has been envisaged at a cost of Rs. 78.57 lacs. The work shall be completed within one year after necessary sanctions/departmental formalities etc.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय अध्यक्ष जी, गोहाना कांस्टीचुएंसी में जितनी भी माईनर्ज और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं, वे सब टेलों पर हैं और वहां पर पानी के थैफ्ट की बहुत भारी समस्या रहती है। अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने जाते वक्त चुनावों से पहले हरियाणा में करोड़ों पत्थर लगा दिए थे लेकिन उनके लिए न तो कोई जमीन ऐक्वायर की गई थी और न ही बजट में कोई प्रावधान किया गया था। हां, उन करोड़ों पत्थरों में से एक पत्थर हमारी रामगढ़ माईनर के हिस्से में आ गया था। लेकिन इस सरकार ने आते ही उसके लिए जमीन ऐक्वायर की और उसका शिलान्यास किया और आश्वासन दिया कि इसको जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवा दिया जाएगा। इसके लिए मैं मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जितनी भी माईनर्ज और डिस्ट्रीब्यूट्रीज़ हैं वहां पर पानी की बहुत थैफ्ट होती है और उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कैनाल में जो इरिगेशन के लिए पानी है उसके लिए सैक्शन 58 ऑफ दि हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज ऐक्ट के तहत कोगनीजेबल और नॉनबेलेबल ऑफैंस बनाने के बारे में सरकार की क्या कोई सोच है ? अगर इस किस्म की कोई पनिशमैंट होगी तो लोग पानी की चोरी करने से बाज आएंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह जो रामगढ़ माईनर है वहां पर पहले जो पानी आता था वह गोहाना में मूनक डिस्ट्रीब्यूटरी से आता था जो कि 54 किलोमीटर दूर है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार वहां पर केवल पत्थर ही लगा कर चली गई थी। उन्होंने न उसके लिए जमीन ऐक्वायर की थी और न ही उसके लिए बजट में पैसे का कोई प्रावधान किया था। लेकिन इस सरकार के आने के बाद अब मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमने उस माईनर के लिए खुबड्डू हैड से रामगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी का काम शुरू कर दिया है और यह वहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके कम्पलीट होने से उस क्षेत्र के किसानों के लिए इरिगेशन के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। यह जो इनका क्षेत्र पहले टेल पर पड़ता था अब हैड पर आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात इन्होंने जो पानी की चोरी वाली कही है इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चोरियां होती हैं क्योंकि किसान पानी की चोरी भी करते हैं लेकिन सरकार इस बारे में पैट्रोलिंग के लिए एक प्रपोजल बना रही है कि एक्स सर्विस मैन लोगों को इसके लिए डिप्यूट करें। इसके अलावा और भी कई प्रपोजल्ज पर सरकार कार्य कर रही है। इसके साथ ही हम पुलिस की पैट्रोलिंग भी कराते हैं और इसके साथ ही साथ हमारे अधिकारी भी पानी की चोरी रोकने के लिए घूमते रहते हैं। इस तरह से सरकार की कोशिश यही है कि पानी की चोरी पर रोक लगे।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय अध्यक्ष जी, जो लाठ माईनर है, कटवाल माईनर है या मैंसवाल डिस्ट्रीब्यूटरी है इनमें बिल्कुल पानी नहीं पहुंचता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनकी पानी की सैंक्शन कैपेसिटी कितनी है और जहां से यह निकलती है वहां से ऐक्जिस्टिंग कितना पानी इनमें निकलता है तथा ऐक्चुअली टेल पर कितना पानी इनमें पहुंचता है ताकि असल बात का निचोड़ निकल जाए ? अध्यक्ष महोदय, जो वहां पर रजवाहा नं० 9 है जो कासंडी खानपुर से होता हुआ निकलता है और जिसके बारे में आप भी जानते हैं तो उसके बारे में भी मंत्री जी बताएं कि इसकी ऐग्जिस्टंग कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी इसमें आना चाहिए और कितना पानी इस समय इसमें आ रहा है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनका पहला जो प्रश्न है वह भैंसवाल डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि भैंसवाल डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल तक पानी पहुंच रहा है। इस समय इसमें जो पानी आ रहा है उसके बारे में कभी भी हमारे पास फार्मर्ज की तरफ से कोई शिकायत नहीं आयी है। माननीय सदस्य का यह कहना है कि इसको कटवाल माईनर से जोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, भैंसवाल डिस्ट्रीब्यूटरी का जो टेल का एरिया पड़ता है वहां पर इन्होंने इसको जोड़ने की बात कही है, हम इस बारे में ऐग्जामिन करवा लेंगे। इनका कुछ एरिया ऐसा पड़ता है जो इसकी टेल पर है लेकिन फिर भी हम इसको दिखवा लेंगे। इसकी टेल पर पानी पहुंच रहा है कभी वहां से कोई शिकायत नहीं आयी है। जो मेरे पास आंकड़े हैं उनके अनुसार जितनी कैपेसिटी इसकी है उसके हिसाब से उसका पूरा पानी वहां पर आ रहा है। जो लाठ माईनर है उसमें भी टेल तक पानी पहुंच रहा है। इन्होंने इसको बालौठ सब माईनर से जोड़ने की बात कही है लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनकी यह बात टैक्नीकली बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि लाठ माईनर की टेल तक तो पानी पहुंच रहा है। अध्यक्ष महोदय, दो ही बातें इन्होंने रखी थीं। जहां तक भैंसवाल डिस्ट्रीब्यूटरी के रिहैबिलिटेशन की बात है, उसके बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमने इसके लिए 78.57 लाख रुपये मंजूर किए हैं और अगले एक साल में हम यह कार्य पूरा करेंगे। इसमें 8 गौ घाट्स हैं और तीन ब्रिजेज हैं। इनमें दो ऐसे हैं जिनके स्लैब्स रिप्लेस करने हैं लेकिन हम इनका यह कार्य करवा देंगे।

Shortage of Doctors and Medical facilities in CHC, Ateli Mandi

***481. Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that there is shortage of doctors and other medical facilities as per norms in CHC, Ateli Mandi; if so, the steps to be taken to meet out the shortage of doctors and other medical facilities; and

(b) up to what time the repair work of the dilapidated building & residential quarters of the aforesaid CHC are likely to be started/ completed?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : श्रीमान जी,

(क) मानदंडों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटेली मण्डी में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में डाक्टर का एक पद रिक्त है।

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटेली मण्डी की इमारत की दशा संतोषजनक है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टरों का पुनर्निर्माण/मरम्मत का कार्य सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इसके लिए वर्तमान में समय-सीमा नहीं दी जा सकती ।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि मानदंडों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अटेली मण्डी में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में डाक्टर का एक पद रिक्त है।

[बहन करतार देवी]

लेकिन जो पैरा मेडीकल स्टाफ हैं उसमें कुछ कमी है। स्टाफ नर्सिज का तो हम सिलैक्शन कर चुके हैं लेकिन वह मामला कोर्ट में पैंडिंग होने की वजह से उनकी भी नियुक्ति नहीं की जा रही है। साथ ही एम०पी०एच०डब्ल्यू० के इंटरव्यू एच०एस०एस०सी० द्वारा लिए जा चुके हैं इनकी एक दो दिन में लिस्ट भी जारी हो जाएगी। इस तरह इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी जाएगी। इसी तरह से 127 डाक्टर्ज के अन्य पद भी एच०पी०एस०एस०सी० को भरने के लिए हमने कह दिया है, जल्दी ही ये पद भी भरे जाएंगे। इन्होंने अपने प्रश्न के "ख" पार्ट में जो बात कही है उसके बारे में मैं इनको बताना चाहूंगी कि अटेली अस्पताल की जो मेन बिल्डिंग है, इसमें पेशेंट्स वगैरह देखे जाते हैं और उसकी हालत संतोषजनक है। इस सरकार के आने के बाद पहले हमने 9 लाख 51 हजार रुपये इसके लिए दिए थे। इस राशि से जन सुविधाएं कक्ष, प्रसूति कक्ष और शल्य कक्ष का निर्माण किया गया है। 2005-06 में 3 लाख 10 हजार 533 रुपये और दिए गए हैं। जिससे छत की टायल्ज बदली जाएंगी, एल्यूमिनियम के दरवाजे लगाए जाएंगे और शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। जो इन्होंने क्वार्टर्ज की बात की है वहां पर दो क्वार्टर तो अनसेफ डिक्लेयर किए गए हैं जोकि क्लास फोर्थ के लिए हैं। वहां पर तीन और क्वार्टर्ज बनाने के बारे में एक्टिवली विचार किया जा रहा है। जैसे ही पी०डब्ल्यू०डी० से यह रिपोर्ट आ जाएगी तो धन की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य को प्रायोरिटी पर कराया जाएगा। मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी कहना चाहूंगी कि जब से माई भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आई है तब से अब तक मोस्टली सभी सी०एच०सीज० और होस्पीटल्ज की मरम्मत जहां-जहां करवाई जानी थी, वह कारवाई गई है। मैं अभी कुछ नयी पी०एच०सीज० का पत्थर रखकर आई हूं और हम कुछ और नयी पी०एच०सीज० भी बनाने जा रहे हैं ताकि हमारा जो रूरल स्वास्थ्य मिशन है उसके उद्देश्य को हम पूरा कर सकें और जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें पहुंचा सकें।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया के अटेली में एक डाक्टर की कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक साल पहले कहा था कि अटेली में एक्स-रे मशीन नहीं है तो इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसके बावजूद भी वहां एक्स-रे मशीन नहीं आई है। कुछ दिनों के लिए कहीं से पुरानी एक्स-रे मशीन उठाकर रख दी गई थी। वह भी ज्यादा दिन नहीं चली। आज भी वहां एक्स-रे मशीन नहीं है और रेडियोलोजिस्ट भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के एक साल बाद भी वहां मशीन नहीं आई है। जहां तक मंत्री महोदया ने स्टाफ के बारे में बताया है, स्टाफ की अभी भी वहां कमी है साथ ही स्टाफ के रहने के लिए वहां कोई क्वार्टर नहीं है जिसकी वजह से वे वहां रह नहीं पाते हैं। जहां तक बिल्डिंग के लिए बताया है कि बिल्डिंग की मरम्मत के लिए 9 लाख 51 हजार रुपये वहां खर्च कर दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि वहां की बिल्डिंग बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है उसकी रिपेयर संभव नहीं है उसको नये सिरे से बनाने पर ही वह ठीक हो सकती है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के हल्के किलोई में सवा तीन करोड़ की लागत से वहां का अस्पताल ठीक हुआ है।

Mr. Speaker : You should ask the specific question about the machine and the radiologist.

श्री नरेश यादव : स्पीकर सर, मेरा अस्पताल के बारे में स्पेसिफिक क्वैश्चन है। जैसे और अस्पतालों पर सवा तीन करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं उसी तर्ज पर मेरे अटेली के अस्पताल पर

पैसा लगाया जाए तभी वह बिल्डिंग ठीक हो सकती है। रिपेयर पर कितना भी पैसा लगा लें वह बिल्डिंग ठीक नहीं हो सकती।

Mr. Speaker : Mr. Naresh Yadav, ask your specific question. अभी और भी क्वेश्चंज पूछे जाने हैं। आप एक ही सवाल पर समय जाया करना चाहते हैं। आप अनाधिकार चेष्टा न करें। (शोर एवं व्यवधान) Please sit down.

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि वहां 50 एम०ए० की एक्स-रे मशीन उपलब्ध हैं जो कि चालू हालत में हैं। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Naresh Yadav, Please sit down.

बहन करतार देवी : रेडियोलोजिस्ट जो आपके एस०एम०ओ० हैं वे खुद ही हैं। वहां डैंटल चेयर भी हैं, वहां पर ई०सी०जी० की सुविधा भी है, ऐंबूलैंस भी उपलब्ध है और वह प्रयोग में लाई जा रही हैं। एक गाड़ी चालू हालत में है और प्रयोग के लिए उपलब्ध है और अंतरंग और बहिरंग रोगियों की सुविधा के कार्य कर रही है और संतोषजनक हालत में है। बिजली और पानी की आपूर्ति भी वहां संतोषजनक है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Yadav, if you are interested to listen the answer to your question then please sit down. If you are to make habitual critics then it will not be allowed. There are important questions of the other members also pertaining to health. Mr. Naresh Yadav, please sit down. आपकी दो सप्लीमैंट्रीज हो गई है । अब श्री शिव शंकर भारद्वाज को सप्लीमैंट्री पूछने दें।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदया से रिक्वैस्ट भी करना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि भिवानी का अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है। वहां भी डाक्टर्ज की और पैरा मैडीकल स्टाफ की बेहद कमी है और इसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं देने में दिक्कत आ रही है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में पैरा मैडीकल स्टाफ जैसे नर्सिज वगैरह की कमी है उसको कब तक पूरा कर दिया जाएगा ? बिल्डिंग की रिपेयर तो हो रही है लेकिन उसके लिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि थोड़ा सा ऐक्सपेडाइट करवा दें। जल्दी काम होगा तभी लोगों को शांति मिलेगी।

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, जैसा कि पैरा मैडीकल स्टाफ के बारे में मैंने बताया है, स्टाफ नर्सिज की सिलैक्शन हो चुकी है लेकिन कोर्ट में केस पैंडिंग होने के कारण हम फिलहाल उनकी नियुक्ति नहीं कर सकते जब जैसे ही कोर्ट का फैसला हो जायेगा तभी नियुक्ति हो पायेंगी। जहां तक एम०पी०एच०डब्ल्यू० (मेल) का प्रश्न है, उनका इन्टरव्यू एस०एस०सी० ले चुकी है और उनकी लिस्ट एस०एस०सी० से जारी होने वाली है जैसे ही लिस्ट जारी हो जायेगी तो जल्दी ही उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी। जहां तक ए०एन०एम० का सवाल है ए०एन०एम० की भर्ती के लिए एस०एस०सी० को विभाग ने अपनी रिक्वीजीशन भेज दी है और जैसे ही एस०एस०सी० सिलैक्शन कर लेती है उनकी नियुक्ति जल्दी ही कर दी जायेगी। मैंने पहले भी कहा है कि 127 डाक्टरों की रिक्वीजीशन भेज दी है और जैसे ही उनका सिलैक्शन हो जाता है तो उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी। जहां तक भिवानी होस्पीटल की बात है हम मानते हैं कि भिवानी स्टेट का सबसे बड़ा होस्पीटल है लेकिन हम वहां पर जिस भी डाक्टर को नियुक्त करते हैं वह किसी न किसी ढंग से

[बहन करतार देवी]
अपनी बदली कैंसिल करा लेता है और फिर वहां पर जगह खाली रह जाती है। अभी कल-परसों ही भिवानी में पी०एम०ओ० डा० करनी सिंह राठौर को लगा दिया है और उन्होंने मुझे बताया है कि वे पूरी मेहनत से अस्पताल का कार्य सुचारु रूप से चलायेंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने जो माननीय सदस्य नरेश जी के प्रश्न के जवाब में कहा है कि होस्पीटल की हालत को धन उपलब्धता के बाद सुधार दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से उनसे यह जानना चाहूंगा कि फरीदाबाद के होस्पीटल का पहला फेस उनके कथनानुसार जो बहुत पहले बन चुका था, वहां के होस्पीटल की हालत अच्छी नहीं है और दूसरे फेस को बनाने के लिए 50 लाख रुपये पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को बहुत समय पहले उपलब्ध करा दिये गये हैं परन्तु क्या कारण हैं कि धन की उपलब्धता के बावजूद भी और विभाग को पैसा देने के बाद भी वहां पर दूसरे फेस का कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि यह कार्य कब तक शुरू कराया जायेगा और कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, यह बात ठीक है कि एक साल पहले हमने 50 लाख रुपये फरीदाबाद के होस्पीटल के दूसरे फेस को बनाने के लिए पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को दिए थे लेकिन पता नहीं किन कारणों से लोक निर्माण विभाग ने उनका टैण्डर तक नहीं किया है। हम उनको बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि यह काम जल्दी से शुरू करवाया जाये लेकिन पता नहीं किन कारणों से यह कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हम जब भी उस इलाके में जाते हैं तो एम०एल०ए० साहेबान हमारे से यही क्वैश्चन करते हैं कि विभाग को पैसा देने का क्या फायदा हुआ जबकि काम अब तक भी शुरू नहीं हुआ है।

श्री रामकुमार गौतम : स्पीकर सर, मेरे हल्के के गांव बास में एक भी डॉक्टर नहीं है। गांव के लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके वहां का अस्पताल बनाया था लेकिन वहां पर न तो कोई डॉक्टर है और न ही कोई नर्स है। मैंने इस बारे में पिछले सैशन में भी आवाज उठाई थी। इसी प्रकार पुट्ठी गांव में भी कोई डॉक्टर नहीं है। वह भी बहुत बड़ा गांव है। बास तो पूरे जिले में सबसे बड़ा गांव है । पता नहीं सरकार का क्या कानून है कि डॉक्टर काम तो कहीं करते हैं और तनख्वाह कहीं और से लेते हैं। एक डॉक्टर अभिषेक कक्कड़ काम तो टोहाना में करते हैं और तनख्वाह बास के अस्पताल से लेते हैं इसी प्रकार डॉक्टर आशा किरण काम तो टोहाना में कर रही है और तनख्वाह हसनगढ़ की पी०एच०सी० से लेती है। पता नहीं टोहाना की धरती में ऐसा क्या है। मुख्यमंत्री के इलाके में हो तो अलग बात है। एक डॉक्टर राकेश सैन काम तो पंचकूला में करता है और तनख्वाह सोरखी की पी०एच०सी० से लेता है।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, ठीक है, आप स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछो। आपने कह दिया कि डॉक्टर काम कहीं पर कर रहे हैं और तनख्वाह कहीं से ले रहे हैं।

श्री रामकुमार गौतम : डॉक्टर हमारे इलाके में भी भेजे जाएं ताकि वहां के लोगों को बीमारी से बचाया जा सके।

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, देहात में जिस भी डॉक्टर की पोस्टिंग करते हैं वह किसी ने किसी माध्यम से कोशिश करता है कि उसकी पोस्टिंग कैंसिल हो जाये।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, उन डाक्टरों की बदली आप ही कैंसिल करवाते होंगे।

बहन करतार देवी : स्पीकर सर, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि माननीय सदस्य के हल्के के गांव धारा में जल्दी से जल्दी डॉक्टर की नियुक्ति कर दी जायेगी और जो डॉक्टर डैपुटेशन पर हैं उनकी डैपुटेशन को कैंसिल कर देंगे।

आई०जी० शेर सिंह : स्पीकर महोदय, जुलाना कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर की बिल्डिंग बहुत पुरानी हैं और कई दफा सरकार द्वारा कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर की नयी बिल्डिंग बनाने का वायदा भी किया जा चुका है वहां के लोग इसके लिए जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। जैसे दूसरी जगह पर कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर जो आजकल मॉडर्न तरीके से बनाये जा रहे हैं ऐसा ही हमारे वहां पर भी बना दिया जाए परन्तु अभी तक उस बिल्डिंग को नहीं बनाया गया है, यह सरकार के विचाराधीन है या नहीं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जुलाना में कम्युनिटी हैल्थ सैंटर नए तरीके से कब तक बनाया जाएगा ?

Mr. Speaker : Ask separate question. हरियाणा प्रदेश की इतनी डिटेल इस समय नहीं मिल सकती और अगर आप इसका रिप्लाई चाहते हैं तो आप सैपरेट क्वैश्चन दे दें।

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, लोक स्तर पर एक-एक सी०एच०सी० का निर्माण किया जा रहा है। माननीय साथी ने जुलाना की बात की तो उसके लिए अभी जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है, इसलिए जैसे ही जमीन ट्रांसफर हो जाएगी, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जल्दी ही वहां काम शुरू हो जाएगा।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के डबवाली में एक सी०एच०सी० है और मंडी कालांवाली में एक पी०एच०सी० है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या उनका दर्जा बढ़ाकर उसे जनरल होस्पिटल का दर्जा देने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह मांग तो आपको 2 साल पहले रखनी चाहिए थी।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, उस समय भी हमने यह मांग रखी थी। उस समय भी थोड़ा सुधार हुआ था। डबवाली सी०एच०सी० में रेडियोग्राफर की पोस्ट काफी समय से खाली पड़ी है, क्या मंत्री महोदय वहां रेडियोग्राफर की नियुक्ति करने का कष्ट करेंगी।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आप अपना अलग से प्रश्न दे दें।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो अटेली से सम्बन्धित था लेकिन इसको जनरेलाइज कर दिया गया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को हमारे साथी के प्रश्न का जवाब देना चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी को पता होना चाहिए कि कोई सदस्य प्रश्न पूछ रहा है तो ये बीच में न बोलें। हम इनका सम्मान करते हैं, इन को बोलने का पूरा मौका मिलेगा। माननीय सदस्य सीता राम जी मानते हैं कि इन्होंने दो साल पहले अपनी मांग रखी थी लेकिन इनके नेता ने इनकी मांग को माना नहीं। फिर भी ये कहेंगे तो हम जरूर कंसीडर करेंगे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इनके सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी परम्पराओं की बात करते हैं कि वे अच्छी परम्पराओं का निर्वहन करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल अटेली से सम्बन्धित था लेकिन आपकी फ्राखदिली है कि यह प्रश्न जनरल प्रश्न बन कर रह गया है इसलिए मैं इस सिलसिले में माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के में 30 गांव हैं और 30 गांवों में पानी खारा है और प्रदूषण की वजह से बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। माननीय मंत्री महोदया कोई ऐसा प्रावधान करेंगी कि इन गांवों के बीच सिकरोना गांव में जो कि सैंट्रली लोकेटिड है, में कोई होस्पिटल बनाया जाए, जिसके लिए वहां की पंचायत जमीन देने के लिए भी तैयार है और जो पैसा उस पर लगेगा हम अपने गांव के लोगों से उगाह कर सरकार के खजाने में जमा कर देंगे ताकि लोगों को इस तरह की फैसिलिटी मिल सके।

Mr. Speaker : You ask separate question. आप अपनी प्रपोजल राइटिंग में दे दें।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी प्रपोजल लिखकर भेजी हुई है मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसमें कुछ मदद करने का कष्ट करें।

Four Lanning Road in Dabwali City

*495. **Dr. Sita Ram :** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make four lanning the road from Bathinda road to SDM complex of Dabwali City, in district Sirsa; and

(b) if so, the time by which the four lanning of the said road is likely to be completed ?

Power Minister (Shri Vinod Kumar Sharma)

(a) Yes, Sir.

(b) The Work is likely to be completed within three months.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क का निर्माण कार्य पिछले अढ़ाई सालों से चल रहा था, अढ़ाई सालों के अन्दर एक डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा कम्पलीट नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी डिले के क्या कारण हैं। जब सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था तो सड़क के बीच खम्भे और पेड़ थे जो अभी तक खड़े हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि 3 महीने में काम कम्पलीट कर देंगे। जब अढ़ाई सालों के अंदर ये काम नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि तीन महीनों में भी ये काम नहीं हो पाएगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने आन दि फलोर ऑफ दि हाउस आश्वासन दिया है।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी की इस बात को हम मानते हैं कि अढाई साल से उस सड़क पर काम नहीं हुआ। हमारी सरकार को तो बने डेढ़ साल के करीब हुआ है उससे पहले इनकी सरकार के समय में तो उस सड़क पर कोई काम नहीं किया गया। हमारी सरकार आने के बाद हमने उस सड़क को बनाने का काम शुरू करवाया है और 70 प्रतिशत पैसा खर्च भी हो चुका है। वह सड़क बनकर तैयार है। उसके ऊपर प्रीमिक्स लगाना है। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी की यह बात भी सही है कि उस सड़क पर कुछ पेड़ और खम्बे खड़े हैं। इस बारे में मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि पेड़ और खम्बों को हटाने की कार्यवाही भी कर ली गई है। पेड़ों को काटने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वॉयर्नमेंट एंड फोरैस्ट से परमीशन लेनी पड़ती है और इस बारे में हम कार्यवाही कर रहे हैं। जल्दी ही उन पेड़ों को काटने की परमीशन हमें मिल जायेगी और खम्बे भी निकाल लिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने आश्वासन दिया है कि यह संभव है कि तीन महीने में यह सड़क पूरी कर दी जायेगी। इस बात की मेरे माननीय साथी को खुशी होनी चाहिए।

आई०जी० राजकीय महाविद्यालय टोहाना के छात्रों का अभिनन्दन

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज आई०जी० कालेज, टोहाना के छात्र हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही देखने आये हुए हैं और जो इस समय सदन की गैलरी में बैठे हैं। मैं इन छात्रों का अभिनन्दन करता हूं । मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी करते हैं उसी से नई पीढ़ी प्रेरणा लेती है इसलिए इस सदन में जो इन दीवारों पर लिखा है उस प्रकार का आचरण बनाये रखना अनिवार्य है। यह मेरा आप सभी सदस्यों से नम्र निवेदन है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Upgradation of Schools in the State

***510. Shri Kharati Lal Sharma :** Will the Minister for Education be pleased to state the constituency-wise total number of schools upgraded from Middle to High School and High to Senior Secondary School in the State during the regime of present Government ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, the information is given in the statement placed on the table of the House.

Statement

A total No. of 235 Government Schools were upgraded from Middle School level to High School level and from High school level to Senior Secondary School level during the regime of present Government. This is includes upgrading of 102 Government Middle Schools to Government High Schools and 133 Government High Schools to Government Senior Secondary Schools. The constituency -wise total number of schools upgraded from Middle Schools level to High Schools level and High School level to Senior Secondary School level in

[Sh. Phool Chand Mullana]

the State during the regime of present Government is as under :—

Upgradation of Schools during the Regime of Present Government.

District	Constituency	Upgradation		Total
		High To Sr. Sec.	Middle To High	
Ambala	Ambala City	2	1	3
	Mullana (SC)	3	9	12
	Naggal	2	1	3
	Naraingarh	1	2	3
Bhiwani	Badhra	4	4	8
	Bawani Khera (SC)	2	-	2
	Bhiwani	2	-	2
	Dadri	1	1	2
	Loharu	-	1	1
	Mundhal Khurd	1	1	2
	Tosham	1	2	3
Faridabad	Ballabgarh	2	1	3
	Faridabad	3	-	3
	Hassanpur (SC)	1	-	1
	Hathin	1	1	2
	Mewla Maharajpur	2	1	3
	Palwal	-	1	1
Fatehabad	Fatehabad	1	3	4
	Ratia (SC)	-	2	2
	Tohana	2	1	3
Gurgaon	Gurgaon	3	2	5
	Nuh	-	1	1
	Pataudi (SC)	-	3	3
	Sohna	2	-	2
Hisar	Adampur	-	2	2
	Barwala	1	1	2
	Bhattu Kalan	1	-	1
	Ghirai	1	1	2
	Hansi	2	1	3
	Narnaund	2	-	2
Jhajjar	Badli	6	1	7
	Bahadurgarh	1	-	1
	Beri	1	1	2
	Jhajjar (SC)	5	2	7
	Salhawas	4	1	5

1	2	3	4	5
Jind	Jind	2	-	2
	Julana	1	1	2
	Narwana	1	2	3
	Rajond	1	-	1
	Uchana	1	1	2
Kaithal	Guhla (SC)	2	1	3
	Kaithal	2	1	3
	Pai	1	-	1
	Pundri	3	-	3
Karnal	Assandh (SC)	2	-	2
	Gharaunda	1	-	1
	Indri	1	-	1
	Jundla (SC)	-	1	1
Kurukshetra	Pehowa	2	3	5
	Shahabad	-	2	2
	Thanesar	2	2	4
Mahendergarh	Ateli	1	1	2
	Jatusana	1	-	1
	Mahendergarh	1	-	1
	Narnaul	1	-	1
Mewat	Taoru	1	1	2
Panchkula	Kalka	2	1	3
Panipat	Samalkha	1	3	4
Rewari	Jatusana	1	5	6
	Jhajjar (SC)	-	1	1
	Rewari	3	3	6
	Salhawas	2	3	5
Rohtak	Hassangarh	5	5	10
	Kalanaur (SC)	4	2	6
	Kiloi	11	1	12
	Meham	4	1	5
Sirsa	Darba Kalan	5	3	8
	Ellanabad (SC)	4	-	4
	Rori	-	2	2
	Sirsa	-	1	1
Sonipat	Kailana	3	1	4
	Rai	1	-	1
	Sonipat	-	1	1
Yamuna Nagar	Radaur (SC)	-	1	1
	Sadhaura (SC)	-	2	2
	Total	**133**	**102**	**235**

श्री के०एल० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि सूचना पटल पर रखी है। इस सूचना के अनुसार मुलाना क्षेत्र में 12 स्कूल अपग्रेड हुए हैं और शाहबाद में केवल दो स्कूल अपग्रेड हुए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्कूल अपग्रेड करने का क्राईटेरिया एम०एल०ए० है या कांस्टीच्यूंसी है।

श्री फूलचंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि स्कूल अपग्रेड करने का क्राईटेरिया न एम०एल०ए० है और न कांस्टीच्यूंसी है। स्कूल अपग्रेड करने का क्राईटेरिया शिक्षा का प्रचार और प्रसार है। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी शर्मा जी के शाहबाद क्षेत्र में पहले से ही 10 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल हैं। शिक्षा के लिए जो डिसटैंस ट्रैवल करना पड़ता है वह भी शर्मा जी के क्षेत्र में बाकी क्षेत्रों से कम है। प्राईमरी शिक्षा के लिए शाहबाद क्षेत्र में 0.91 कि०मी० चलना पड़ता है और स्टेट में 1.1 कि०मी० चलना पड़ता है। इसी तरह से मिडिल शिक्षा के लिए इनके क्षेत्र में 1.37 कि०मी० और सैकेण्डरी शिक्षा के लिए 2.55 कि०मी० चलना पड़ता है जबकि स्टेट में 1.40 और 2.77 कि०मी० क्रमशः चलना पड़ता है। इससे पता चलता है कि शर्मा जी के क्षेत्र में शिक्षा सुविधाएं पहले से ही अधिक हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने क्राईटेरिया पूछा है। मैं बताना चाहता हूं कि जहां पहले से ही शिक्षा का प्रसार नहीं है वहां स्कूलों को अपग्रेड करना जरूरी है। शाहबाद पहले से ही एडवांस क्षेत्र है और मुलाना बैकवर्ड क्षेत्र है इसलिए वहां अधिक स्कूल अपग्रेड किए गए हैं।

श्री के०एल० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने मेरे क्षेत्र के 21 स्कूलों के नाम अपग्रेडेशन के लिए दिये थे। उनमें से कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया। मंत्री जी किलोमीटर गिनाकर सुना रहे हैं। जिन 21 स्कूलों की लिस्ट मैंने दी थी वे सभी स्कूल 10-10 कि०मी० की दूरी पर हैं, उनमें से कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया और जो दो स्कूल अपग्रेड किए हैं वे स्कूल बिल्कुल नजदीक हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्कूल अपग्रेड करने का क्राईटेरिया क्या है ?

श्री फूलचंद मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि स्कूल अपग्रेड करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाती है कि कहां पर स्कूल अपग्रेड करने की जरूरत है और कौन सा स्कूल अपग्रेडेशन का क्राईटेरिया पूरा करता है ? मेरे माननीय साथी ने भी क्राईटेरिया पूछा है मैं इनको बताना चाहूंगा कि क्राईटेरिया बड़ा सिम्पल है। प्राईमरी स्कूल के लिए एक एकड़ जमीन और 100 बच्चे चाहिएं। मिडिल, हाई और सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के लिए दो एकड़ जमीन और 100 बच्चे होने चाहिएं। स्पीकर साहब, इनके क्षेत्र में 20 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल्ज हैं चिड़ाना जाटान, ढीघ, इस्माईलाबाद में दो स्कूल हैं जिनमें से एक लड़कियों का स्कूल है। (विघ्न) झांयसा, नलवी, शाहबाद, आदि स्कूल भी अपग्रेड हुए हैं। स्पीकर सर, जो भी गांव स्कूल के नॉर्म्ज एण्ड क्राईटेरिया को पूरा करेंगे वहां पर स्कूल खोलने के बारे में विचार किया जाएगा।

श्री के०एल० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो ठीक है कि पिछली सरकार में ये शिक्षा मन्त्री नहीं होते थे उस वक्त ये हमारे साथ उस तरफ बैठा करते थे। उस वक्त हमारे इलाके में चार-पांच स्कूल बने थे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह दरख्वास्त करूंगा तथा शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या शिक्षा मन्त्री जी मुझे पसन्द नहीं करते ? शिक्षा मन्त्री जी अभी और

डिस्ट्रिक्टवाईज स्कूलों की डिटेल बता रहे थे। उन स्कूलों को तो इन्होंने अपग्रेड कर दिया लेकिन हमारे यहां सड़क के साथ ही स्कूल हैं Just on the road, उनको अपग्रेड नहीं किया। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा ? मैं गराघड़ विलेज की स्थिति भी जानना चाहूंगा।

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य जिन स्कूलों के बारे में कह रहे हैं उनके बारे में जरूर एग्जामिन करवा लें।

श्री के०एल० शर्मा : स्पीकर सर, मैंने अपने दो स्कूलों का तो नाम भी नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष : शर्मा साहब, आप बैठें। वे एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन स्कूलों के बारे में कह रहे हैं हम उनको एग्जामिन करवा लेंगे।

चौधरी अर्जन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या छछरौली हल्के में भी कोई ऐसा स्कूल है जिसे अपग्रेड किया गया है क्या वे लिखित में या कॉलेजिज लिखित में जुबानी तौर पर बता दें कि कोई कॉलेज अपग्रेड किया है ? मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि हम भी इसी देश और प्रदेश में रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अर्जन सिंह जी, क्या आपने किसी स्कूल को अपग्रेड करने के बारे में या स्कूल कॉलेज खोलने के बारे में कुछ लिख कर दिया हुआ है ?

चौ० अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने साहबे पुर और एक और कन्या स्कूल के लिए लिखा हुआ है जब ये स्कूल अपग्रेड हो जाएंगे तो फिर और भी लिख कर देंगे।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इनके यहां प्राईमरी से मिडल स्कूल अपग्रेड हुए हैं अब नई प्रपोजल्ज भी आ रही हैं। जो प्रपोजल्ज आएंगी उनके क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए तथा सैक्टर को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय नॉर्म्ज की बात कह रहे हैं। जो नॉर्म्ज और कायदे कानून हैं कि इतने छात्र होने चाहिएं, इतनी जमीन होनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई गांवों में ग्राम पंचायतें हैं लेकिन उनके पास इतनी जमीन नहीं होती कि वे स्कूलों के लिए जमीन दे सकें। कई ऐसे छोटे-छोटे गरीब गांव हैं जो जमीन खरीद नहीं सकते हैं इसलिए वहां के स्कूल के नॉर्म्ज पूरे न होने का कारण वहां पर स्कूल अपग्रेड होने में लटक जाते हैं। लम्बे समय तक ऐसे स्कूल अपग्रेड नहीं हो पाते जिस कारण वहां पर छात्रों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जाती है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ये ऐसा कोई प्रोवीजन करेंगे कि जहां पर जमीन नहीं है वहां पर किसी न किसी माध्यम से जमीन दे कर वहां पर स्कूल प्रोवाईड करवाए जाएं। वस्तुस्थिति को देखते हुए सही मायने में जहां पर स्कूल की जरूरत है वहां पर स्कूल अपग्रेड किये जाएं, क्या सरकार की ऐसी कोई मन्शा है ?

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय इन्दौरा साहब को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछली सरकार ने शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुमुखी विकास हो रहा है (विघ्न) 245 स्कूल अभी अपग्रेड कर दिए गए हैं और हम 419 नये स्कूल प्राईमरी से अपग्रेड करने जा रहे हैं। स्पीकर सर, इन्दौरा साहब जहां की बात कहेंगे हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे और उस स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाएगा। शिक्षा माननीय मुख्य मन्त्री जी की प्रायोरिटी है। कहीं पर ऐजुकेशन सिटी खुल रहे हैं, कहीं पर ऐजु-सैट चल रहे हैं, कहीं पर सैमैस्टर प्रणाली चलाई जा रही हैं। शिक्षा के जगत में बहुमुखी विकास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी गांव को जहां आवश्यकता होगी उसे शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल अपग्रेड करने में हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है कि कौन से एरिया बैकवर्ड हैं या कहां पर लिट्रेसी रेट लो है। हमारे जिला कैथल में पांच विधान सभा क्षेत्र हैं। इन पांच विधान सभा क्षेत्रों में से चार विधान सभा क्षेत्रों को ही इसमें लिया गया है और 10 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या शिक्षा का विस्तार हमारी सरकार बनने के बाद ज्यादा हुआ है ? मेरी कलायत कंस्टीच्यूऐंसी में एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया है। मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री जी को सूची दी है। मैं समझती हूं कि कलायत के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अन्याय हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे यह जानना चाहती हूं कि मैंने जो सूची दी है उसमें से वे कितने स्कूल अपग्रेड करेंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, सभी डी०ओज० से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है कि कहां-कहां पर स्कूलों के अपग्रेड होने की आवश्यकता है। इसके अलावा जहां-जहां के स्कूलों को अपग्रेड करने के बारे में सुझाव माननीय विधायक जी देंगे और वे अगर सभी शर्तें पूरी करते होंगे तो उनको भी अपग्रेड करने के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : अध्यक्ष महोदय, पूरे पानीपत में मंत्री जी ने केवल चार स्कूल अपग्रेड किए हैं। नौलथा में लड़कियों का एक स्कूल था उसको भी इन्होंने अपग्रेड नहीं किया है जबकि वहां पर इसकी बहुत जरूरत है। ये जो डी०ओज० वाली बात कर रहे हैं मैं इस बारे में कहना चाहती हूं कि वे तो कहीं पर जाते ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नौलथा बहुत बड़ा गांव हैं और वहां पर लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड करने की जरूरत है। मंत्री जी कृपा इस बारे में ध्यान दें।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हरियाणा में शिक्षा का प्रसार हो। हमने अभी केवल वही स्कूल अपग्रेड किए हैं जो नॉर्म्ज पूरे करते थे। अब दोबारा से हमने डी०ओज० से रिपोर्ट मांगी है और इसमें भी जो नॉर्म्ज पूरे करते होंगे उनको हम अपग्रेड करेंगे।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर कह रहे हैं कि इनकी सोच है कि हरियाणा में शिक्षा का प्रसार किया जाए। इन्होंने रिवाड़ी में कितने ही स्कूल अपग्रेड कर दिए हैं लेकिन मैं यहां पर बावल हैड की बात करना चाहूंगी कि वहां पर इन्होंने एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया है। क्या मंत्री जी वहां के बारे में विचार करेंगे।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक स्कूल मिडल से हाई स्कूल हुआ है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमने डी०ओज० से रिपोर्ट मांगी हुई है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो स्कूल नॉर्म्स पूरे करते होंगे उनको अपग्रेड किया जाएगा।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे इलाके में एक दो स्कूल जरूर अपग्रेड किए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जी कहते हैं कि यह सब इनके सहयोग से हुआ है। यह हमारे इलाके की बहुत पुरानी मांग थी कि इन्होंने नारनौंद और बास के स्कूलों को अपग्रेड कर दिया है। लेकिन इस विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि ये स्कूल इस साल अपग्रेड नहीं हुए हैं क्योंकि वहां पर न तो कोई प्रिंसिपल, न किसी अध्यापक को अप्वायंट किया गया है और न ही वहां पर बच्चों का दाखिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जिन स्कूलों को ये अपग्रेड कर रहे हैं तो ये वहां पर पूरी सहूलियतें दें ताकि बच्चे वहां पर पढ़ सकें।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, पक्के अध्यापकों की भर्ती के लिए प्रोसैस जारी है और इसके लिए हमने स्टाफ सलैक्शन कमीशन को लिखकर दे दिया है कि हमें इतने पक्के अध्यापकों की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमने हर स्कूल के मुखिया को यह छूट दे रखी है कि अगर उसके स्कूल में किसी अध्यापक की जरूरत है तो वह गैस्ट टीचर को उसी गांव के बच्चे को अगर वह क्वालिफिकेशन फुलफिल करता हो तो लगा सकता है और यह गैस्ट टीचर की भर्ती वाली सोच हमारे मुख्यमंत्री जी की है। हम जल्दी से जल्दी पक्के टीचर्ज की भर्ती कर देंगे।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, नारनौल में बलाइकलां गांव है वहां पर एक मिडल स्कूल है, उस स्कूल में 600 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर 36 कमरे हैं और वह स्कूल चार एकड़ की जमीन पर स्थित है। उस एरिया में एक कालेज भी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उस स्कूल को मिडल से हाई स्कूल कर दिया जाए।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बताया है तो मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि हमने डी०ओज० से रिपोर्ट मांगी हुई है। उनकी रिपोर्ट भी आ जाने दें और मैं इनको इस विषय में यह कहना चाहूंगा कि इस साल जिन स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा तो इनके इस स्कूल के बारे में भी विचार कर लिया जाएगा।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि अकेले रोहतक जिले के अन्दर किलोई में 11, झज्जर में 6 और साल्हावास में 4 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है और महेन्द्रगढ़ जिले में सिर्फ एक ही स्कूल अपग्रेड किया गया है।.....

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, आप अपनी सप्लीमैंटरी पूछें।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्कूल का नाम दिया था उसको भी अपग्रेड नहीं किया गया और अकेले रोहतक में.....

Mr. Speaker : Yadav Ji, ask your specific question. Don't waste the time of the House. Other members are also sitting here. You are not the only member. Mr. Naresh Yadav, questions hour is important and you can seek important information from the Government.

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इनको एक बात बताना चाहूंगा कि किलोई क्षेत्र पिछले 9 सालों से अपोजीशन द्वारा रिप्रैजेंटेड था और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अपोजीशन के नेता थे। इस दौरान वहां पर कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया था इसलिए वहां की बैकवर्डनैस को ध्यान में रखते हुए ही वहां पर स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इनने तो महेन्द्रगढ़ जिले के अंदर भी कई स्कूल अपग्रेड किए हैं।

श्री अध्यक्ष : अब अगला सवाल होगा।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसी विषय पर एक बात मंत्री जी से कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप अपना अगला सवाल पूछें।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : ठीक है सर।

Transfer of W/S Division

***514. Shri Tejender Pal Singh Mann :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether some area falling under Kaithal irrigation circle in district Kaithal on Sudhkan Minor has been transferred from Pundri w/s division to Narwana w/s division.

(b) whether it is a fact that this area has been under Pundri w/s division from times immemorial ; and

(c) if so, the reasons thereof ?

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav)

(a) Yes Sir,

(b) No. Sir,

(c) Originally Sudhkan disty. from head to tail was under jurisdiction of Narwana Water Services Division, Narwana, Sudhkan Disty. from RD 0-79000 was transferred to Pundri Water Services Division, Kaithal in the year 1994 at the time of re-organization of the Deptt. But the tails of off-take of Sudhkan Disty. namely 1-L Barsola minor, 2-L Barsola minor and 3-L Barsola minor sufferred for most of the period and irrigation and drinking water supply of villages Ghoghrian, Kasuhan, Kalta, Bhonsla and Mohangarh Chhapra suffered. To meet the genuine demand of the public, the channel was transferred to Narwana w.s. Divn.

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहूंगा कि जो सुदकैन डिस्ट्रीब्यूटरी है इस पर पड़ने वाले लगभग पांच सात गांवों को छोड़कर बाकी सारे गांव पाई हल्के में ही पड़ते हैं। हमारे जन साधारण को आने जाने के लिए

कैथल ही एक स्टेशन नजदीक पड़ता है। नरवाना में हमारे यहां के जन-साधारण का किसी प्रकार का आना जाना न तो व्यापार के लिए, न स्कूल के लिए और न ही अस्पताल के लिए है। अगर हमारे यहां के लोगों को बहुत छोटी-छोटी बातों के लिए नरवाना में जाना पड़ता है तो यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि पहले पानी सुदकैन डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल तक नहीं पहुंचा है लेकिन पिछले पांच साल में तो पानी कहीं पर भी नहीं पहुंचा है। पिछले पांच साल में हमारे इन डॉ० साहब का राज था और उस दौरान कहीं पर भी पानी नहीं पहुंचा है। हमारे सारे रजबाहे सूखे रहे हैं लेकिन अब सब में पानी आ रहा है। अब इस डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पर भी पानी आ रहा है। इसलिए हमारी मंत्री जी से दरख्वास्त है कि हमारे एरिये के गांवों को वापस पुंडरी डिवीजन में ही लाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत न हो। जो पांच दस गांव जींद जिले के हैं उनको हम एंश्योर करेंगे कि उनके यहां तक भी पानी पहुंचे। चूंकि नरवाना हल्के में भी इन्हीं का महकमा यह कार्य देखता है इसलिए वह एंश्योर करें कि पानी वहां तक भी पहुंचे। हमारे जन-साधारण को नरवाना आने जाने में सुविधा नहीं मिलती है क्योंकि वहां पर कभी कोई अफसर नहीं होता है कभी कानूनगो नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : मान साहब, आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछिए।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी हमें विश्वास दिलवाएंगे कि कम से कम हमारा वाला एरिया कैथल डिवीजन, पुंडरी डिवीजन में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ऐसा पहले रहा भी है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनका कहना यह है कि इनके एरिया के कुछ गांवों को नरवाना डिवीजन में क्यों ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह था कि वहां का जो मेजर एरिया है वह नरवाना वाटर सब डिवीजन में ही आता है और लगभग 70 परसैंट वहां का जो कमाण्ड एरिया है वह भी नरवाना डिवीजन का ही है। दूसरी बात यह है कि चूंकि वहां पर पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा था इसलिए 1994 में भी हमने यह फैसला किया था। आपको याद होगा कि लोकसभा के इलैक्शन में घोघड़िया आदि गांव के लोगों ने वोट नहीं डाले थे और इलैक्शन का बायकाट किया था क्योंकि वहां की नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा था। जब से हमने यह कार्य किया है तब से वहां पर टेल तक पानी पहुंच रहा है। लेकिन इनके हल्के के लोगों की सुविधा को देखते हुए इनके हल्के के रेवेन्यू के जो केसिज है उसके बारे में भी हमने आदेश दिए हैं कि कैथल के अंदर ही एक ऐक्सीयन किसानों के इस तरह के केसिज सुना करेगा और उनको अब नरवाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक गांवों को नरवाना डिवीजन में ट्रांसफर करने की बात है हमारी कोशिश है कि जो टेल है उन पर पानी पहुंचे। अगर टेल के ऊपर एक ऐक्सीयन बैठेगा तो वह एंश्योर करेगा कि टेल तक पानी पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है कि नरवाना हल्के से हमें ज्यादा प्यार है और इनके हल्के से हमें प्यार नहीं है। मान साहब भी हमारी पार्टी को स्पोर्ट कर रहे हैं और उचाना हल्के के भी हमारे ही माननीय सदस्य हैं for the convenience of the farmers of both areas, we are trying that पानी पहुंच सके। अभी पिछले दिनों बरसौला माइनर की ऐक्सटैंशन पर काम शुरू किया है और इस पर काम चल रहा है। जहां तक माननीय सदस्य की समस्या का सवाल है इसके लिए हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि जो इनके यहां के फार्मर्स हैं उनके रेवेन्यू केसिज कैथल में सुने जाएं उसके लिए ऐक्सीयन को बोल देंगे।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, कैप्टन अजय सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 70 प्रतिशत एरिया तो मेरी कांस्टीच्यूएंसी का इस सारे सिस्टम के ऊपर है। जो गांव मैंशंड हैं ये और 5-7 गांव और होंगे। मंत्री जी, हमारे यहां से आर०जी० मोगे की दर्खास्त के लिए हमारे यहां के किसानों को जाना पड़ता है। जैसे आप आजकल देख रहे हैं गरीब आदमियों को बहुत मुश्किल हो जाती है। इसमें फर्क कोई पड़ता नहीं है। जब ये सालों साल से कैथल में था तो अब इसको यहां ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत है इसको ट्रांसफर कर दीजिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहले नरवाना डिवीजन के अंदर था और 1994 में ये चेंज किया गया था। दूसरी बात यह है कि मेरे पास नक्शा है इसे आप देखेंगे तो पायेंगे कि इसमें जो मेजर पोर्शन है वह नरवाना डिवीजन का है। मुख्य बात या सवाल तो यह है कि क्या टेलों पर पानी पहुंच रहा है या नहीं। किसानों की बाकी सुविधाओं के लिए हम अपने ऐक्सीयन को निर्देश दे देंगे कि उनके रेवेन्यू केसिज कैथल में ही सुन लिए जाएं।

श्री आनंद सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि महम हल्का चार डिवीजनों में बंटा हुआ है अर्थात् महम हल्का नहरों और माइनरों के मामले में चार डिवीजनों से जुड़ा हुआ है क्या कोई प्रोविजन ऐसा है कि इसके लिए एक डिवीजन बना दिया जाए क्योंकि चार डिवीजनों से जुड़ा होने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सप्लीमैंट्री इस सवाल से परटेन नहीं करती है लेकिन हम इस बारे में प्रपोजल बना रहे हैं। इसको मैं ऐग्जामिन करवा रहा हूं और माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि इनको पूरी सहूलियत मिल सके।

Setting up of SEZ

***554@ Shri S.S. Surjewala**
Shri Naresh Yadav
Shri Karan Singh Dalal
Shri Tejender Pal Singh Mann : Will the minister for Industries be pleased to state—

(a) whether the Haryana Government/H.S.I.D.C. has entered into an agreement recently with Reliance Company for setting up of SEZ in the area of Gurgaon & Jhajjar Districts in the Haryana State ?

(b) if so, the salient feature of the said SEZ.

(c) the benefits will accure to the farmers and poor villagers on whose land the aforesaid SEZ will be set up ?

उद्योग मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा) : विवरण सभा के पटल पर रखा गया है।

@ Put by Sh. S.S. Surjewala.

विवरण

(क) हाँ, श्रीमान् जी ! हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 19 जून, 2006 को रिलायंस वैंचर लिमिटेड (जोकि रिलायंस उद्योग लिमिटेड की शतप्रतिशत इकाई है) के साथ हरियाणा राज्य के गुड़गांव तथा झज्जर जिले में एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) प्रस्तावित विशेष आर्थिक जोन की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:--

- यह एक बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन होगा।
- गुड़गांव जिले में 25000 एकड़ भूमि पर इस विशेष आर्थिक जोन के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च, 2006 को सैद्धान्तिक तौर पर मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।
- हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को भी भारत सरकार ने गुड़गांव जिले में 3000 एकड़ भूमि पर बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक तौर पर मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के लिए 1715 एकड़ भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। इस दौरान, रिलायंस कम्पनी ने हरियाणा सरकार से संयुक्त क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक एक विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए पेशकश की।
- विकासकर्त्ता इस विशेष आर्थिक जोन में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 25000 से 40,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करेगा। औद्योगिक व अन्य क्षेत्रों में कुल पूंजी निवेश एक लाख करोड़ रुपए के लगभग होगा।
- इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से 10 साल में लागू किया जायेगा।
- इस परियोजना के लागू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे।
- विशेष आर्थिक जोन जैसे बड़े प्रोजेक्ट (परियोजना) के लागू होने से प्रति वर्ष करीब 5000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।
- इस परियोजना के लागू होने पर उत्पादन क्षेत्र के माध्यम से बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जिसका आम जनता को लाभ पहुंचेगा।

(ग) विशेष आर्थिक जोन स्थापित होने से निम्नलिखित लाभ होंगे :–

(1) जिन भू-स्वामियों की भूमि अर्जित की जायेगी, विकासकर्त्ता उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करायेगा। किस प्रकार के रोजगार

[श्री लछमन दास अरोड़ा]

के लिये प्रार्थी पात्र होगा उसकी पात्रता, योग्यता के आधार पर उद्योग विभाग सुनिश्चित करेगा।

(2) विकासकर्त्ता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान तथा बहुतकनीकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर इन्हें चलाएगा। जिन किसानों की भूमि अर्जित की गई है, उनके बच्चों को प्रशिक्षण इन संस्थानों में दिया जाएगा।

(3) विकासकर्त्ता हरियाणा के निवासियों को तकनीकी पदों के अतिरिक्त कुल नौकरियों का 25 प्रतिशत नौकरी देने के लिए वचनबद्ध होगा तथा तकनीकी पदों की भर्ती के मामले में हरियाणा वासियों को प्राथमिकता देगा।

(4) राज्य की भूमि अधिग्रहण नीति के अन्तर्गत सरकार निजी विकासकर्त्ताओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 25 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण करेगी तथा शेष 75 प्रतिशत भूमि विकासकर्त्ता प्रत्यक्ष रूप से भूमि मालिकों से खरीदेगा। राज्य की नई फ्लोर रेट नीति के अन्तर्गत भूमि मालिकों को भूमि का पर्याप्त मुआवजा विभिन्न जोनों में नियमित फ्लोर रेट के अनुसार दिया जायेगा।

(5) जहां कहीं भी भूमि अधिग्रहण के कारण किसी गांव की आबादी दूसरी जगह पर स्थापित होगी वहाँ पर विस्थापित लोगों के पुर्नवास के लिए विकासकर्त्ता घर बनायेगा या फिर रिहायशी प्लॉटो के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिये धन राशि भी देगा।

(6) विकासकर्त्ता ऐसे सभी गांवों व जगह पर विस्थापित लोगों को स्थापित करने के लिये आधारभूत सुविधाओं जैसे कि सड़कें, लाईटें, नाले, सीवरेज, पीने का पानी, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल तथा कम्यूनिटी सैन्टर आदि की व्यवस्था भी प्रदान करेगा।

(7) जिन गांवों की 25 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण की जाएगी, वहां पर भी विकासकर्त्ता उपयुक्त सामाजिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करेगा।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इसके जवाब में जो पेपर ले किया है इसमें इन्होंने जो पार्ट 'ए' है। इसमें यह बात भी रखी है कि बैनीफिट क्या पहुंचेंगे। एस०ई०जैड० में एक तो ये लिखा है कि—

> "The Developer shall undertake to give employment to at least one member of the family whose land is acquired."

इसका मतलब जो लैंड लैस हैं उनका क्या होगा ? मैं यह सवाल भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति में ये चार बातें शामिल करेगी जो आज मौजूद नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : ये बात तो आप लिखकर भिजवा दें। Now, please ask your specific question । ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें चार सिग्नेट्रीज है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति में जो भूमिहीन हैं उनकी इम्प्लॉयमैंट के लिए गारंटी देगी और दूसरी बात जो डिवेलपर हैं वे 25 परसैंट जमीन सरकार से लेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार क्यों जमीन ऐक्वायर करे। वे सीधे-सीधे किसानों से ही जमीन क्यों न खरीद लें जिससे किसानों को ज्यादा लाभ हो। तीसरी बात यह है कि इसमें हरियाणा के 25 परसैंट लोगों को रोजगार देने की बात है अगर हम फिट हैं तो क्यों न सौ परसैंट रोजगार हरियाणा के लोगों को मिले। हरियाणा के ही लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। लास्ट यह है कि क्या सरकार उन गांवों के लोगों को कंपनीज में हिस्सेदार बनायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ये चार बातें अपनी पॉलिसी में शामिल करेगी ?

श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जेड० पूरे हिंदुस्तान में है, आन्ध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है लेकिन जितना इंसैंटिव किसानों को हरियाणा प्रदेश में दिया गया है और दिया जा रहा है, ऐसा किसी स्टेट में नहीं दिया गया है। फिर भी, माननीय सदस्य ने जो बातें रखी हैं इनको विचार में लेकर के हरेक वर्ग की सुविधाओं के मुताबिक एस०ई०जेड० में काम किया जाएगा।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एस०ई०जेड० के लिए जिन किसानों की जमीन ऐक्वायर करने का सरकार ने नोटिस दिया है क्या एस०ई०जेड० बनाने के लिए आप बिरला की सीमेंट की जो फर्म है, को ऐक्वायर करेंगे या राठी सरिया नाम से जो फर्म है उसको ऐक्वायर करेंगे।

Mr. Speaker : Yadav Ji, ask specific question. Don't ask irrelevant question. आप इरैलेवेंट क्वैश्चन मत पूछिये, आपकी उसमें कोई हिस्सेदारी है क्या ? आप सिग्नेटरी है इसलिए आपका नाम बोलने के लिए कहा गया है। But you are not authorized to ask irrelevant question.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों की जमीन एस०ई०जेड० के तहत अधिग्रहण की जाएगी उससे उनकी रोजी-रोटी छिन जायेगी और गांव के गांव उजड़ जायेंगे जिन लोगों का मूल व्यवसाय खेती है, वे कृषि से वंचित हो जायेंगे। क्या उनको दोबारा से बसाने का काम यह सरकार करेगी या उनको और कहीं पर ऐडजस्ट किया जायेगा।

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों को बसाने का सवाल है तो इसके लिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो गांव एस०ई०जेड० लगाने के लिए खाली कराये जायेंगे उन गांवों के लोगों का रहने के लिए पहले बन्दोबस्त किया जायेगा उनको सारी सहूलियतें दी जायेंगी उनमें स्कूल, पानी, सड़कें, बिजली की सारी सहूलियतें दी जायेंगी और जो किसान अपने प्लाट का कब्जा लेना चाहेंगे उनको भी वह कब्जा एस०ई०जेड० वाले देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्पेशल इकोनोमिक जोन, 2005 के फाईनेंशियल मैमोरैण्डम में लिखा हुआ है कि एस०ई०जेड० को स्थापित करने की वजह से प्रदेश के खजाने को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। यह

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

उनको फाईनेंशियल मैमोरैण्डम कहता है। लेकिन दूसरी तरफ मंत्री जी कहते हैं कि रिलायंस के साथ जो समझौता हुआ है उसमें पांच हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इन्होंने फाईनेंशियल मैमोरैण्डम में लिखा है इसमें कैसे नुकसान होने वाला है क्या विभाग ने इसका अनुमान लगाया है कि एस०ई०जेड स्थापित करने की वजह से कितना नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो फायदा कैसे कह रहे हैं। दूसरा इन्होंने जो झज्जर जिले की बात कही है कि रिलायंस के साथ जो जमीन का समझौता हुआ है उससे जो गुड़गांव का बहुत ही डिवैलपड इलाका है एस०ई०जेड० एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक झज्जर जिले की उसमें कन्टीन्यूटी न बनने की वजह से यह जाहिर है कि यह सुविधा झज्जर जिले को नहीं मिलेगी। तो जो रिलायंस की सुविधा के लिए जो जमीन दे रहे हैं क्या उससे झज्जर के इलाके को बैनीफिट हो पायेगा। अध्यक्ष महोदय, रिलायंस को जो जमीन दी जायेगी उसका क्या क्राईटेरिया अपनाया है कि क्या विभाग ने इस बारे में कोई बिडिंग की है, क्या विभाग ने यह फैसला किया है कि जमीन रिलायंस को ही क्यों दी जायेगी।

श्री लक्ष्मन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने एक ही सवाल में 5-6 सवाल कर दिये मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि ये कौन से सवाल को बहुत जरूरी समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपने छः प्रश्न किए हैं, आप बतायें कि कौन से सवाल के बारे में जवाब दिया जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब ये फाईनेंशियल लोस मानते हैं तो बिल में फायदा कैसे कह रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही अहम सवाल है और अहम मुद्दा है। मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा ताकि पूरे प्रदेश को इस बात का पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग इस बारे में राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रचार कर रहे हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते कि प्रदेश के हित में क्या है और लोगों के हित में क्या है। एक दो सवाल चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने किए हैं। जब एस०ई०जेड० के बारे में कैबिनेट ने फैसला किया है अगर आप उसके बारे में सही से जानते हैं तो मैं समझता हूं कि हर सवाल का जवाब उसमें लिखा हुआ है। भूमिहीन किसान की जो बात कही गई है उसके बारे में उस पोलिसी में यह लिखा है कि 25 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के लोगों को एस०ई०जेड० में दी जायेंगी। कर्ण सिंह दलाल ने जमीन के बारे में जो बात कही है। आप कहीं भी चले जाईये जिन सरकारों ने एस०ई०जेड० के लिए जमीन दी है चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो वहां पर जो एस०ई०जेड० के लिए जमीन ऐक्वायर करते हैं वह 100 प्रतिशत जमीन ऐक्वायर करते हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसने कहा कि एस०ई०जेड के लिए 75 प्रतिशत जमीन डिवैलपर को खरीदनी पड़ेगी और 25 प्रतिशत का प्रावधान हमने इसमें रखा है। इसमें आमदनी केवल पांच हजार करोड़ की नहीं होगी बल्कि दस हजार करोड़ रुपये की आमदनी होगी, 5 हजार करोड़ रेवेन्यू होगा और 5 हजार करोड़ बाहर से जैसे ट्रांसपोर्टेशन, हब वगैरह दूसरी चीजों से लाभ होगा। इस प्रकार 10 हजार करोड़ रुपये के करीब लाभ होगा। जहां तक रोजगार की बात है तो इससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलना कोई

छोटी बात नहीं है। जमीन की बात पर कई साथियों ने सवाल उठाए, हम तो चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, बेरोजगारी खत्म हो, जमीन कोई रबड़ नहीं है, बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे, हर गांव में बेरोजगारी की समस्या है लेकिन कुछ लोगों की समझ यह है कि हम प्रगति न कर सकें, लोगों को रोजगार न मिल सके और वे लोग केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। यह सरकार किसान हितैषी सरकार है। हमारी सरकार आने से 6 महीने पहले पिछली सरकार ने 600 एकड़ भूमि मारूति को दी, उसमें किसानों को तीन, साढ़े तीन लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिला, कोर्ट के द्वारा इन्हांस करने से 7 लाख रुपये प्रति एकड़ दिया गया। हमने उससे तीन गुणा यानि 21 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा अभी दिया है। सैक्शन 4 का नोटिस पिछली सरकार के समय का था। जब हमने 21 लाख रुपये प्रति एकड़ किसान को मुआवजा दिया तो किसान को पूरी छूट दी कि वे कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट से इन्हांसमैंट एक करोड़ भी हो सकती है, डेढ़ करोड़ भी हो सकती है। किसान की हितैषी सरकार है, गरीबों को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को रोजगार मिले इसके लिये यह सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। किसी को हमने मुफ्त जमीन नहीं दी। एच०एस०आई०डी०सी० की हमने 10 परसैंट इक्विटी रखी है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता बोल रहे हैं इसलिए आप इनके बोलने के बाद बोल लेना (शोर एवं व्यवधान) * * * Nothing is to be recorded.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये सुनने की हिम्मत नहीं रखते और लोगों को गुमराह करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इनमें सुनने की क्षमता नहीं है, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करके पिछली बार आए लेकिन अब लोग इन से गुमराह नहीं होंगे और इसी का नतीजा है कि ये यहां से वहां पहुंचे। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने 10 परसैंट इक्विटी ली है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप मुख्यमंत्री महोदय के बोलने के बाद बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जेड० झज्जर के इलाके में लगेगा, मेरा इनको चैलेंज है नारनौल से भाई नरेश यादव जी, आप बादली में जलसा करके दिखाएं और वहां के लोग ये कहें कि यहां एस०ई०जेड० न लगाओ तो मैं आपको इनाम दूंगा (शोर एवं व्यवधान) हम तो हरियाणा का विकास चाहते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये हरियाणा का विकास होने नहीं देना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

वाक-आउट

डॉ० सुशील इन्दौरा : आप हमें इस प्रश्न पर सप्लीमैंटरी पूछने का मौका नहीं दे रहे हैं इसलिए हम ऐज ए प्रोटेस्ट सदन से वाक आउट करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य ऐज ए प्रोटेस्ट सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Complaint against H.F.C.

*520. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the State Government has received any complaint against the Executive Director of Haryana Financial Corporation during the last five years; if so, names and the details thereof, together with the action taken thereon; and

(b) whether any complaint against the aforesaid officer has been referred to the State Government by the Central Vigilance Commission; if so, the details thereof, together with the action taken in this regard ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : मान्यवर,

(क) श्री के साई बाबा, ने हरियाणा वित्तीय निगम में शेयर होल्डर की हैसियत से तीन शिकायतें कार्यकारी निदेशक के विरुद्ध राज्य सरकार को भेजी जिसमें हरियाणा वित्तीय निगम में भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक आतंक एवं गलत तरीके से टाइटल डीड को निकलवाने के कारण कर्मचारियों से हरियाणा वित्तीय निगम के नुकसान की भरपाई करने के बारे में लिखा है। निगम ने इन सभी शिकायतों की जांच की और कार्यकारी निदेशक के विरुद्ध कुछ भी नहीं पाया गया।

(ख) एक शिकायत केन्द्रीय चौकसी आयोग, भारत सरकार ने राज्य सरकार को हरियाणा वित्तीय निगम में भ्रष्टाचार के संबंध में भेजी है तथा शिकायत की निगम द्वारा जांच की गई और अधिकारी के विरुद्ध कुछ नहीं पाया गया।

Power House in Mirzapur & Mohammadpuria

*525. **Dr. Sushil Indora :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) the date on which the sanction was accorded for setting up of 33 K.V.A. power house in villages Mirzapur and Mohammadpuria, in block Ellenabad, district Sirsa; and

(b) whether the construction work of the power house referred to in part (a) above has been completed; if not, the time by which the said work is likely to be completed ?

बिजली मंत्री (श्री विनोद कुमार शर्मा)

(क) जिला सिरसा के ब्लाक ऐलनाबाद में 33 के०वी० पावर हाऊस मिर्जापुर तथा मोहम्मदपुरिया को स्थापित करने की स्वीकृति डी०एच०बी०वी०एन० द्वारा क्रमश: 9-12-2004 तथा 30-4-2004 को दे दी गई थी।

(ख) मिर्जापुर का कार्य दिसम्बर, 2006 के अन्त तक पूरा होना संभावित है तथा मोहम्मदपुरिया का कार्य जनवरी, 2007 तक पूरा होना संभावित है।

Opening of ITI at Narnaund City and Bass

*536. **Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Industrial Training Institute at Narnaund City and Bass village in Narnaund Constituency ?

उद्योग मंत्री (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) : श्रीमान् जी, नहीं।

Power Project in Village Mothuka

*540. **Shri Udai Bhan :** Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for setting up of 1065 MW Power Project in village Mothuka in district Faridabad by the ABAN Company; if so, whether the work has been started on this project;

(b) whether the foundation stone of the said project has been laid down by the Chief Minister; if so, the details of the action taken in this regard, so far;

(c) whether any MOU has been signed by the Gas Authority of India (GAIL) with the ABAN Company for setting up of the Power Project; and

(d) whether any agreement has been made with the ABAN Company that the Haryana State will get electricity to be generated by the said project ?

बिजली मंत्री (श्री विनोद कुमार शर्मा) : हां, श्रीमान्,

(क) मैसर्ज अबान लॉयड चिलीस आफशोर लि०, चेन्नई की एक कम्पनी जिला फरीदाबाद गांव मोलूका में 1065 मैगावाट (3x355 मैगावाट) गैस पर आधारित एक विद्युत प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

(ख) परियोजना का नींव पत्थर माननीय मुख्य मन्त्री हरियाणा द्वारा दिनांक 25-8-2005 को रखा गया था।

(ग) इस परियोजना के लिए गैस को लाने के लिए मैसर्ज अबान लॉयड चिलीस आफशोर लि० ने दिनांक 3-5-2005 को गैल के साथ मुख्य समझौते पर हस्ताक्षर किए।

(घ) जैसे ही इस परियोजना के लिए गैस की दीर्घकालीन उपलब्धता की पुष्टि हो जायेगी, विद्युत क्रय के लिए समझौता हस्ताक्षरित कर लिया जायेगा।

Development of Districts

***538. Shri Ranbir Singh Mahendra :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether it is fact that SEZ are being set up only in the NCR in the State ; and

(b) if so, whether the State Government has formulated any policy for the economic development of the Bhiwani, Rewari and Mahendergarh districts; if so, the details thereof ?

उद्योग मंत्री (श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा) :

क व ख) नहीं, श्रीमान् जी, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर के लिए भी प्राप्त हो रहे हैं।

Upgradation of Schools in Rai Constituency

***549. Shri Ramesh Kaushik** : Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Schools of the village of Rai Constituency; if so, the names of such schools?

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : हां, श्रीमान् जी।

राई चुनावक्षेत्र में स्थित निम्न पांच प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर का बनाने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है :—

1. राजकीय प्राथमिक पाठशाला, दहिसरा।
2. राजकीय प्राथमिक पाठशाला, झुण्डपुर।
3. राजकीय प्राथमिक पाठशाला, शेरसा।
4. राजकीय प्राथमिक पाठशाला, टोकी जगदीशपुर।
5. राजकीय प्राथमिक पाठशाला, पालड़ा।

यद्यपि, फिलहाल राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से उच्च स्तर एवं उच्च स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर तक स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Treatment for the snake bite

***560. Shri Ramesh Kumar Gupta :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the details of the provisions made for the treatment of snake bite in the Government Hospitals; and

(b) whether the aforesaid treatment is available in all the Hospitals/ Dispensaries of the State ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी)

(क) श्रीमान् जी, सभी राजकीय हस्पतालों में ऐन्टी स्नेक वैनम उपलब्ध करवाई गई है।

(ख) राज्य के लगभग सभी सरकारी हस्पतालों/डिस्पैंसरियों में इसके इलाज का प्रबन्ध उपलब्ध है।

Construction of Bridge of Markanda River

***561. Shri Arjan Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) the time by which the Construction work of bridge of Markanda River near Kala Amb, which has been collapsed recently, is likely to be started/ completed; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any alternative passage till the bridge mentioned in the part (a) above is not completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री विनोद कुमार शर्मा) :

(क) श्री मान, नये पुल के डिज़ाईन के लिए तकनीकी सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है जो कि तीन महीने के अंदर विस्तृत योजना तैयार करेगा। इसके उपरान्त निविदाएं ली जायेंगी। पुल का कार्य शुरू होने में 5-6 महीने लगेंगे। कार्य पूर्ण होने के लिए समय सीमा अभी तय नहीं की जा सकती क्योंकि यह उसके डिज़ाईन व कार्य की मात्रा पर निर्भर करेगा। नये पुल का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जायेगा।

(ख) हां श्रीमान, काजवे बनाने के लिए लगभग 34.00 लाख रुपये का अनुमान स्वीकृत किया गया है जो कि कम बारिश के मौसम में एक रास्ते का काम करेगा। उसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं और निर्माण कार्य जल्दी शुरू किया जायेगा।

Constructions of Link Roads

***563. Shri Amir Chand Makkar :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following link roads in Hansi Constituency :—

(i) from Dhana kalan to Jamawari (Hansi) ;

(ii) from Dhani Kutubpur to Lalpura and Lalpura to Kulana (Hansi);

(iii) from Jaggabara to Bara Suleman C.C. (Hansi);

(iv) from Madan-Heri to Puthi (Saman);

(v) from Sultanpur to Jaipal Dhani upto village Dhamana; and

(b) if so, the time by which the construction of the link roads referred to in part (a) above is likely to be started ?

बिजली मंत्री (श्री विनोद कुमार शर्मा) :

(क) हांसी विधान सभा क्षेत्र में केवल एक योजक सड़क का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(i) नहीं, श्रीमान् जी।

(ii) सड़क ढाणी कुतुबपुर से लालपुरा-हां, श्रीमान् जी।
सड़क लालपुरा से कुलाना (हांसी) नहीं, श्रीमान् जी।

(iii) नहीं, श्रीमान् जी।

(iv) नहीं, श्रीमान् जी।

(v) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) ढाणी कुतुबपुर से लालपुरा सड़क पर दो माह में कार्य शुरू होने की सम्भावना है।

Irregularities in the appointment of Guest teachers

***564. Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Minister for Education be pleased to state whether BEO Nangal Chaudhary has appointed guest teachers in Government Middle Schools, Amarpur and Bamanwas against the policy of the Government ; if so, the action is being taken against him ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : नहीं, श्रीमान् जी।

Demolishing of Illegal farm Houses

*568. **Shri Bhupinder Chaudhary :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of farm houses illegally constructed in Aravali Hills area and how many of them were demolished after the order of the Hon'ble Supreme Court of India in March, 2002.

(b) whether all of the illegally constructed farm houses in the said zone (Aravali Hills) were demolished by this time if not the reasons for not demolishing all the above said farm houses; and

(c) the action taken by the Government against the concerned officials who were involved in this illegal construction ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

(क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मार्च, 2002 में पारित आदेशों का स्पष्ट विवरण नहीं किया गया, अतः मांगी गई जानकारी नहीं दी जा सकती ।

(ख&ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए इनका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

Shifting of Bus stand, Karnal

*569. **Smt. Sumita Singh :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift Bus Stand, Karnal to Sector-12 for which land was earmarked ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Bus Stand is likely to be shifted ?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला)

(क) जी हां, महोदया

(ख) परिवहन विभाग करनाल बस स्टेण्ड की योजना को सार्वजनिक तथा निजी सहभागिता के माध्यम से निर्माण के लिये सम्भावनाएं खोज रहा है जिसके लिये लगभग दो वर्ष लग सकते हैं। प्रोजैक्ट की कार्य प्रकारता (मौडैलटीस) तैयार की जा रही है।

Removal of Encroachment

*573. **Smt. Rekha Rana :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date on which the land for the development of Sector 6 and 7 of HUDA in Panipat was acquired ; and

(b) whether there is any encroachment on the Green Belt of above said sectors; if so, the names of encroachers; together with the time by which the said encroachment is likely to be got removed from them ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हुडा के सैक्टर 6 व 7, पानीपत के विकास के लिए भूमि विभिन्न अवार्ड्स दिनांक 7-5-1992, 16-10-1992, 14-1-1993, 8-5-1993, 29-4-1994, 21-6-1994, 12-11-1994, 18-12-1995 व 30-2-2001 के द्वारा अर्जित की गई थी।

(ख) जी हां, उपरोक्त सैक्टरों की हरित पट्टी में अतिक्रमण मौजूद है। अतिक्रमणकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मै० सूर्या वूलन मिल,
2. मै० इतिहास मोटर्स,
3. मै० मॉडरन वूलन मिल्ज,
4. श्रीमती रेनू रनेजा,
5. मै० सुविधा ट्रेडर्स,
6. श्रीमती उमा गोयल,
7. श्री सतीश कुमार श्री गोपाल दास,
8. मै० स्वदेशी हैंडलूम,
9. मै० देवेश वूलन मिल्ज,
10. मै० आधुनिक वूलन मिल,
11. जी० सी गर्ग,
12. श्री हरबन्स लाल,
13. मै० सूर्या वूलन मिल,
14. मै० साई ब्लैंकेट,
15. मै० आदर्श वूलन इंडस्ट्री,
16. मै० तिब्बियन वूलन मिल,
17. मै० वूलटैक्स मिल,
18. मै० विशाल उद्योग।

अतिक्रमण के जिन केसों में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगनादेश दिये हुए हैं उन पर न्यायालय के फैसले उपरान्त अथवा स्थगनादेश निरस्त होने उपरान्त विचार किया जाएगा। अन्य अतिक्रमण कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए हटवा दिये जाएंगे।

Pump Houses of Canals of Mahendergarh District

*482. **Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the pump houses of the canals of Mahendergarh District are in bad condition; if so, the time by which these pump houses are likely to be repaired ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान जी, सरकार महेन्द्रगढ़ जिले की नहरों के पम्प हाऊसों की हालत के बारे में अवगत है। वर्तमान में उपलब्ध पानी को उठाने के लिए पम्प हाऊसों की क्षमता काफी है।

यद्यपि इच्छित दक्षता स्तर को कायम रखने के लिए समय-समय पर पम्पों की मरम्मत करनी पड़ती है। वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान जवाहर लाल नेहरू जल सेवाएं परिमण्डल, नारनौल के लिए पम्पों की मरम्मत हेतु 180.00 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए जोकि प्रत्येक वर्ष नियमित आधार पर किया जाता है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

M.L.As. Local Area Development fund

41. **Dr. Sushil Indora :** Will the Chief Minister be pleased to state the constituency-wise details of the amount allocated on the recommendations of the MLAs for the development of local area in district Ambala, Rewari, Sirsa and Bhiwani from HRDF during the year 2005-2006 .

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, वर्ष 2005-2006 के दौरान अम्बाला, रेवाड़ी, सिरसा तथा भिवानी जिलों में स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए एम०एल०एज० की सिफारिशों पर 1548.19 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण अनुबंध 'क' पर है।

अनुबंध 'क'

राशि लाखों में

जिला	निर्वाचन क्षेत्र	आबंटित राशि
अम्बाला	अम्बाला शहर	176.16
	अम्बाला कैंट	0
	मुलाना	99.32
	नंग्गल	49.99
	नारायणगढ़	34.70
	जोड़	360.17

रिवाड़ी	बावल	49.79
	जाटूसाना	98.74
	रिवाड़ी	150.00
	जोड़	298.53
सिरसा	डबवाली	48.61
	दड़बा कलां	50.00
	ऐलनाबाद	31.37
	रोड़ी	47.42
	सिरसा	59.88
	जोड़	237.28
भिवानी	बाढड़ा	99.94
	बवानीखेड़ा	66.72
	भिवानी	59.57
	दादरी	129.37
	लोहारू	97.04
	मुंढाल खुर्द	99.73
	तोशाम	99.84
	जोड़	652.21
	कुल जोड़	1548.19

Land Aquired by Urban Estate

42. **Shri. Karan Singh Dalal** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the detail of the land acquired by the department of Urban Estates for Residential/Industrial purpose, since 1st April 1997 till date in the State; and

(b) the detail of the land released by the Government out of the land referred to in part (a) above so far along with the reason thereof.

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : विवरण सदन के पटल रखा जाता है।

विवरण

अनुलग्नक 'ए'

शहरी सम्पदा विभाग द्वारा 1-4-1997 से अब तक रिहायशी/औद्योगिक उद्देश्य के लिए अर्जित की गई भूमि की सूची

वर्ष	जिला	कुल अर्जित एरिया (एकड़)	रिहायशी उद्देश्य के लिए	औद्योगिक उद्देश्य के लिए
1997-1998	अम्बाला	0.11	0.11	-
	गुड़गाँव	1.05	1.05	-
	हिसार	1.59	1.59	-
	पानीपत	0.42	0.42	-
	रेवाड़ी	9.93	9.93	-
	रोहतक	0.04	0.04	-
	झज्जर	4.88	4.88	-
	भिवानी	0.44	0.44	-
	फरीदाबाद	0.15	0.15	-
	पंचकूला	544.35	544.35	-
	कुल	562.96	562.96	-
1998-1999	गुड़गाँव	4.45	4.45	-
	हिसार	37.31	37.31	-
	करनाल	0.53	0.53	-
	रोहतक	131.12	-	131.12
	झज्जर	687.19	687.19	-
	फरीदाबाद	1703.92	1481.53	222.39
	कुल	2564.52	2211.01	353.51

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1999-2000	पानीपत	1.90	1.90	-
	करनाल	0.72	0.72	-
	कैथल	0.49	0.49	-
	पंचकूला	52.25	52.25	-
	झज्जर	7.76	7.76	-
	रोहतक	37.98	37.98	-
	गुड़गांव	92.59	92.59	-
	महेन्द्रगढ़/ नारनौल	2.09	2.09	-
	कुल	195.78	195.78	-
2000-2001	अम्बाला	0.09	0.09	-
	यमुनानगर	4.21	4.21	-
	गुड़गांव	983.31	983.31	-
	हिसार	1.33	1.33	-
	पानीपत	35.90	35.90	-
	करनाल	0.20	0.20	-
	कुरुक्षेत्र	0.21	0.21	-
	सोनीपत	0.98	0.98	-
	फरीदाबाद	53.69	53.69	-
	पंचकूला	19.03	19.03	-
	कुल	1098.95	1098.95	-
2001-2002	अम्बाला	46.86	46.86	-
	यमुनानगर	11.39	11.39	-
	गुड़गांव	81.10	81.10	-
	फतेहाबाद	141.11	141.11	-
	करनाल	3.55	3.55	-
	कुरुक्षेत्र	40.04	40.04	-

	महेन्द्रगढ़/ नारनौल	88.62	88.62	-
	रेवाड़ी	0.21	0.21	-
	झज्जर	1.60	1.60	-
	सोनीपत	2.69	2.69	-
	फरीदाबाद	5.36	5.36	-
	पंचकूला	24.71	24.71	-
	कुल	**547.24**	**547.24**	**-**
2002-2003	गुड़गांव	77.345	77.345	-
	हिसार	27.64	27.64	-
	पानीपत	593.60	16.51	577.09
	कुरुक्षेत्र	0.93	0.93	-
	कैथल	52.48	52.48	-
	महेन्द्रगढ़/ नारनौल	0.24	0.24	-
	रेवाड़ी	31.08	31.08	-
	झज्जर	3.48	3.48	-
	फरीदाबाद	47.58	47.58	-
	पंचकूला	18.98	18.98	-
	कुल	**853.353**	**276.265**	**577.09**
2003-2004	अम्बाला	343.22	343.22	-
	यमुनानगर	120.35	120.35	-
	गुड़गांव	648.79	647.51	1.28
	हिसार	29.53	29.53	-
	पानीपत	0.91	0.91	-
	कैथल	45.34	45.34	-
	फरीदाबाद	3.84	3.84	-
	पंचकूला	941.65	941.65	-
	कुल	**2133.63**	**2132.35**	**1.28**

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

2004-2005	यमुनानगर	117.42	117.42	-
	गुड़गांव	93.14	93.14	-
	हिसार	1.00	1.00	-
	सिरसा	1.36	1.36	-
	पानीपत	1.73	1.73	-
	कुरुक्षेत्र	116.85	116.85	-
	महेन्द्रगढ़/ नारनौल	0.21	0.21	-
	करनाल	709.77	709.77	-
	रेवाड़ी	0.35	0.35	-
	रोहतक	1035.76	1035.76	-
	झज्जर	1227.85	1227.85	-
	सोनीपत	1166.89	1166.89	-
	फरीदाबाद	4.46	4.46	-
	कुल	**4476.79**	**4476.79**	-
2005-2006	यमुनानगर	1.56	1.56	-
	गुड़गांव	359.905	359.905	-
	हिसार	334.48	334.48	-
	सिरसा	407.41	407.41	-
	जीन्द	403.02	403.02	-
	करनाल	2.65	2.65	-
	कुरुक्षेत्र	69.55	69.55	-
	कैथल	599.72	599.72	-
	रेवाड़ी	678.06	678.06	-
	रोहतक	422.44	422.44	-
	झज्जर	181.07	181.07	-
	सोनीपत	2465.38	2465.38	-
	पंचकूला	41.77	41.77	-
	पटौदी	243.50	243.50	-
	कुल	**6210.515**	**6210.515**	-

2006-2007	अम्बाला	6.78	6.78	-
(27-6-06 तक)	गुड़गांव	1.52	1.52	-
	हिसार	55.53	55.53	-
	कुरुक्षेत्र	2.67	2.67	-
	कुल	66.50	66.50	-
	कुल जोड़	18710.24	17778.36	931.88

अनुलग्नक 'बी'

शहरी सम्पदा विभाग द्वारा 1-4-1997 से अब तक रिलीज की गई भूमि की सूची

जिला पंचकूला

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	किशन चन्द पुत्र श्री मंगल राम	सैक्टर-20 पंचकूला	2.0375	3526/3-6-97	भूमि की मौके पर स्थिति टेढ़ी-मेढ़ी होने के कारण
2.	चौधरी रोशन लाल मैमोरियल दीपमानवसेवा आश्रम चैरीटेबल	सैक्टर-3 पंचकूला	2.4687	7317/12-11-99	धारा-4 से पहले पूजा स्थल निर्मित होने के कारण
3.	कृष्ण सा मिल्ज	उपरोक्त	1.02	7978/10-12-99	धारा-4 से पहले सा-मिल स्थित होने के कारण
4.	श्री प्रेम सिंह ग्राम कुण्डी	सैक्टर-20 पंचकूला	0.13	1876-78/ 21-3-2000	धारा-4 से पहले निर्माण स्थित होने के कारण
5.	श्री सरिया पुत्र ओंकिसना	उपरोक्त	0.10	4708/ 1-9-2000	धारा-4 से पहले निर्माण स्थित होने के कारण
6.	श्री आर० एन० पराशर, आई०ए०एस०	सैक्टर-4 मनसा देवी कैम्पलैक्स, पंचकूला	0.824	7001-05/ 1-9-2000	हुडडा के विकास कार्यों के कारण समझौते के आधार पर तथा निर्माण धारा-4 से पहले होने के कारण
7.	अभे राठौर पत्नी श्री एस०पी० राठौर मकान नं० 190, सैक्टर-16, चण्डीगढ़	सैक्टर-25 पंचकूला	0.04	8079-83/ 7-9-2000	सी०डब्ल्यू०पी० नं० 1926/92 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

8.	ज्येन्द्रा गुरुकुल स्कूल, सैक्टर-1, पंचकूला	सैक्टर-1, पंचकूला	18.82	4508-11/ 11-6-2001	धार्मिक स्थान और स्कूल के लिए ओपन एरिया हेतु
9.	मैसर्ज कृष्णा सा मिल्स, सैक्टर-3, पंचकूला	सैक्टर-3, पंचकूला	1.02	12-17/ 12-1-2003	हुडा के रुके हुए विकास कार्यों को सम्पन्न हेतु

जिला पानीपत

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	राधा स्वामी सत्संग	सैक्टर-17 18 पानीपत	1.48	3510/3-6-97	धारा-4 के पहले निर्माण स्थित होने के कारण
2.	श्री धारा सिंह आदि	सैक्टर-13-17 पानीपत	2.105	8134/1512-99	हुडा के विकास कार्यों तथा समझौते के आधार पर
3.	मैसर्ज आनन्द प्रोडक्ट	सैक्टर-24 पानीपत	0.0502	1948/19-3-99	धारा-4 से पहले फैक्टरी का निर्माण स्थित होने के कारण
4.	मैसर्ज फ्लोरा ईन्टरनैशनल एंड फशीरा स्पीनिंग प्राईवेट लिमिटेड।	सैक्टर-29, (पी-II) पानीपत	3.012	8320-26/ 29-12-2002	धारा-4 से पूर्व चालू उद्योग स्थित होने के कारण
5.	मैसर्ज अत्तर फिल्टे लिमिटेड	उक्त	6.00	8327-33/ 29-11-2002	उक्त
6.	मैसर्ज गार्गी वूलन प्राईवेट लिमिटेड	उक्त	0.405	8334-40/ 29-11-2002	उक्त
7.	मैसर्ज रामा हैंडलूम इण्डस्ट्रीज	उक्त	2.4	83141-47/ 29-11-2002	उक्त
8.	मैसर्ज शंकर वूलन प्राईवेट लिमिटेड	उक्त	0.85	8348-54/ 29-11-2002	उक्त
9.	श्री जोगिन्द्र सिंह दत्तक पुत्र सुरत सिंह	सैक्टर-24 पानीपत	0.25	204-09/ 7-1-2003	हुडा के विकास कार्यों को सम्मुख रखते हुए समझौते के तौर पर
10.	मैसर्ज एस०जी० ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड।	सैक्टर-29, (पी-II) पानीपत	4.781	8629-35/ 23-10-2003	धारा-4 से पूर्व चालू उद्योगों के स्थित होने के कारण

11. मैसर्ज फ्लोरा ईन्टरनेशनल	उक्त	2.00	8669-75/ 23-10-2003	उक्त
12. मैसर्ज गोल्डन फलोरा फनीसिंग	उक्त	3.918	8676-82/ 23-10-2003	उक्त
13. मैसर्ज जीवन ईम्पलूस	उक्त	0.158	8688-94/ 23-10-2003	उक्त
14. मैसर्ज कपिल मुनि स्पिनरज	उक्त	0.703	8695-8701/ 23-10-2003	उक्त
15. मैसर्ज शिया स्पनटैक्स	उक्त	1.625	8702-08/ 23-10-2003	उक्त
16. मैसर्ज कोलनिफ ट्रैडर्स	उक्त	0.493	8709-15/ 23-10-2003	उक्त
17. मैसर्ज के०टी० फैबरज	उक्त	1.287	8716-22/ 23-10-2003	उक्त
18. मैसर्ज महेश्वर प्रीसस्सरज	उक्त	0.247	8723-29/ 23-10-2003	उक्त
19. मैसर्ज सिना एक्सपोर्टस	उक्त	7.062	8730-36/ 23-10-2003	उक्त
20. मैसर्ज जे०वी०आर० स्पीनिंग मिल्ज	उक्त	0.587	8737-44/ 23-10-2003	उक्त
21. मैसर्ज बांके बिहारी	उक्त	1.085	8744-50/ 23-10-2003	उक्त
22. मैसर्ज जैन टैक्स	उक्त	1.847	8715-57/ 23-10-2003	उक्त
23. मैसर्ज पंकज टैक्सटाईल्ज	उक्त	0.314	8758-64/ 23-10-2003	उक्त
24. मैसर्ज आर०पी० ओवरसीज	उक्त	0.475	8765-71/ 23-10-2003	उक्त
25. मैसर्ज प्रदीप कुमार	उक्त	1.00	8772-79/ 23-10-2003	उक्त
26. मैसर्ज ओम प्रकाश	उक्त	1.170	8779-85/ 23-10-2003	उक्त
27. मैसर्ज फलौरा एक्सपोंठ	उक्त	3.206	8786-93/ 23-10-2003	धारा 4 से पूर्व चालू उद्योगों के स्थित होने के कारण

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

28.	मैसर्ज इण्डो आर्ट फैब्रिक	उक्त	0.233	8793-99/ 23-10-2003	उक्त
29.	मैसर्ज भाटिया पैकरज प्रा० लि०	उक्त	1.893	8800-66/ 23-10-2003	उक्त
30.	मैसर्ज अतर फिल्टे	उक्त	3.35	8960-66/ 30-10-2003	उक्त
31.	मैसर्ज गार्गी दूसन	उक्त	0.229	8767-73/ 30-10-2003	उक्त
32.	सी०डब्ल्यू०पी० नं० 1926/92 जगदीश चन्द्र बनाम स्टेट हरियाणा	सैक्टर-17 पानीपत	0.219	3083-87/ 8-4-2004	माननीय उच्च न्यायालय के रिट नं० 1926/92 में में दिए गये निर्देशों की अनुपालना में

जिला यमुनानगर

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया एकड़ में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	श्री कुलवीर सिंह	सैक्टर-17-18, जगाधरी	0.05	7040/59 2000	धारा-4 से पूर्व निर्माण स्थित होने के कारण
2.	श्री रमेश कुमार अच्चरपाल शर्मा आदि	सैक्टर-18, (पी-11) जगाधरी	0.103	7977-81/ 2-7-2004	धारा 4 से पूर्व निर्माण स्थित होने के कारण

जिला करनाल

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया एकड़ में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	मैसर्ज मान कोल्ड स्टोर करनाल	सैक्टर-4-5, करनाल	3.00	2117/6-4-98	धारा-4 से पूर्व निर्माण स्थित होने के कारण

जिला कुरुक्षेत्र

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया एकड़ में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	सर्वश्री हरभिन्द्र सिंह चठ्ठा पुत्र श्री अमर सिंह चठ्ठा श्री साधा राम आदि 22 प्रार्थी	सैक्टर-6,11 कुरुक्षेत्र	40.80	85-88/ 4-1-2006	रिट नं० 1886/08 में कानूनी समाधान तथा रुके हुए विकास कार्य को पूरा करने के लिए हुडका के हित में

2.	मैसर्ज मोती आयस कम्पनी थ्रो श्री बीरभान पुत्र जयन्ती प्रसाद कुरुक्षेत्र	सैक्टर-33 कुरुक्षेत्र	0.3443	6157-61/ 26-6-06	निर्मित पट्रोल पम्प होने के कारण

जिला गुड़गांव

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	एरिया(एकड़)	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	मैसर्ज पार्लेवल एक्सपोर्ट प्रा०लि०	सैक्टर-33-34 गुड़गांव	1.10	3013/20-5-97	माननीय उच्च न्यायालय के सी०डब्लु०पी० नं० 13968/90 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में
2.	मै० अंसल प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लि०	सैक्टर 44,46, गुड़गांव	3.00	3436/30-5-97	लाइसैंसशुदा क्षेत्र होने के कारण
3.	19 प्रार्थी, गुड़गांव	सैक्टर 2,3, गुड़गांव	23.1725	998/19-2-98	माननीय उच्च न्यायालय के सी०डब्लु०पी० नं० 14356/96 आदि में दिये गए निर्देशों की अनुपालना में
4.	राम सरूप एंड बलवंत सिंह	सैक्टर 23, गुड़गांव	0.045	8488/6-11-98	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एस०एल०पी० नं० 4449/86 आदि में दिये निर्देशों की अनुपालना में
5.	मै० इंडस्ट्रागो लि० गुड़गांव	सैक्टर 34, गुड़गांव	1.00	8330/24-2-99	समझौता तथा हुडडा के विकास कार्यों के कारण
6.	श्री अमृत लाल पुत्र श्री जगन्नाथ	सैक्टर 10ए गुड़गांव	0.781	6473-78/ 21-8-03	हुडडा के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए हुडडा के हित में
7.	गोवर्धन दास	सैक्टर 37 गुड़गांव	2.60	6-11/1-1-03	हुडडा के विकास कार्यों को सम्मुख रखते हुए
8.	शिवदासमल कालड़ा	सैक्टर 16 गुड़गांव	0.84	6816/25-8-05	भूमि का असाधारण स्थिति में होने के कारण
9.	मै० ज्यन्ती फिल्मस प्रा०लि० अय सिनेमा	सैक्टर 7 गुड़गांव	0.093	1756-61/ 22-2-06	सिनेमा हाल के साथ लगने/भाग होने के कारण
10.	मै० ग्लेक्सी मरचैन्ट लि०	सैक्टर 21 गुड़गांव	0.875	4901-06/ 17-5-06	समझौते के आधार पर लम्बित रिट नं० 15033/01 तथा हुडा की प्लैनिंग प्रभावित होने के कारण

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

जिला रिवाड़ी

क्र० सं०	पार्टी का नाम	शहरी संपदा/ सैक्टर का नाम	रकबा (एकड़ में)	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	प्रदीप पुत्र श्री तेज सिंह	सैक्टर-4 ए व 6 पार्ट धारूहेड़ा	0.13	2075.77/ 22-3-99	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एस०एल०पी० नं० 10297/93 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में
2.	रत्नी देवी विधवा तेज सिंह	उपरोक्त	0.04	2079-81/ 22-3-99	उपरोक्त
3.	शमशेर सिंह, जसपाल, इन्द्रपाल सर्व श्री दिलीप सिंह आदि	उपरोक्त	0.1	2083-83/ 22-3-99	उपरोक्त
4.	शिलेन्द्र सिंह, जय सिंह, राम सिंह सर्व श्री इन्द्रपाल आदि	उपरोक्त	0.125	2087-81/ 22-3-99	उपरोक्त
5.	रथी रतन पुत्र भूप सिंह आदि	उपरोक्त	1.00	2091-93/ 22-3-99	उपरोक्त
6.	विशाल देवी पत्नी विक्रम सिंह	उपरोक्त	0.92	2095-97/ 22-3-99	उपरोक्त
7.	शिलेन्द्र सिंह, जय सिंह, राम सिंह सर्व श्री इन्दरपाल आदि	उपरोक्त	0.01	2099-101/ 22-3-99	उपरोक्त
8.	शिवदीप देवसी सपुत्र श्योरतन	उपरोक्त	0.63	2103-05/ 22-3-99	उपरोक्त
9.	रामचन्द पुत्र श्री बुधराम आदि	उपरोक्त	0.21	2061-63/ 22-3-99	उपरोक्त
10.	शमशेर सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह	उपरोक्त	0.14	2315-18/ 22-3-99	उपरोक्त
11.	श्योरतन आदि	उपरोक्त	0.18	2319-21/ 22-3-99	उपरोक्त

12.	रोहलाश, ओमप्रकाश वर्मवीर पीसराम, राम प्रसाद पुत्र नौदराम	उपरोक्त	3.56	2067-69/ 22-3-99	भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के एस०एल०पी० नं० 10297/93 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में
13.	राजाराम बौध, बनवारी, ईश्वर सर्व श्री नंगा राम आदि।	सैक्टर 7,6 पार्ट धानढेड़ा	0.55	2323-25/ 22-3-99	उपरोक्त
14.	दीन दयाल पुत्र श्री गणेशी लाल पुत्र श्री हर नारायण	उपरोक्त	0.75	2327-29/ 22-3-99	उपरोक्त
15.	गुलाब सिंह, प्रताप सिंह सुपुत्र फुल सिंह आदि।	उपरोक्त	0.475	2331-33/ 22-3-99	उपरोक्त
16.	गिन्दौड़ी देवी विधवा बुध राम आदि	उपरोक्त	0.73	2335-37/ 22-3-99	उपरोक्त
17.	छैला राम पुत्र श्री रंगा राम आदि	उपरोक्त	0.43	2339-41/ 22-3-99	उपरोक्त
18.	सुबे सिंह, हृदय राम, महेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सिंह बर्फसिंह, राकेश सिंह सुपुत्र श्री भागमल आदि	उपरोक्त	1.375	2343-45/ 22-3-99	उपरोक्त
19.	जहारिया, प्रभु ताराचन्द, रतन सिंह, पीसराम व गिन्दौड़ी देवी पुत्री रामजी लाल आदि।	उपरोक्त	0.037	2347-49/ 22-3-99	उपरोक्त
20.	रामकौर विधवा श्री मान सिंह आदि।	उपरोक्त	0.031	2351-53/ 22-3-99	उपरोक्त

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

21. धर्मवीर पुत्र श्री सुरेश चन्द आदि।	उपरोक्त	0.012	2355-57/ 22-3-99	उपरोक्त
22. मन्जुला पत्नी श्री रिशीपाल आदि	उपरोक्त	0.043	2055-57 22-3-99	उपरोक्त
23. सन्तरा देवी पत्नी श्री राम अवतार आदि	उपरोक्त	0.093	2359-61/ 22-3-99	उपरोक्त
24. कमलेश कुमारी पत्नी गोडन जतोई पुत्र श्री दीनानाथ।	उपरोक्त	0.037	2363-65/ 22-3-99	उपरोक्त.
25. रणवीर सिंह पुत्र श्री होशियार सिंह	उपरोक्त	0.031	2367-69/ 22-3-99	उपरोक्त
26. भागवती पत्नी श्री जगन्नाथ पुत्र जानकीदास	उपरोक्त	0.043	2059-61/ 22-3-99	उपरोक्त
27. श्री सुमित्रा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार आदि।	उपरोक्त	0.043	2063-65/ 22-3-99	उपरोक्त
28. हुक्म चन्द पुत्र श्री बिहारी आदि।	उपरोक्त	0.106	2371-73/ 22-3-99	उपरोक्त
29. कैलाश चन्द पुत्र राधेश्याम आदि।	उपरोक्त	0.25	2375-77/ 22-3-99	उपरोक्त
30. ओमप्रकाश, प्रभुदयाल, सुरेश कुमार पुत्र शिवचरण आदि।	सैक्टर 4ए व 6 पार्ट घारूहेड़ा	0.0106	2379-81/ 22-3-99	उपरोक्त
31. सरपंच ग्राम धारूहेड़ा	उपरोक्त	0.02	2383-85/ 22-3-99	उपरोक्त
32. संजय पुत्र शमशेर सिंह आदि।	उपरोक्त	0.025	2387-89/ 22-3-99	उपरोक्त

33.	शमशेर सिंह पुत्र दिलीप सिंह आदि।	उपरोक्त	0.3	2383-85/ 22-3-99	उपरोक्त
34.	प्रदीप पुत्र तेज सिंह आदि	उपरोक्त	0.256	2111-13/ 22-3-99	उपरोक्त
35.	प्रदीप पुत्र तेजा सिंह आदि।	उपरोक्त	0.031	2115-17/ 22-3-99	उपरोक्त
36.	जितेन्द्र सिंह, जयसिंह राम सिंह पुत्रान इन्द्र पाल सिंह आदि।	उपरोक्त	0.375	2119-21/ 22-3-99	उपरोक्त
37.	जितेन्द्र सिंह, जयसिंह राम सिंह पुत्रान इन्द्र पाल सिंह आदि।	उपरोक्त	0.062	2123-25/ 22-3-99	उपरोक्त
38.	रणवीर सिंह पुत्र भूप सिंह	उपरोक्त	2.00	2129-31/ 22-3-99	उपरोक्त
39.	यदन कुमार, प्रवीन कुमार पुत्रान इन्द्रपाल सिंह आदि।	उपरोक्त	0.108	2132-34/ 22-3-99	उपरोक्त
40.	शिवदीप देवी पुत्रान शिवरत्न	उपरोक्त	0.2	2135-37/ 22-3-99	उपरोक्त
41.	इन्द्रपाल सिंह आदि बेयर आफ विरेन्द्र सिंह पुत्र राम चन्द्र आदि।	उपरोक्त	0.025	2311-13/ 22-3-99	उपरोक्त
42.	रानी हुक्म कौर विधवा भूप सिंह पुत्र गणपत	उपरोक्त	0.2	2139-41/ 22-3-99	उपरोक्त
43.	शिवदीप सिंह देवीस कुमार पुत्रान राम चन्द्र	उपरोक्त	0.162	2143-45/ 22-3-99	उपरोक्त

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

44. रामदेवी पत्नी राम चन्द्र आदि।	उपरोक्त	0.068	2043-45/ 22-3-99	उपरोक्त
45. ललीत कुमार, प्रेमसागर, विवेक कुमार पुत्रान रामचन्द्र	उपरोक्त	0.056	2047-49/ 22-3-99	उपरोक्त
46. शिवदीप सिंह देवीस कुमार पुत्रान शिवरत्न आदि।	उपरोक्त	0.512	2147-49/ 22-3-99	उपरोक्त
47. विशाल देवी विधवा विक्रम सिंह पुत्र भूप सिंह	सै० 4ए व 6 पार्ट मारुहेड़ा	1.225	2154-56/ 22-3-99	उपरोक्त
48. शमशेर सिंह पुत्र दलीप सिंह आदि।	उपरोक्त	0.24	2158-60/ 22-3-99	उपरोक्त
49. जितेन्द्र सिंह, जयसिंह, राम सिंह पुत्र इन्द्रपाल	उपरोक्त	0.543	2162-64/ 22-3-99	उपरोक्त
50. शान्ति देवी पत्नी ताराचन्द पुत्र रामजी लाल	उपरोक्त	1.506	2166-68/ 22-3-99	उपरोक्त
51. राकेश पुत्र दयाचन्द आदि	उपरोक्त	0.05	2170-72/ 22-3-99	उपरोक्त
52. राजकुमार पुत्र रघुबीर आदि	उपरोक्त	0.081	2174-76/ 22-3-99	उपरोक्त
53. सन्तोष कुमारी पत्नी सुरेश चन्द्र आदि	उपरोक्त	0.05	2178-80/ 22-3-99	उपरोक्त
54. लखी चन्द, भूदेव दत्त पुत्रान खुशीराम	उपरोक्त	0.043	2181-84/ 22-3-99	उपरोक्त
55. रामेश्वर पुत्र श्योकरण पुत्र अमी लाल	उपरोक्त	0.0187	2186-88/ 22-3-99	उपरोक्त

56.	वेदपाल पुत्र सुल्तान सिंह पुत्र भोजीराम	उपरोक्त	0.0687	2190-92/ 22-3-99	उपरोक्त
57.	रंगलाल पुत्र श्री सोहन लाल आदि।	उपरोक्त	0.037	2193-96/ 22-3-99	उपरोक्त
58.	रामकिशोर पुत्र श्री सम्मू दयाल	उपरोक्त	0.056	2198-2000/ 22-3-99	उपरोक्त
59.	मदन लाल/ रामेश्वर दयाल, बनवारी लाल पुत्रान लाल आदि।	उपरोक्त	0.068	2202-04/ 22-3-99	उपरोक्त
60.	श्रीमती पत्नी लक्ष्मी चन्द पुत्र शिव नारायण	उपरोक्त	0.062	2206-08/ 22-3-99	उपरोक्त
61.	बिमा पत्नी लाल चन्द पुत्र नन्द किशोर	उपरोक्त	0.0625	2206-08/ 22-3-99	उपरोक्त
62.	सुधा पत्नी अजीत कुमार आदि।	उपरोक्त	0.112	2210-12/ 22-3-99	उपरोक्त
63.	सुरेश चन्द पुत्र अमी चन्द	उपरोक्त	0.068	2218-20/ 22-3-99	उपरोक्त
64.	राम नरेश पुत्र ननधारी पुत्र महादेव प्रसाद	उपरोक्त	0.068	2222-24/ 22-3-99	उपरोक्त
65.	श्योमराम पुत्र हीरा आदि	सै० 4 व 6 पार्ट धारूहेड़ा	0.0375	2227-29/ 22-3-99	उपरोक्त
66.	लक्ष्मी नारायण पुत्र राम कुमार पुत्र मालादीन	उपरोक्त	0.043	2231-32/ 22-3-99	उपरोक्त
67.	जगदीश चन्द पुत्र काशी राम	उपरोक्त	0.125	2234-36/ 22-3-99	उपरोक्त
68.	सन्देलता पत्नी कुमन्त प्रसाद, श्रीमती कृष्णा देवी	उपरोक्त	0.031	2239-40/ 22-3-99	उपरोक्त

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

69. भरपाई पत्नी सीता राम आदि।	उपरोक्त	0.393	2242-44/ 22-3-99	उपरोक्त
70. शान्ति देवी पत्नी अशोक कुमार आदि।	उपरोक्त	0.144	2250-52/ 22-3-99	उपरोक्त
71. मुन्नी देवी पत्नी अशोक कुमार आदि।	उपरोक्त	0.068	2250-52/ 22-3-99	उपरोक्त
72. संजीव पुत्र लाजपत राय पुत्र विद्यारत्न	उपरोक्त	0.106	2254-56/ 22-3-99	उपरोक्त
73. मन्जु पत्नी महेन्द्र कुमार आदि।	उपरोक्त	0.031	2258-60/ 22-3-99	उपरोक्त
74. माया पत्नी जयगोपाल आदि।	उपरोक्त	0.375	2262-64/ 22-3-99	उपरोक्त
75. मंगल राम पुत्र छत्तरमल	उपरोक्त	0.025	2267-69/ 22-3-99	उपरोक्त
76. इमरती देवी पत्नी रामानन्द आदि।	उपरोक्त	0.075	2270-72/ 22-3-99	उपरोक्त
77. शमशेर- उदेयवीर सिंह, राजवीर पुत्रान खुशी राम	उपरोक्त	0.137	2274-76/ 22-3-99	उपरोक्त
78. सुभाष चन्द पुत्र लाल चन्द आदि।	उपरोक्त	0.0375	2278-80/ 22-3-99	उपरोक्त
79. ओमप्रकाश पुत्र श्री रघुबीर सिंह	उपरोक्त	0.05	2282-84/ 22-3-99	उपरोक्त
80. भरतु, प्रभु सीसराम, जीवनराम, पुत्र सुखलाल आदि।	उपरोक्त	0.100	2286-88/ 22-3-99	उपरोक्त
81. सरती, बन्तो पुत्री सावंत राम, बदलु राम आदि।	सै०4 एवं 6 पार्ट धारूहेड़ा	0.125	2289-92/ 22-3-99	उपरोक्त

82.	संपत, भनी पुत्रान श्री पतराम आदि।	उपरोक्त	1.25	2294-96/ 22-3-99	उपरोक्त
83.	गोपी चन्द पुत्र लाली पुत्री मगनी पत्नी पारवती आदि।	उपरोक्त	0.25	2298-2300/ 22-3-99	उपरोक्त
84.	भातादीन आदि, गौरी शंकर पुत्र उण्डी व कुन्दर आदि।	उपरोक्त	0.5	2302-04/ 22-3-99	उपरोक्त
85.	शिवरत्न सिंह पुत्र शकुन्तला देवी पुत्री रानी हुक्म कौर पत्नी भूप सिंह	उपरोक्त	0.606	2305-07/ 22-3-99	उपरोक्त
86.	सरपंच ग्राम देह, धारूहेड़ा	उपरोक्त	0.056	2305-09/ 22-3-99	उपरोक्त
87.	सुमित्रा देवी	सै० 4 रेवाड़ी	0.131	5423/ 7-8-2000	माननीय उच्च न्यायालय सी०डब्लु०पी० नं० 6789/93 में दिये निर्देशों की अनुपालना में
88.	पन्ना लाल पुत्र लक्ष्मण	उपरोक्त	0.0562	उपरोक्त	उपरोक्त
89.	मुन्शी राम पुत्र रती राम	उपरोक्त	0.0125	उपरोक्त	उपरोक्त
90.	बाबू राम पुत्र दुली चन्द	उपरोक्त	0.062	उपरोक्त	उपरोक्त
91.	रामजीलाल पुत्र मेहर सिंह	उपरोक्त	0.100	उपरोक्त	उपरोक्त
92.	विजय कुमार पुत्र अमर सिंह आदि।	उपरोक्त	0.080	उपरोक्त	उपरोक्त
93.	रामकला पुत्र मुरली आदि	सै० 4 रिवाड़ी	0.05	5423/ 7-8-2000	उपरोक्त
94.	दास राम पुत्र ईश्वर दास	उपरोक्त	0.0375	उपरोक्त	उपरोक्त

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

95.	शिशराम पुत्र श्री गिरधारी आदि।	उपरोक्त	0.237	उपरोक्त	उपरोक्त
96.	आज्ञावती पत्नी धरपाल आदि।	उपरोक्त	9.831	उपरोक्त	उपरोक्त
97.	बनवारी लाल आदि।	उपरोक्त	0.675	उपरोक्त	उपरोक्त
98.	हुक्म सिंह आदि।	उपरोक्त	1.55	उपरोक्त	उपरोक्त
99.	अन्नी लाल पुत्र बदलू राम आदि।	उपरोक्त	1.125	उपरोक्त	उपरोक्त
100.	राम सरूप पुत्र चुन्ना	उपरोक्त	0.106	उपरोक्त	उपरोक्त
101.	सुल्तान सिंह पुत्र श्री चुन्ना	उपरोक्त	0.112	उपरोक्त	उपरोक्त
102.	गैला राम पुत्र श्री रामजी लाल	उपरोक्त	0.182	उपरोक्त	उपरोक्त

जिला महेन्द्रगढ़ (नारनौल)

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज़ भूमि एरिया एकड़ में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	कलावती	सैक्टर-1, नारनौल	0.103	261/13-1-97	अधिसूचना धारा 4 से पहले निर्माण स्थित होने के कारण
2.	राय गुलाब सिंह	उपरोक्त	0.0619	1216/28-2-97	उपरोक्त
3.	सुरेन्द्र सिंह सुपुत्र सूरजभान	उपरोक्त	0.0619	उपरोक्त	उपरोक्त
4.	कृष्णा देवी पत्नी भूपसिंह	उपरोक्त	0.0619	उपरोक्त	उपरोक्त
5.	रवीन्द्र सिंह सुपुत्र नरेश सिंह	उपरोक्त	0.0619	उपरोक्त	उपरोक्त
6.	ओम प्रकाश सुपुत्र मुखराम	उपरोक्त	0.0619	उपरोक्त	उपरोक्त
7.	रणबीर सिंह सुपुत्र खुशीराम	उपरोक्त	0.0433	उपरोक्त	उपरोक्त

8.	बबली देवी एण्ड रामचन्द्र	उपरोक्त	0.0619	उपरोक्त	उपरोक्त
9.	भीम सिंह सुपुत्र उदयधारी लाल	उपरोक्त	0.0619	उपरोक्त	उपरोक्त
10.	मेवा सिंह	उपरोक्त	0.0309	उपरोक्त	उपरोक्त
11.	भजादीन, पृथ्वी सिंह	उपरोक्त	0.0619	उपरोक्त	उपरोक्त
12.	रोहताश	सैक्टर-1, नारनौल	0.05	1216/28-2-97	उपरोक्त
13.	आर०के० पुनिया	उपरोक्त	0.0626	उपरोक्त	उपरोक्त
14.	के०के० यादव	उपरोक्त	0.248	उपरोक्त	उपरोक्त
15.	राम कुमार, नारनौल	उपरोक्त	0.0808	3502/ 6-5-99	अधिसूचना धारा 4 से पहले निर्माण स्थित होने के कारण
16.	विनोद कुमार गुप्ता	उपरोक्त	0.165	3506/ 6-5-99	उपरोक्त
17.	श्याम सुन्दर सुपुत्र जय राम	उपरोक्त	0.046	5516-42/ 10-8-2000	माननीय उच्च न्यायालय के सी०डब्लु०पी० नं० 3128/95 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में
18.	जय प्रकाश सुपुत्र भूर सिंह	उपरोक्त	0.092	उपरोक्त	उपरोक्त
19.	सुशीला देवी पत्नी राम अवतार	उपरोक्त	0.092	उपरोक्त	उपरोक्त
20.	सहदेव	उपरोक्त	0.103	उपरोक्त	उपरोक्त
21.	भानमति पत्नी जोगिन्द्र	उपरोक्त	0.030	उपरोक्त	उपरोक्त
22.	राम प्यारी पत्नी सतबीर आदि।	उपरोक्त	0.077	उपरोक्त	उपरोक्त
23.	भोली देवी पत्नी भनी देवी	उपरोक्त	0.061	उपरोक्त	उपरोक्त
24.	जय नारायण सुपुत्र सांवल राम	उपरोक्त	0.061	उपरोक्त	उपरोक्त
25.	ज्ञान चन्द पुत्र सांवल राम	उपरोक्त	0.041	उपरोक्त	उपरोक्त
26.	सन्तोष देवी पत्नी देवेन्द्र	उपरोक्त	0.247	उपरोक्त	उपरोक्त

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

27.	शेर सिंह सुपुत्र गंगा राम	सैक्टर-1, नारनौल	0.061	5516/42/ 10-8-2000	उपरोक्त
28.	जितेन्द्र कुमार, वकील	उपरोक्त	0.089	उपरोक्त	उपरोक्त
29.	भरेश कुमार, सुपुत्र रामजी लाल	उपरोक्त	0.109	उपरोक्त	उपरोक्त
30.	बिमला देवी पत्नी सुल्तान सिंह	उपरोक्त	0.092	उपरोक्त	उपरोक्त
31.	बिरेन्द्र कुमार पत्नी कंचन लाल	उपरोक्त	0.061	उपरोक्त	उपरोक्त
32.	धूल चन्द सैनी	उपरोक्त	0.033	उपरोक्त	उपरोक्त
33.	सुरेश चन्द सुपुत्र प्रभाती लाल	उपरोक्त	0.064	उपरोक्त	उपरोक्त
34.	अनीता पत्नी राज कुमार	उपरोक्त	0.082	उपरोक्त	उपरोक्त
35.	दरिया सिंह सुपुत्र जय नारायण	उपरोक्त	0.165	उपरोक्त	उपरोक्त
36.	महाबीर प्रसाद	उपरोक्त	0.061	उपरोक्त	उपरोक्त
37.	बीसा राम सुपुत्र देव करण	उपरोक्त	0.082	उपरोक्त	उपरोक्त
38.	महेन्द्र प्रताप	उपरोक्त	0.165	उपरोक्त	उपरोक्त
39.	श्रीमति रमकला पत्नी श्री हरि सिंह	सैक्टर-1 नारनौल	0.123	8225-28/ 6-11-2001	धारा-4 से पूर्व रिहायशी निर्माण होने के कारण
40.	श्रीमती सुमित्र देवी पुत्र आर० के० पुनिया	उपरोक्त	0.826	9149-52/ 28-12-2001	उपरोक्त
41.	श्रीमती रामप्यारी पत्नि सतबीर सिंह एडनोकेट	उपरोक्त	0.087	169-74/ 6-1-2003	उपरोक्त

जिला फरीदाबाद

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया एकड़ में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	जी०एस०योचर	सैक्टर-20, फरीदाबाद	0.8937	3303/27-5-97	धारा 4 से पहले फैक्टरी स्थित होने के कारण
2.	मैसर्ज बीको इन्जि०	सैक्टर-59 पार्ट-II फरीदाबाद	12.87	4041/ 27-6-97	उपरोक्त
3.	मैसर्ज विरफुल इण्डिया	उपरोक्त	6.2	3522/3-6-97	उपरोक्त
4.	मैसर्ज एम०एम० कास्टीग	उपरोक्त	1.4	3000/1-5-98	उपरोक्त
5.	मैसर्ज एक्म इन्टरनेशनल	उपरोक्त	22.00	3185/3-5-98	उपरोक्त
6.	मैसर्ज हिन्दुस्तान गैस	उपरोक्त	1.0937	1662/24-3-98	उपरोक्त
7.	मैसर्ज बी०के० कपूर	उपरोक्त	1.00	6748/16-11-98	उपरोक्त
8.	मैसर्ज सहरा	उपरोक्त	4.381	5062/18-8-98	उपरोक्त
9.	मैसर्ज दिल्ली अलाईज	उपरोक्त	4.381	14-7-98	उपरोक्त
10.	मैसर्ज ए०सी०ई० कान्स्ट्रक्शन	उपरोक्त	1.6187	6-8-98	उपरोक्त
11.	मैसर्ज विकास फिलीग स्टेशन	उपरोक्त	0.65	5636/11-9-98	उपरोक्त
12.	श्री राजेश कुमार आदि	सैक्टर 64 फरीदाबाद	0.117	3025/4-5-98	उपरोक्त
13.	बजरंग अनुसन्धान केन्द्र	सैक्टर 11 फरीदाबाद	0.8264	4777/9-7-99	उपरोक्त
14.	मैसर्ज इण्डो अमरीकन, सैक्टर-59, फरीदाबाद	सैक्टर 59, फरीदाबाद	11.21	124/7-1-2000	सुरक्षा के विकास कार्यों के हित में।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

15.	किशन सिंह व श्रीमति छुटन देवी ग्राम झाड़ सैतली जिला फरीदाबाद	उपरोक्त	1.0	9145-48/ 28-12-2001	धारा 4 से पहले निर्मित समाधि होने के कारण
16.	श्री मोहन लाल, झाड़ सैतली जिला फरीदाबाद	उपरोक्त	0.56	उपरोक्त	धारा 4 से पहले निर्माण स्थित होने के कारण
17.	निवासीगण ग्राम मलरेना आदि की	सैक्टर-62, 64, 65 फरीदाबाद	35.10	3441-43/ 13-5-2002	सी०डब्ल्यू०पी० नं० 5413/98 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में
18.	निवासीगण ग्राम मेवला महाराजपुर	सैक्टर 46, फरीदाबाद	2.50	117/3-1-2003	धारा 4 से पहले घना निर्माण होने के कारण
19.	निवासीगण ग्राम कैल	सैक्टर 59, फरीदाबाद	0.85	271/13-1-2003	उपरोक्त

जिला सोनीपत

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया एकड़ में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	आवासीय ग्राम फाजिलपुर	सैक्टर-3, सोनीपत	1.58	4946-50/ 3-7-2003	धारा 4 से पूर्व रिहायशी बस्ती होने के कारण
2.	मैसर्ज जगमोहन मोटर्ज, शिव शंकर सोसायटी, श्री सुरेन्द्र, जगदीश आदि।	सैक्टर 2 सोनीपत	8.00	6586-92/ 17-8-2005	धारा 4 से पूर्व घना निर्माण होने के कारण
3.	मैसर्ज ओमक्स बर्जरैस बिल्डिंग सोसायटी	सैक्टर 58 सोनीपत	53.505	9995-10000/ 27-12-2005	भूमि विवादित होने तथा समन्वित विकास के लिए लाईसैंस प्रदान किए जाने के कारण
4.	सतबीर सिंह पुत्र मांगे राम	सैक्टर 19 सोनीपत	4.431	4524-28/ 10-5-06	उपरोक्त
5.	मैसर्ज इनटाईम परमोटरस	उपरोक्त	12.64	4529-34/ 10-5-06	उपरोक्त
6.	रमेश्वर पुत्र मांगे राम	उपरोक्त	3.875	4536-40/ 10-5-06	उपरोक्त

जिला झज्जर

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया एकड़ में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	मैसर्ज जैन सेरेमिक	बहादुरगढ़ सैक्टर-9, 9ए	3.875	2006/ 4-4-97	धारा 4 से पहले का निर्माण स्थित होने के कारण
2.	श्रीमती कश्मीरी देवी	उपरोक्त	0.413	2162/10-4-97	उपरोक्त
3.	श्रीमहित मोहनी सिंह	उपरोक्त	0.4049	2730/6-5-97	उपरोक्त
4.	कश्मीरी प्लॉट होल्डरज	उपरोक्त	10.00	2817/12-5-97	उपरोक्त
5.	नफे सिंह राठी व पूर्ण सिंह राठी	उपरोक्त	0.23	7360/15-11-99	निर्माण स्थित होने के कारण
6.	नफे सिंह राठी व पूर्ण सिंह राठी	सैक्टर 2 बहादुरगढ़	0.48	7364/15-11-99	निर्माण स्थित होने के कारण
7.	श्री जगबीर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह	सैक्टर 9,9ए बहादुरगढ़	0.09	5632-39/ 24-7-2003	सी०डब्ल्यू० पी० नं० 14353/01 व 15285/01 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में
8.	आवासीय सैक्टर 9,9ए व 2 बहादुरगढ़	सैक्टर 9, 9ए, व 2 बहादुरगढ़	11.84	238-48/ 8-1-2000	एस०एल०पी० नं० 585/99 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में

जिला हिसार

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया एकड़ में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	श्री मदन लाल, इन्द्रजीत कौर, बिमला देवी	सैक्टर-13, हिसार	0.423	14155-59/ 20-11-2000	धारा 4 से पूर्व चालू उद्योग स्थित होने के कारण
2.	श्री सुरेश कुमार, राजपाल पुत्र श्री राम कृष्ण	सैक्टर-13, (पी) हिसार	0.208	7648-51/ 9-10-2001	रिहायशी प्रयोग हेतु हुडा की योजना के अन्तर्गत

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

3.	प्रेम कालोनी	से० 16-17 हिसार	3.2375	194/7-1-03	निर्मित रिहायशी कालोनी होने के कारण
4.	श्री सुशील पुत्र श्री विश्वम्भर दयाल	सैक्टर 13, हिसार	0.113	10173-75/ 16-12-2003	निर्मित रिहायशी कालोनी होने के कारण
5.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री हुकम चन्द पैट्रोल पम्प हांसी	हांसी	0.345	4719/ 26-3-2003	डिमारकेशन प्लान में पैट्रोल पम्प की एडजैस्टमैन्ट होने के कारण।
6.	श्रीमति मोहनी देवी	सैक्टर 16-17, हिसार	0.0875	5817/14-6-06	पहले छोड़ी गई भूमि के साथ लगने तथा हुडा की प्लैनिंग के आधार पर।

जिला फतेहाबाद

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया एकड़ में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	श्री राजीव कुमार व गुलशन कुमार	सैक्टर-3, फतेहाबाद	0.94375	9137-40/ 28-12-01	धारा 4 से पहले रिहायशी निर्माण स्थित होने के कारण।
2.	मैसर्ज बजाज प्रोजक्ट	उक्त	0.625	9141-44/ 28-12-01	धारा-4 से पहले चालू यूनिट स्थित होने के कारण।

जिला कैथल

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया एकड़ में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	सुरेश कुमार पुत्र कबुल चन्द	सैक्टर-18, कैथल	0.0125	7167-71/ 8-9-05	भूमि का असमान्य स्थिति में होने के कारण
2.	रिहायशी ग्रीन बैल्ट	उक्त	20.00	6561-65/ 16-8-05	धारा 4 से पहले निर्माण होने के कारण
3.	रिट नं० 1347/93 रोशन लाल और वगैरा	सैक्टर 21, कैथल	1.00	5762/ 25-6-2004	रिट नं० 1347/93 में विवाद को समाप्त करने हेतु

जिला रोहतक

क्र० सं०	पार्टी का नाम	सैक्टर का नाम	रिलीज भूमि एरिया एकड़ में	आदेश व दिनांक	विशेष कथन/कारण
1.	श्री सूरज भान और राजिन्द्र सिंह	सैक्टर-3, रोहतक	4.92	4588-92/ 31-7-99	धारा-4 से पहले निर्माण स्थिति होने के कारण
2.	श्री ओम एंड सुशील कुमार पुत्र श्री करतार सिंह	सैक्टर-27, रोहतक	0.0619	8239-43/ 14-10-2005	धारा 4 से पूर्व निर्माण स्थित होने के कारण
3.	श्री भगत पुत्र ब्रहमाधर्था	सैक्टर-27, रोहतक	52.05	5756-61/ 12-6-06	भूमि विवादित होने 'रिट नं० 189-84', तथा विवाद खत्म करने हेतु सरकार द्वारा लाईसैंस प्रदान किये जाने के कारण
4.	सुरत सिंह, रमेश, सुरेश	उक्त	60.43	5769-73/ 12-6-06	उपरोक्त

Installation of Petrol Pumps in Panchkula City

43. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the sites earmarked for installation of petrol pump in Panchkula City by HUDA;

(b) the details of the sites allotted out of the sites referred to in part (a) above during the period from March, 2000 to March, 2005 together with the names of the persons/firms alongwith partners of the allottees alongwith the amount realized there from ; and

(c) the procedures adopted for the allotment of sites referred to in part(b) above ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी,

(क) पंचकूला शहर में पैट्रोल पम्पों की स्थापना हेतु काटे गए कुल 23 स्थलों का विवरण अनुलंग्क "ए" पर उपलब्ध है।

(ख) "क" में वर्णित स्थलों में से मार्च, 2000 से मार्च, 2005 के मध्य कुल 12 स्थलों के नियतन का विवरण, जिनको नियत किए गए उनके नामों तथा उनसे अब तक वसूल की गई राशि के विवरण सहित अनुलंग्क "बी" पर उपलब्ध है। वह सभी पब्लिक सैक्टर की तेल कम्पनियां हैं।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

(ग) पैट्रोल पम्प के स्थलों का नियतन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है। उपलब्ध स्थलों को नियतन हेतु विज्ञापित किया जाता है। इस आशय का विज्ञापन अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। जिस द्वारा सरकारी क्षेत्र व प्राइवेट क्षेत्र की तेल कम्पनियों से आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं। इन स्थलों का किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नियतन का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी एक स्थल के विरुद्ध एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो स्थल के नियतन का निर्णय लाटरी के माध्यम से किया जाता है।

उक्त अनुलग्नक "बी" पर वर्णित 12 नियतनों में से 11 नियतन (अनुलग्नक "बी" में क्रम संख्या 1 से 11 तक) उक्त प्रक्रिया की अनुपालना उपरान्त किए गए हैं, परन्तु क्रम संख्या 12 पर वर्णित नियतन पुराना पंचकूला में स्थित पैट्रोल पम्प का पुनर्वास करने हेतु, उक्त नीति में छूट उपरान्त, प्राधिकरण की अनुमति से सैक्टर-1 पंचकूला में किया गया है।

अनुलग्नक "ए"

शहरी सम्पदा पंचकूला में पैट्रोल पम्प हेतु स्थल अंकित/काटने बारे सूची।

सैक्टर नं०	पैट्रोल पम्पों की संख्या
1	2
2	1
3	2
4	1
5	2
8	1
14	1
16	1
20	1
औद्योगिक क्षेत्र फेस-1	1
औद्योगिक क्षेत्र फेस-2	1
22	1
25	1
27	1
31	2
मनसा देवी कम्पलैक्स सै०-2	1
मनसा देवी कम्पलैक्स सै०-3	1
मनसा देवी कम्पलैक्स सै०-5 ए	2
कुल योग =	23

अनुलग्नक "बी"

पंचकूला में मार्च, 2000 से मार्च, 2005 की अवधि के दौरान आंबटित पैट्रोल पम्प स्थलों का ब्यौरा।

क्र० सं०	सैक्टर नं०	कम्पनी का नाम	आंबटन की तिथि	प्रति मास किराया (रुपयों में)
1.	2	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	30-11-2000	28,950-00
2.	3	आई०बी०पी० कम्पनी लि०	30-11-2000	19,300-00
3.	5 (I)	-उपरोक्त-	30-11-2000	24,125-00
4.	5(II)	-उपरोक्त-	30-11-2000	24,125-00
5.	20	-उपरोक्त-	30-11-2000	19,300-00
6.	औ० क्षेत्र-I	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०	30-11-2000	19,300-00
7.	औ० क्षेत्र-II	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	30-11-2000	28,950-00
8.	25	इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०	30-11-2000	19,300-00
9.	26 (वैकल्पिक सै०-3 एम०डी०सी०)	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	30-11-2000	19,300-00
10.	27	-उपरोक्त-	30-11-2000	19,300-00
11.	28 (वैकल्पिक सै०-5 एम०डी०सी०)	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	30-11-2000	19,300-00
12.	1	-उपरोक्त-	4-1-2005	27,000-00

उपरोक्त अलाटियों से 97,63,052-00 रु० वसूल किए गए हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

शाहबाद शहर में हाल ही में हुए पीलिया/हैपैटाइटिस-ई के मामलों संबंधी।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri K.L. Sharma, M.L.A. regarding the cases of Jaundice/Hepatitis-E which have taken place in Shahbad town recently. I admit it. Shri K.L. Sharma, M.L.A may read out his notice.

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। विपक्ष के साथियों ने वाक आऊट किया था लेकिन ये सदन से बाहर नहीं गये और वापिस आ गये। यह वाक आऊट किस तरह से हुआ ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री के०एल० शर्मा : स्पीकर सर (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : सुरजेवाला जी, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : इंदौरा जी, आप स्पीकर साहब को एड्रैस करके बात करें। आपका व्यवहार उस कहावत को चरितार्थ करता है जैसे खिसयानी बिल्ली खम्बा नौचे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, *** * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Indora Ji don't compell me. The time of the House is very important.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * ** (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * ** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी इजाजत के बगैर जो सदस्य बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान) Nothing is to be recorded.

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * ** * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Indora Ji please sit down. Sharma Ji, please read your notice.

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * ** * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I request to all the Hon'ble Members, please take your seats. This Calling Attention Motion is pertaining to the health of the State. (Noise & Interruptions).

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आई०जी० गवर्नमैंट कालेज,टोहाना के छात्र सदन की कार्यवाही देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इस नई पीढ़ी के सामने मेरे विपक्ष के साथी अपने लोकदल की मानसिकता यहां न दिखायें । (शोर एवं व्यवधान) इनको यहां कोई अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए ताकि ये देश की अगली पीढ़ी में अपना इम्प्रैशन जमा पायें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. K.L. Sharma, please read your notice. (शोर एवं व्यवधान)

श्री के०एल० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल लोकदल के सभी सदस्य सदन की लौबी में आ गये और नारे लगाने लगे।) (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज। आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों को सदन की परम्पराओं का निर्वहन करने में योगदान देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Sharma Ji, please read your notice.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री के०एल० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक बहुत ही लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हाल ही में शाहबाद कस्बे में पीलिया/हेपाटाइटस-ई के मामले हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं यह बात भी सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसके कारण गत् दो सप्ताह के दौरान शाहबाद कस्बे में पांच व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संकट को रोकने के लिए प्राथमिकता के आधार पर तुरंत आवश्यक पग उठाये जायें तथा दोषी अधिकारियों/कर्मधारियों को फटकार लगाई जाए। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष : मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। आपको सप्लीमैंटरी डिमांडस पर अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) डॉ० साहब, आप अपनी सीट पर बैठें, आपको अपनी बात कहने के लिए पूरी अपोर्चुनिटी मिलेगी। Please take your seat. (Interruptions) डॉ० साहब, आपका ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। (विघ्न एवं शोर) आपकी पूरी बात अखबारों में छप जाएगी, अब आप लोग अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के अलावा इन्दौरा साहब और इनकी पार्टी किसी और चीज में इन्ट्रस्टिड नहीं है (विघ्न एवं शोर) सदन की कार्यवाही को गम्भीरता से चलाने के अन्दर ये लोग इन्ट्रस्टिड नहीं हैं। इन्हें यह भी मालूम नहीं है। कि किस विषय को कहां पर उठाना है और किस प्रकार से उठाना है ? (विघ्न एवं शोर) डॉ० साहब, आप लोग पढ़े-लिखे आदमी हैं कम से कम आपको तो इस प्रकार की उद्दण्डता का परिचय नहीं देना चाहिए। (विघ्न एवं शोर) प्रजातान्त्रिक परम्पराओं का निर्वहन करने की कोई बात आप सीखें (विघ्न एवं शोर) आप अपने नेता से यह बात सीख कर आ गए और यहां पर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तभी तो वे आए नहीं हैं पहले से ही उनके वाले काम आपने चालू कर दिए।(विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें, आपकी सब बातें अखबारों में छपेंगी (विघ्न एवं शोर) Dr. Sahib, this is a very important Calling Attention Motion. The Hon'ble Health Minister is giving reply. This Calling Attention Notice is pertaining to the Health of the State. Please listen the reply, I will provide you the opportunity. (Interruptions) Nothing is to be recorded. Please take your seats.

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, * * * * * * * * *

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, * * * * * * * * *

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, आप इनके प्रति दरियादिली दिखा रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि ये अपनी सीटों पर जा कर बात करें लेकिन ये लोग आपकी बात की तरफ

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और माननीय इन्दौरा साहब आपकी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं।(विघ्न एवं शोर) इन्दौरा साहब, जहां पर खड़े होकर आप बात कर रहे हैं। क्या यह आपकी सीट है ? (विघ्न एवं शोर) क्या बदमाशजी और बदतमीजी के सिवाए आपके नेता ने आपको और कुछ नहीं सिखाया है ? (विघ्न एवं शोर) आप माननीय विधायक और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : You will get the opportunity. Please take your seat. (Interruptions)

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, * * * * * * * * *

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डॉ० साहब, परम्पराओं का निर्वहन करने का क्या यह भी कोई तरीका है ? (विघ्न एवं शोर) स्पीकर साहब, सच बात तो यह है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की भाषा को ही ये लोग समझते हैं। प्रेम की भाषा सदाचार और सदभाव की बातों को तो ये लोग समझते ही नहीं हैं। यह केवल उसी भाषा को समझते हैं जब विधायकों के हाथ-पांव तेजा खेड़ा फार्म के अन्दर तोड़े जाया करते थे। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, * * * * * * * * *

Mr. Speaker : Indora Sahib, you are a seasoned parliamentarian. Please take your seat now. Nothing is to recorded. Please take your seats. (Interruptions)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : इतना इम्पोर्टेंट इशू सदन में विचाराधीन है। (विघ्न एवं शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में लोगों के जन-स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय श्री के०एल० शर्मा जी ने उठाया है जिसके कारण प्रदेश में पांच लोगों की मृत्यु हो गई है। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष: डॉ० साहब, आप एक सीजन्ड पार्लियामैंटेरियन हैं। प्लीज, आप अपनी सीट से बोलें। (विघ्न एवं शोर) आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर जा कर बैठें और जो भी बात कहनी हैं, वहीं से कहें (विघ्न एवं शोर)

(इस समय इण्डियन नैशनल लोकदल के हाउस में उपस्थित सभी विधायकगण वैल में आकर नारेबाजी करने लगे)

डॉ० साहब , आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर जाएं। (विघ्न एवं शोर) You are not sincere about the health of the people of the State. The Calling Attention Notice pertaining to the health of the people of the State has been admitted. The Hon'ble Health Minister is giving the reply. Please listen the reply.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मुख्तार अंसारी और डिम्पी के साथ फोटो किसके नजर आया करते थे ? अगर पूछना है तो इनसे यह भी पूछिये कि देश के कुख्यात बदमाशों के साथ तेजा खेड़ा फार्म पर बैठकर लड़कियों के साथ कौन देखता था? (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इनसे यह भी पूछिये कि मुख्तार अन्सारी को तेजा खेड़ा फार्म पर कौन लेकर जाता था ?

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

(विघ्न एवं शोर) इनसे यह भी पूछिये कि डिम्पी जिसकी हत्या की गई उसके साथ कौन नजर आता था ? (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : There is an important calling attention motion pertaining to the health of the State. Please take your seats. I will provide you the opportunity. (Interruptions and noises) certainly, I will provide you the opportunity. Please take your seats. (Interruptions and noises) you should have confidence in the Chair. Do you have confidence in the Chair ? (Interruptions and noises). I adjourn the sitting of the House for half-an-hour.

(The Sabha then *adjourned at 10.42 a.m. for half-an-hour and re-assembled at 11.12 a.m.)

वक्तव्य--

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now, the Health Minister will give reply to the Calling Attention Motion No. 1.

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी) : अध्यक्ष महोदय, पीलिया एक संक्रमित रोग है, जो वायरस से फैलता है और जिगर को प्रभावित करता है। इसको संक्रमित हैपेटाईटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह दूषित पानी के सेवन से फैलता है, जिसमें कि पीड़ित व्यक्ति की आंखें और चमड़ी पीली हो जाती है। यह बीमारी वायरस टाईप ए०बी०सी०डी० और ई० के कारण होती है। हैपेटाईटिस ए० और ई० मुख्यत: दूषित पानी के पीने से होता है और यह बीमारी अधिक जनसंख्या में फैल जाती है। यह घातक भी हो सकती है। हैपिटाईटिस बी०सी० और डी० संक्रमित सुईयों और खून-चढाने (ट्रांसफयूजन) के कारण होता है। हैपेटाईटिस बी०, सी० और डी० ज्यादा खतरनाक है। हैपिटाईटिस बी० से बचाव प्रतिरक्षण द्वारा किया जा सकता है। संक्रमित हैपिटाईटिस का इंकुबेशन पीरियड 90 दिन तक का हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति को प्रतिरक्षित उपायों के बावजूद भी यह रोग इंकुबेशन पीरियड के उपरान्त हो सकता है। यह बीमारी बुखार, सिर दर्द और उल्टी से शुरू होती है, जिसमें पेट दर्द होता है और बीमार व्यक्ति गहरे पीले रंग का पेशाब करता है। पूर्ण आराम के सिवाय इस बीमारी का कोई नियत इलाज नहीं है।

शाहबाद कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पीलिया के 165 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से 78 ठीक हो गए हैं और 82 पीलिया के केस ठीक हो रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहबाद में 46 तथा निजी अस्पतालों में 30 पीलिया के मरीजों को दाखिल किया गया था। इनमें से 5 पीलिया के गम्भीर रोगियों को पी०जी०आई०, चण्डीगढ़ में रैफर किया गया था, जिनमें से 4 की पीलिया के कारण मृत्यु हो गई तथा एक मरीज की शराब के कारण जिगर के सिरोसिज (जलोदर) के कारण मृत्यु हो गई।

घर-घर जाकर पीलिया के रोगियों की पहचान, गिनती, लाईन लिस्ट तथा उनके इलाज हेतु सर्वेक्षण किया गया। जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विभाग ने इक्ट्ठे मिलकर पानी के 102 नमूने लिए। जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा घर-घर के निरीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि पब्लिक हैल्थ

[बहन करतार देवी]

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उपभोक्ता द्वारा अपने घरों तक डाले गए जी०आई० पाईप टूटे पाए गए, जो इस बीमारी के फैलने का कारण बना। शाहबाद शहर के कमेटी बाजार, बैंक बाजार और माजरी मौहल्ला से लिए गए जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा 58 नमूनों में से 35 नमूने पानी पीने योग्य एवं 23 नमूने अयोग्य पाए गए। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए 44 नमूनों में से 12 नमूने पीने योग्य एवं 24 अयोग्य तथा शेष 8 नमूनों की रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। पानी की वितरण प्रणाली में लगभग 85 रिसाव की पहचान की गई है और इन्हें ठीक कर दिया गया। एक लाख दस हजार हैलोजन की गोलियां शाहबाद में घर-घर बांटी गई।

पीलिया की रोकथाम के लिए 'एपिडैमिक एक्ट 1897' को लागू किया गया है। सभी सिविल सर्जनों को आदेश जारी किए गए कि इन पीड़ितों का मुफ्त इलाज अस्पताल में उपलब्ध करवाएं। यह भी आदेश जारी किए गए कि वे पीने के पानी में फ्री क्लोरिन होना चैक करें तथा यह सुनिश्चित करें कि पीने के पानी में सुपरक्लोरिनेशन हो। स्वास्थ्य निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों को शाहबाद के प्रभावित क्षेत्र में दौरा करने के आदेश दिए गए। स्कूल आफ पब्लिक हैल्थ, सामुदायिक रोग विभाग, पी०जी०आई० चण्डीगढ़ के विशेषज्ञों को पीलिया रोकथाम की जांच में सम्मिलित किया गया। सूचना, शिक्षा और सम्प्रेक्षण गतिविधियों को स्वास्थ्य विभाग के अमले व मीडिया के मुद्रण एवं इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा प्रसारित किया गया। शाहबाद कस्बे में बीमारी की रोकथाम बारे जानकारी मुनादी द्वारा भी की गई। जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए तीस हजार पर्चे बांटे गए। दूसरे चरण का घर-घर जाकर सर्वेक्षण 16 सितम्बर, 2006 से आरम्भ कर दिया गया है। जनस्वास्थ्य विभाग ने शहर में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

प्रदूषित पानी से होने वाले संक्रमित रोगों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक पग उठाए गए हैं तथा नियमित सर्वेलैंस के कारण स्थिति नियन्त्रण में है।

श्री के०एल० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपने क्वैश्चन करूं मैं एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि मेरे कालिंग अटैंशन मोशन का संबंध दो डिपार्टमैंट के साथ है इसलिए मुझे चार क्वैश्चन पूछने की इजाजत दी जाए।

Mr. Speaker : Sharma Ji, you have given the Calling Attention Notice. I have admittted it. The Hon'ble Health Minister has given the reply. According to the Rules, you can ask two questions. But I allow you to ask three questions.

श्री के०एल० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला क्वैश्चन यह है कि जिस दिन हमने वहां विजिट किया इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा मंत्री जी ने बताया कि वहां सारी टीमें लगी हुई थीं। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मामला है। वहां जो बात कही गई थी उसमें एक तो यह थी कि एक कंटैमिनेशन प्वायंट था वह मिल नहीं रहा था। कोई बड़ा ही प्वायंट था जिसकी वजह से यह पीलिया फैला। सारा विभाग उस प्वायंट की खोज में लगा हुआ था। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह प्वायंट मिला है या नहीं ? दो सर्वे वहां हुए थे एक तो 12 तारीख को हुआ था और एक 16 तारीख को हुआ था। 12 तारीख तक 131 केसिज मिले थे और उसके बाद 29 केसिज मिले थे, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या वह प्वायंट मिल गया या नहीं मिला है ? दूसरा क्वैश्चन यह है कि विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी जिनकी इस मामले में नैगलीजैंसी पाई गई है उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा या नहीं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब इनके क्षेत्र में यह समस्या आई तभी इन्होंने मेरे से बात की थी उसी समय मेरी मंत्री जी से बात हुई थी और उसी समय एक एस०डी०ओ० और तीन जूनियर इंजीनियर इस मामले में तुरंत सस्पैंड कर दिये गये थे। सारी पाइप लाइनें बदली जा रही हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने कंटैमिनेशन प्वायंट की बात कही है। 28 आफीसर्ज की टीम इस काम में लगी हुई है, पचास प्वायंट आईडैंटिफाई भी किये गये हैं और उसमें पूरी कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, अब तो लीडर ऑफ दि हाउस ने इस बारे में जवाब दे दिया है। मुझे तो लगता है कि अब आप संतुष्ट हो गए होंगे।

विशेष आर्थिक जोन की स्थापना संबंधी मामला उठाना

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यही रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि सदन में जो हरियाणा प्रदेश की कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं जिन पर चर्चा करने का सदन का फर्ज बनता है क्या उनके ऊपर चर्चा करके किसी सुधारात्मक कदम उठाने के बारे में विचार किया जाएगा ? जैसा कि एस०ई०जैड० के बारे में किसानों की भूमि को लेने के लिए प्रोविजन किया गया है उसके बारे में भी हमने नोटिस दिया है और भूना में जो कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं उसके बारे में एक कालिंग अटैंशन मौशन दिया है जो आपने एडमिट नहीं किया। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगार हैं उनको रैस्ट हाऊस में बैठकर लैटर दिया जाता है कि आपकी नौकरी लग गई है जोकि कानून के विरुद्ध है और संवैधानिक तौर पर गलत है। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में न पानी है, न बिजली है इस बारे में भी हमने नोटिस दिया है।

Mr. Speaker : Mr. Indora, please ask specifically.

डॉ० सुशील इन्दौरा : जैसा कि विश्वास स्कूल में बच्चों के साथ अत्याचार हुआ है।

Mr. Speaker : The reasons of the rejection have been mentioned.

डॉ० सुशील इन्दौरा : जैसा कि एस०ई०जैड० के लिए मुद्दा है यह सभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं प्रदेश के हितार्थ और एस०ई०जैड० का मामला किसानों के हित की बात है इसलिए इस पर डिस्कशन जरूर होना चाहिए। इसी प्रकार से बिजली का मामला है।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपका नोटिस डिसकशन के लिए स्वीकार किया जाता है आप इस पर अपनी बात कहिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इस पर कल चर्चा कराई जाए।

Mr. Speaker : Mr. Indora, please start for short duration discussion. I allow you to speak.

Dr. Sushil Indora: No doubt at all, I can speak but this is not the way. First you accept it then tomorrow the discussion will take place.

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात कह सकते हैं आपको बोलने का समय दिया जाता है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई डिसकशन कराने का तरीका नहीं है हमें धक्के से दबाया जा रहा है कुचला जा रहा है। कोई हैल्दी डिसक्शन करनी है तो तरीके से करो। आज तो सरकार ने बजट एस्टिमेटस पर चर्चा करनी है। आप इसके लिए कल का समय निश्चित कीजिए।

Mr. Speaker : Mr. Indora, I allow you to speak.

Dr. Sushil Indora : No doubt, you allowed me but this is not the proper time to discuss it. मैंने कल के लिए आपसे रिक्वैस्ट की है। आप कल के लिए डिसकशन के लिए अलाऊ कीजिए, कल हम तैयारी करके आयेंगे।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, जो हाऊस के रूल्ज हैं उसमें यह प्रोविजन है कि स्पीकर को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय डिसकशन करा सकता है। आपकी दरियादिली देखिये कि आपने इनको डिस्कशन के लिए अलाऊ कर दिया उस बारे में कुछ नहीं जानते तो न बोलें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं और इन्दौरा साहब पार्लियामैंट में भी रहे हैं और हमने पार्लियामैंट की प्रोसीडिंग्ज भी देखी हैं। मैं अपनी जिन्दगी में यह पहला मौका देख रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को डिसकशन के लिए अलाऊ कर रहे हैं और माननीय सदस्य डिसकशन करने के लिए तैयार नहीं हैं। Sir, this is the first time in my life. इन्दौरा साहब ने सवाल उठाया कि इस मुद्दे पर डिसकशन करवाई जाए और अध्यक्ष महोदय ने उनको अलाऊ कर दिया, अब इन्दौरा साहब के पास बोलने के लिए कोई मैटीरियल नहीं है या कोई मुद्दा नहीं है तो ये फिर इस बात को क्यों उठा रहे हैं ? कल पर क्यों टाल रहे हैं, जब हम डिसकशन करने के लिए तैयार हैं तो इनको डिसकशन कर लेनी चाहिए ? जब इन्होंने डिसकशन के लिए समय मांगा है और अध्यक्ष महोदय ने समय दे दिया । मैं तो हैरान हूं । मैंने तो यह जिन्दगी में पहली बार देखा है और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर माननीय सदस्य वाकई में हरियाणा प्रदेश के बारे में चिंतित हैं तो किसी के पढ़ाने से नहीं बल्कि अपने दिमाग से बोलें और जो दिल में है वह कहें और किसी भी बात पर बोलें और सरकार उसके बारे में जवाब देगी और हर बात के लिए उनको सैटिस्फाई करेगी। इन्दौरा जी मेरी बात से सहमत होंगे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई मजाक नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इस बात का सवाल नहीं है कि आपके समय में क्या होता था ? यह पहला मौका होगा जब आपको अध्यक्ष महोदय अलाऊ कर रहे हैं। आप कहो कि हम नहीं बोलना चाहते।

Mr. Speaker : Indora Ji, Now, it is open time for you. You may speak. आपने जो विशेष आर्थिक जोन की स्थापना संबंधी मामला उठाया है। उस पर आप डिसकशन कर सकते हैं। अगर आप इस विषय पर चिंतित होते तो क्वैश्चन भेजते जबकि आपने एस०ई०जैड० के बारे में कोई क्वैश्चन नहीं भेजा। जिन माननीय सदस्यों ने एस०ई०जैड० के बारे में सवाल भेजे थे उनको एडमिट किया गया और उन पर डिसकशन हुआ और लीडर ऑफ दि हाऊस ने उसका रिप्लाई दिया है उसके बाद भी आपके पास कोई बात है, मैटीरियल है जिसको आप ऑन दि फलोर

ऑफ दि हाऊस स्टेट को और सदन को बताना चाहते हैं तो आपको डिसकशन के लिए अलाऊ कर दिया गया है। आपके पास अगर इस बारे में कोई मैटीरियल है तो आप उस पर बोल सकते हैं आपको डिसकशन के लिए अलाऊ किया गया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, किसानों के मामले पर पूरी चर्चा हो, आपने मुझे मौका दिया है इसलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, किसानों की तरफ से कोई सवाल उठाया ही नहीं गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सारे साथियों को एस०ई०जैड० पर बोलने का मौका दिया जाए, हम आप से प्रार्थना करके टाइम एक्सटैंड करवा लेंगे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जो इस समय सदन में विद्यमान हैं अगर वे आपको रिकमैंड करें कि हमें बोलने का मौका दिया जाए तो मुझे खुशी होगी, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन संसदीय मंत्री का यह व्यवहार, यह आचरण हमें मंजूर नहीं क्योंकि ये हमारे सरपरस्त तो हैं नहीं कि हमारी सिफारिश आपसे करें।

श्री अध्यक्ष : आपको इस पर क्या ओब्जैक्शन है ?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ओब्जैक्शन यह है कि ये बार-बार हमारी आपसे सिफारिश करते हैं। सदन के नेता का फर्ज बनता है कि ये हमारी सिफारिश करें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री केवल स्पीकर को अनुरोध करते हैं, यह स्पीकर का प्रोरोगेटिव है कि इनको टाइम देना है या नहीं देना। अध्यक्ष महोदय, अगर इनको इस बारे में नहीं पता है तो ये कृपया कौल एण्ड शकधर की बुक पढ़ लें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हमें इनकी सिफारिश की जरूरत नहीं है, सदन के नेता अगर हमारी सिफारिश करें तो ठीक है, हमें खुशी होगी।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, अभी बहुत सा आज का बिजनैस पड़ा है। आनरेबल मैम्बर्ज ने लंच पर भी जाना है। I have given the House in your hands.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे हाथों में हाउस दिया है तो आपका हाउस सुरक्षित रहेगा, आपने मुझे एस०ई०जैड० पर चर्चा करने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं शुरूआत इस तरह करूंगा कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारे देश में विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब का किसान बहुत मेहनत करके जो देश को खाद्यान्न और बीज की जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करते हुए देश को एक मजबूती देता है। हमारा फर्ज बनता है और मैं मुख्यमंत्री महोदय को भी कहूंगा कि जिस तरीके से ये हर बार चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर यह बात कहते हैं कि यह सरकार किसान-हितैषी सरकार है, सरकार ने किसानों के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जिससे किसान फले-फूले, लेकिन अगर हम धरातल पर जाकर देखें कि आज किसान की क्या हालत है तो यह किसी से छिपी हुई नहीं है। किसानों के हितार्थ 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिलों का माफ करने की बात कही गई। आज उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है कि इससे किसानों को इसका लाभ मिला हो। आज कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं, कहीं पब्लिक में यह बात नहीं है कि उसका फायदा किसान को मिला है। (शोर एवं व्यवधान) इस सदन में मैंने एक सवाल किया था कि बताइए कि 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिलों के माफ करने से किसने

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

किसानों को फायदा हुआ, उस प्रश्न का कोई सही जवाब नहीं आया था। (शोर एवं व्यवधान) आज किसान बिजली के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आज किसान बिजली की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने नोटिस दिया तो सरकार की तरफ से आपके माध्यम से वह नोटिस डिसअलाउ हो गया तो उसमें डिसअलाउ के जो ग्राउंडस लिखे गए वह मैं पढ़कर सुना देता हूं, इसको पढ़ कर मुझे बहुत हैरानी हुई, इसमें लिखा हुआ था कि --

1. There has been an increase of 7% in the overall power supply in the State.
2. The efforts are being made to meet the rising demand of power and bridge the gap between demand and supply.
3. At present Rural Areas are being given supply for 10-16 hours including 7-8 hours 3-phase supply and Urban & Industries for 22-23 hours.

इसके जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि 22 से 23 घंटे बिजली देते हैं, इसका मतलब मान कर चला जाए कि 24 घण्टे बिजली देते हैं। मैंने जब एक सवाल किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं इसी सदन में जवाब दिया था कि यह पोसीबल नहीं है कि 24 घण्टे बिजली दी जाए। किसान की हालत आज बहुत बुरी है। हमें चाहिए तो यह था कि किसान को खाद में, बीज में और दूसरे एग्रीकल्चर में प्रयोग होने वाले औजारों में सबसिडी देते और उनको बढ़ावा देते। ये तो उल्टा किसानों की जमीन को हड़पकर पूंजीपतियों को दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एस०ई०जैड० के खिलाफ नहीं हैं। गुड़गांव में 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अवार्ड हमारी सरकार ने भी दिया था। उस वक्त के आप हालात देखिये आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले जमीनों के क्या भाव थे और आज क्या हैं। अब इन्होंने 25 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अवार्ड दिया है तो कौन सा इन्होंने बड़ा तीर मार लिया।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जो ये 20 लाख रुपये के अवार्ड की बात अपने समय की कर रहे हैं यह सही बात नहीं है। यह रिकार्ड की बात है कि इनकी सरकार के समय में 2.50 या 3.00 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अधिक का मुआवाजा गुड़गांव के किसी भी गांव के किसान को नहीं दिया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड उठाकर देख लें, हालात बदलते रहते हैं। हमारी सरकार के समय में 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान) सरकार के पास साधन हैं यह रिकार्ड उठाकर देख लें। (शोर एवं व्यवधान)

एक आवाज : यदि वहां पर एस०ई०जैड० नहीं बनेगा तो वह जमीन 2 लाख रुपये की हो जावेगी।

Mr. Speaker : Indora Ji, can you tell us the name of any farmer, who has been awarded Rs. 20/- lacs per acre ?

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मेरी इस सदन की पिछली प्रोसीडिंग्ज निकालकर देख लीजिए। उनमें मैंने सारा बताया हुआ है कि हमारी सरकार के समय में कहा-कहां पर कितना-कितना मुआवजा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और संसदीय

मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये उन रिकार्डस को पढ़ते हैं या उन पर कोई कार्यवाही करते हैं जिनका हम यहां जिक्र करते हैं ? यदि इन्होंने उन पर कोई कार्यवाही की हो तो ये यहां सदन में बतायें। अध्यक्ष महोदय, सरकार का दायित्व बनता है कि उन प्रोसीडिंग्ज को निकालकर सरकार संबंधित मंत्रालयों को भेजे और उन पर कार्यवाही करवायें। क्या मुख्यमंत्री जी ने और संसदीय मंत्री जी ने यह कष्ट उठाने का कार्य किया ? अध्यक्ष महोदय, आप पिछला रिकार्ड उठाकर देख लें उसमें सब कुछ मिल जायेगा कि हमारी सरकार के समय में कहां-कहां 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज आप पूछ रहे हैं कि कहां पर दिया गया । ये सब बातें जुबान पर याद नहीं रहती । हमारी सरकार के समय में कौन से गांव में कितना मुआवजा दिया गया यह सब रिकार्ड की बात है। मौजूदा सरकार आज उस जमीन का 24 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे रही है जिसको किसान यदि खुल्ले बाजार में बेचे तो 2 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बेच सकता है। (विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से इंदौरा साहब को बताना चाहता हूं कि एस०ई०जैड० के लिए हमारी सरकार ने कोई जमीन एक्वायर नहीं की, जितनी भी जमीन एक्वायर की गई है वह इनकी सरकार के समय में ही की गई थी। शायद ये इस बात को भूल गये हैं हमारी सरकार ने एक एकड़ जमीन भी एस०ई०जैड० के लिए एक्वायर नहीं की। 1300 एकड़ जमीन एक्वायर इन्होंने की थी और अवार्ड भी इन्होंने दिया था और बाद में अधिक अवार्ड हमने दिया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने एच०एस०आई०डी०सी० के लिए यह जमीन एक्वायर की थी, न कि रिलायंस कंपनी को देने के लिए की थी। हमारे प्रदेश में स्पैशल इकनोमिक जोन बने यह तो हम भी चाहते हैं । हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते यह थे कि एच०एस०आई०डी०सी० उसको डवैल्प करे।

(उद्योग मंत्री) श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं इंदौरा जी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय इन्होंने यह जमीन एक्वायर की थी उस समय किसान कहां गये थे ? अब ये किसानों की बात कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्वायंट ऑफ आर्डर है। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि एच०एस०आई०डी० सी० अपने आप में एक योग्य संस्था है और उसी के लिए हमने जमीन एक्वायर की थी।

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Speaker Sir, on a point of order. Sir, there is not truth in the facts given by him. The land was acquired and the process of acquisition was started during Chautala Goverment and ultimately he made the statement that the land was for HSIDC and that too was for SEZ. It is a fact that if you are investing Rs. 25,000/- crores, that is not the capacity and capability of the HSIDC.Now, they have entered into an agreement, you are still claiming that the farmers are duped to the tune of Rs. 5000 crores. If they are duped then you are responsible, our Government is not responsible for that. You started these proceedings. Their second claim and the second argument which they are advancing that why they have gone for such a prime land, that is your

[Shri Birender Singh]

mistake. We have come out with a policy that if any enterpreneur wants to set up SEZ, he will be given the land outside the NCR area. We would like to welcome him more warmly who is claiming to have land in the NCR area. That is our policy. So, the Kisans are not duped. Whatever the policy was followed by you that is the result of this. This is I want to state, Sir.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय फाईनैंस मिनिस्टर महोदय बहुत ही सुलझे हुए और इन्टैलीजैन्ट आदमी हैं इसमें कोई दो राय नहीं हैं। ये बातों को इस तरीके से कहते हैं कि लोगों को इनकी बात पर विश्वास आ जाए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की यह बहुत पुरानी आदत है कि अपनी बात इस प्रकार से कहते हैं कि लोगों को विश्वास आ जाए और इस तरह से ये जनता को गुमराह करते हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आपको बोलने के लिए अलाउ किया गया है। (विघ्न) आपको इस सब्जैक्ट पर बोलने के लिए आधे घण्टे का समय अलाउ किया गया है। आप इस स्पैसिफिक सब्जैक्ट पर जितनी देर भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। आपके पास जितना भी मैटीरियल है आप उस पर बोल सकते हैं और अगर आपने बाहर बैठे किसी आदमी से कोई भी कागज या मैटीरियल मंगवाना है तो वह भी आप मंगवा सकते हैं (विघ्न) । आप इस विषय पर जितना भी बोलना चाहें बिना किसी दिक्कत के बोल सकते हैं। (विघ्न) Plenty of time you have been given but don't divert the topic. (विघ्न)

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप इस महान सदन के आदरणीय स्पीकर हैं और स्पीकर साहब तो सभी सदस्यों के अधिकारों के कस्टोडियन होते हैं लेकिन आप सत्ता के नेताओं को डिफैंड करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप हमें डिफैंड करते हैं तो हरियाणा प्रदेश की जनता आपको हमेशा याद रखेगी। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा प्रदेश की जनता आपको सिर माथे पर बिठाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Have you confidence in the Chair ? (Interruptions) I am the guardian of the House. (Interruptions) I will certainly protect your rights.

Dr. Sushil Indora : Thank you very much, Sir. अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो एस०ई०जेड० के लिए जमीन एक्वायर करके रिलायन्स को दी गई है उसकी कीमत तकरीबन-तकरीबन 289 या 290 करोड़ के आस पास है? उतनी ही जमीन के प्लॉट काट कर एच०एस०आई०डी०सी० ने चार किल्ले जमीन ऑक्शन करके बेची है, जो जमीन रिलायंस को दी गई है वह ऑलमोस्ट बराबर पड़ती है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि चार किल्ले जमीन एच०एस०आई०डी०सी० ने करीब 289.90 करोड़ रुपये के आस-पास ऑक्शन करके दी है ? ऐसी क्या खास बात थी कि रिलायंस को यह जमीन 1500 करोड़ रुपये में दी गई, इसके पीछे क्या राज है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या आपके पास कोई और ऐसी पार्टी है जो एस०ई०जेड० को लेना चाहती है? (Interruptions) Please bring your party. If you have any party, disclose the name of the party on the floor of the House ?

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि रिलायंस को यह जमीन देने के पीछे क्या राज है ? (शोर एवं व्यवधान) दुनियां में और भी बहुत से लोग हैं जो कि पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी बीच में बोल रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं और जब भी आप कहेंगे मैं बैठ जाउंगा। (विघ्न) इनके कहने से मैं क्यों बैठूं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं ? इन्दौरा साहब, आप इनकी बात भी सुन लें, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। अरोड़ा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री लछमन दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि रिलायंस वालों को जो लैण्ड दी गई है जिसकी कीमत ये 1500 करोड़ रुपये की बता रहे हैं। यह लैंड उनको ट्रांसफर करके एच०एस०आई०डी०सी० तथा सरकार ने उनसे कितने ही फायदे भी उठाए हैं (विघ्न एवं शोर)।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, प्लीज अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) अब डॉ० इन्दौरा साहब अपनी बात जारी रखेंगे। (विघ्न) Indora Sahib, please continue.

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, आज की सरकार जनता के और किसानों के कटघरे में ऐसी खड़ी है कि आने वाले समय में हमारे किसान और हमारी जनता इनको माफ नहीं करेगी। स्पीकर सर, मेरा इस सरकार से पहला सवाल है कि जब एस०ई०जैड० की प्रपोजल बनी तो उसको सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार ने मंजूरी दी थी। उस वक्त इस सरकार का फर्ज बनता था कि वे लोगों से एप्लीकेशन मांगते कि जो जो लोग एस०ई०जैड० का फायदा उठाना चाहते हैं वे अपना नाम दें। अध्यक्ष महोदय, क्या रिलायंस कम्पनी के अलावा कोई और कम्पनी नहीं थी जो इस एस०ई०जैड० को बना सके या सरकार ने इस बारे में कोई प्रयास ही नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, यह सरकार आपसे यह जानना चाहती है कि क्या आपके पास इस कम्पनी के अलावा किसी दूसरी कम्पनी का नाम है तो आप बताएं जो इस एस०ई०जैड० को बनाना चाहती है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब सदन में बोल रहे हैं और यह बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने अपनी बात बोलते हुए दो-तीन बातें कह दीं और इन्होंने रिकार्ड को स्ट्रेट करने के लिए कहीं कि पिछली सरकार के वक्त में 20 लाख रुपए प्रति एकड़ कम्पनसैशन के लिए दिए थे यह बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार ने 2.60 लाख रुपए प्रति एकड़ कम्पनसैशन के दिए थे लेकिन कोर्ट ने उसको 20 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया था यह एक अलग बात है। मैं सदन में इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार के वक्त में 20 लाख रुपए एक एकड़ के हिसाब से कभी कोई जमीन गुड़गांव में एक्वायर नहीं करी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि हमने 21 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कम्पनसैशन दिया है। इन्दौरा जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके मुकाबले में आपकी सरकार के वक्त में 2 या 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से कम्पनसैशन दिया जाता था। हम अब भी कहते हैं कि अगर किसान को जो हमने कम्पनसेशन दिया है अगर किसान को कम लगता है तो वे कोर्ट में एनहांसमैंट के लिए जा सकते हैं और अगर कोर्ट यह

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

फैसला देता है कि उस जमीन का रेट 2 या 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है तो हम उनको जो भी कोर्ट रेट तय करेगी वह देंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब, एस०ई०जैड० के लिए आपके पास किसी और कम्पनी का नाम है तो हमें बताएं। यह इन-प्रिंसिपल कामर्स मिनिस्टरी, गवर्नमैंट आफ इण्डिया की पालिसी है। उन्होंने इन-प्रिंसिपल इसको माना था। इस वास्ते एच०एस०आई०डी०सी० ने स्वैट इक्वीटी की। इसका मतलब 10 प्रतिशत नहीं है, इसका मतलब यह है कि 25 हजार एकड़ में जितनी भी उनकी लागत होगी उसमें एच०एस०आई०डी०सी० का हिस्सा होगा। आज से पहले इतना बड़ा हिस्सा कभी भी किसी स्टेट में किसी का भी नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं इनके लिए यह कहना चाहता हूं कि "रोते हैं बस क्योंकि आदत है, रोते हैं बस क्योंकि आदत है, वरना इतना मलाल हमें नहीं है।"

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, इनको तो मलाल इस बात का है कि जो 10 प्रतिशत एच०एस०आई०डी०सी० का हिस्सा रखा गया है अगर इनकी सरकार होती तो वह हिस्सा इनकी सरकार का होता । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनको कोई मलाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो ये जगह जगह ढोंग रचते हैं कि ये किसानों के हितैषी हैं और दूसरी तरफ इनको किसानों की जमीन बेचकर कोई मलाल ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री जी जो 2.60 लाख की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस वक्त किसानों की जमीनों की क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है ? 10 गुणा एन्हांसमैंट से ज्यादा तो आज उन जमीनों की कीमतें हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अब जमीन के भाव क्यों बढ़े हैं, किसके समय में बढ़े हैं और एस०ई०जैड० किसके समय में बनने शुरू हुए हैं ?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो मानेसर में किसानों को लूट लिया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक सड़क बननी है पलवल से मानेसर और कुंडली के बीच। यह 135 किलोमीटर सड़क है और इसको एक्सप्रेस-वे भी कहते हैं। यह हमारी सरकार आने से पहले की प्रोजेक्ट [illegible] उस समय किसानों को इसके लिए केवल 160 करोड़ रुपयों [illegible] का प्रस्ताव किया गया था लेकिन हमारी सरकार आने के बाद [illegible] में हमने जमीनों के फ्लोर रेट फिक्स किए हैं। पहले किसानों को डेढ़ लाख या दो लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीनों के रेट मिलते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी सरकार के एक फैसले से ही इस एक्सप्रेस-वे के एरियाज़ में रहने वाले किसानों को साढ़े छः सौ करोड़ रुपयों का [illegible] मिल गया है यानी किसानों को हमारी सरकार के [illegible] से पांच सौ करोड़ रुपयों का सीधा फायदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये किसानों की बात तो कर रहे हैं लेकिन इन्होंने तो किसानों को लूटा है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर। सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर यह है कि माननीय इन्दौरा साहब किसानों के हितैषी होने की बात कर रहे हैं लेकिन इनको यह याद होना चाहिए कि सोनीपत में राई के पास किसानों के लिए एक आधुनिक सब्जी मंडी बनाने

के लिए जो जमीन एक्वायर हुई पड़ी थी उस पर इनकी सरकार ने दिल्ली से बाहर आने वाले पोल्यूशन युक्त कारखानों को बसाने के लिए उन कारखानों वालों से न जाने कितना रिश्वत में पैसा लेकर उस सब्जी मंडी की जमीन पर उन कारखानों को विकसित किया था। इस बात का इनके पास क्या जवाब है? इन्होंने वहां पर ऐसा करके कौन सा हित किसानों का देखा था ?

श्री बलवन्त सिंह (सढौरा) : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब तो स्वयं चाह रहे थे कि रिलायन्स के अलावा भी वहां पर और कम्पनी आनी चाहिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणवी में एक कहावत है कि "छाज तो बोले बोले लेकिन छलनी भी अगर बोले जिसमें हजारों छेद हों" तो क्या यह ठीक है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह कहावत तो इन्हीं पर लागू होती है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि केन्द्र सरकार का जो कामर्शियल डिपार्टमैंट है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : डॉ० साहब, यह कामर्शियल नहीं बल्कि कॉमर्श शब्द है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : एक ही बात है। मैं गांव का रहने वाला हूं इसलिए गलती हो ही जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इनका कसूर नहीं है बल्कि ये पार्टी में ही ऐसी में चले गये हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार ने क्यों ऐसे प्रयास नहीं किए जिससे किसानों को फायदा मिलता। एक कम्पनी तो हमेशा मोनोपोली करती है। अगर सरकार सही मायनों में इस बारे में सीरियस होती तो जगह जगह पर जिस तरह से एस०ई०जैड० बनाये जाने हैं तो सरकार की तरफ से रिलायन्स कम्पनी पर या दूसरी कम्पनियों पर यह दबाव डाला जाता कि हम आपको एन०सी०आर० में तब जमीन देंगे जब आप रिवाड़ी के टिब्बों में, झज्जर के टिब्बों में या डबवाली के टिब्बों में एस०ई०जैड० बनाएंगे। अगर सरकार शुरूआत वहां से करती तो हमें भी अच्छा लगता लेकिन सरकार ने तो बेशकीमती जमीनें सस्ते दामों पर दे दी हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इनको पता होना चाहिए कि इन-प्रिंसिपल रिवाड़ी में भी, झज्जर में भी और अम्बाला में भी एस०ई०जैड० बनने हैं इसलिए इनको पहले सारी बातें देख तो लेनी चाहिए, इनको पढ़ तो लेना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, अगर रिवाड़ी में एस०ई०जैड० बन रहा है तो रिलायन्स कम्पनी ने रिवाड़ी में जाकर जमीन क्यों नहीं ली है ? अगर रिवाड़ी में एस०ई०जैड० बन रहा है तो क्या रिलायन्स कम्पनी को आपने जमीन दी है ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : हमने वहां पर उनको एक एकड़ जमीन भी नहीं दी है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अगर आपने उनको वहां पर जमीन नहीं दी है तो फिर वे वहां पर कहां से एस०ई०जैड० बनाएंगे ? गुड़गांव में तो आपने रिलायन्स कम्पनी को 25 हजार एकड़ जमीन एस०ई०जैड० बनाने के लिए दी है।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, यह सारे हाउस का समय है इनके पास न कोई तथ्य है और न ही कुछ बोलने को है। He has wasted half-an-hour of the total time of the House. The school-children are seeing us. What he is speaking ? He is not speaking anything.

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : स्पीकर सर, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं कि हाउस को दोबारा शुरू हुए तकरीबन 20 मिनट का समय हो गया है। 20 मिनट में ये पहले जंगले में ही फंसे हुए हैं अभी उससे बाहर नहीं निकले हैं। हाउस का समय देख लें। कहीं ऐसा न हो कि हाउस का सारा समय डॉक्टर साहब की जेब में ही पड़ा रहे ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब ने शुरू में ही मुझे हाउस में बोलने का समय दे दिया था और जहां तक इन साथियों की बात के जवाब की बात है, इससे बड़ी बात क्या होगी कि मेरे हर सवाल का जवाब मुख्यमंत्री जी को बार बार खड़े होकर देना पड़ा रहा है।

श्री आनंद सिंह डांगी : जब आप सारी बात झूठी कहने की कोशिश करेंगे तो सी०एम० साहब को तो बोलना ही पड़ेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जिन डकैतियों की बात ये विपक्ष के साथी कर रहे हैं इस तरह की डकैतियां हमारी सरकार के समय में नहीं पड़तीं। वह इनकी सरकार के समय में पड़ती थीं।

श्री अध्यक्ष : इंदौरा जी, मुख्यमंत्री जी ने तो यह बताया है कि आपकी सरकार के समय में डेढ़ दो लाख रुपये मुआवजा दिया जाता था अब वह राशि बढ़ाकर 21 लाख रुपये कर दी गई है। एस०ई०जैड० के आने से सरकार को एक हजार करोड़ रुपये के रेवेन्यू का फायदा होगा और दो लाख लड़कों को नौकरियां मिलेंगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो बातें इंदौरा साहब को बताई हैं उससे इनके ज्ञान में इजाफा किया है और कुछ तथ्य सदन के सामने रखे हैं। इंदौरा साहब, आपके पास हाउस का टाइम है इसलिए मैं आपकी परमिशन लेकर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप इतना तो मुझे परमिट करिए। मैं माननीय सदस्य व सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा को आज तक 63 प्रपोजल्स एस०ई०जैड० के मिले हैं और 37 प्रपोजल्स की इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुई है। इसमें आने वाला निवेश 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये का है और 10 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इंदौरा साहब, अपने तथ्यों को दुरूस्त कर लें।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

Mr. Speaker : No point of order. Please sit down, Mr. Naresh Yadav. Don't waste the time of the House. (विघ्न) इंदौरा साहब, आपके पास जो कागजात या मैटीरियल हैं उससे आप बोलें। आप तो मंत्री जी का जवाब सुनकर उसमें से ही बात निकाल लेते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मैटीरियल से ही बोल रहा हूं। उससे पहले मंत्री जी बोल दें तो मैं क्या कर सकता हूं ? एच०एस०आई०डी०सी० का जो स्पैशल इकोनोमिक जोन बनाने का प्रपोजल था, जो कि बाद में रिलायंस को दे दिया गया इसमें एक बात स्पष्ट रूप से

आई थी that there will be no profit and no loss. कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। यह उसका ऐम था। जब नो प्रौफिट नो लौस की बात सामने आती है तो सरकार कैसे दावा कर सकती है कि हम 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपके हिसाब से नौकरियां नहीं दी जानी चाहिएं ?

डॉ० सुशील इन्दौरा : दी जानी चाहिएं, लेकिन सरकार का दावा झूठा है। नो प्रौफिट नो लौस में जब कोई बात आती है और वह जब रिलायंस को दे दिया गया तो वह नो प्रौफिट नो लौस पर कैसे डिवैलप करेगा, यह बताया जाए ? एच०एस०आई०डी०सी० का मकसद था हरियाणा प्रदेश को उन्नत करना। एच०एस०आई०डी०सी० जो कि सरकार की संस्था है, वह जब इस काम को कर रही थी तब तो मैं यह बात मान सकता हूं लेकिन जब रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया तब मैं यह नहीं मान सकता हूं। जिसने बिजनैस करना है और अपने बिजनैस को बढ़ाना है यदि वह प्राइवेट कंपनी नो प्रौफिट नो लौस बेसिज पर काम करेगी तो कैसे लोगों को रोजगार देगी ? 10 प्रतिशत इक्विटी शेयर की बात आई है। जब यह समझौता 12 जून को होना था तब यह शेयर क्या पांच प्रतिशत नहीं था ? क्या यह सच है या नहीं है ? मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी दबाव डालते तो यह 50 प्रतिशत भी हो सकता था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा साहब ने यह कहा कि सरकार एस०ई०जैड० के माध्यम से उद्योगों में कहां से नौकरियां देगी। मैं आपकी इजाजत से एस०ई०जैड० के बारे में माननीय सदस्य और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब से हरियाणा बना है उससे लेकर मार्च, 2005 तक 40 साल में तकरीबन 40 हजार करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश हुआ है। लेकिन जब से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में यह सरकार बनी है उसके बाद 10500 करोड़ रुपये का निवेश हरियाणा में हो चुका है और 20 हजार लोग अब से पहले उन उद्योगों में नौकरी कर रहे हैं। इसके इलावा हरियाणा बनने के बाद 40 साल में केवल 6350 करोड़ रुपये का विदेशी पूंजी निवेश आया था लेकिन यह सरकार बनने के बाद इस डेढ़ साल के समय में 1350 करोड़ रुपये का विदेशी पूंजी निवेश हुआ है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 40000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रोपोजल्ज इस समय हरियाणा की सरकार के पास पैंडिंग पड़े हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 40 साल के समय में 40000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ जबकि डेढ़ साल के समय में 10500 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है और 39574 करोड़ रुपये के निवेश के प्रोपोजल्ज सरकार को प्राप्त हो चुके हैं जोकि इस समय प्रोसैस में हैं 50000 करोड़ रुपये के निवेश के प्रोपोजल्ज इस डेढ़ साल में आये हैं जो कि हरियाणा के इतिहास में अपने आप में एक रिकार्ड है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं लेकिन जो महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा था उस पर आपने पूरा समय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : आप और तैयारी करके आना आपको डिमाण्डज पर बोलने के लिए जरूर समय दिया जायेगा।

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण इश्यू है कम से कम मुझे दो मिनट बोलने का समय जरूर दिया जाए। इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने इश्यू इन विपक्ष

[श्री रामकुमार गौतम]

के भाईयों ने उठाये हैं यह सारी की सारी कमजोरी हमारे मुख्यमंत्री जी की है। हर शहर में करोड़ों रुपये की जायदाद, लूटपाट और भेदभाव का शासन था। जिस बाप ने यह कह दिया कि यह मेरा छौरा नहीं है, जो घड़ी चोर लाया, ऐसे आदमी की यह पार्टी है। अगर सही मायने में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करते तो हुड्डा साहब यह बात नहीं होती। सही मायने में गुनाहगार तो हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हैं अगर इन्होंने उनके खिलाफ सही कार्यवाही की होती तो उनकी पुश्तें जेलों में सड़ कर मर जाती, जिनके बेटे आज जो सड़कों पर राज-काज की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे गुनाहगार हुड्डा साहब आप हैं। आपने सारे भ्रष्ट लोगों को अपने में समायोजित कर लिया है, आप एक्सान लो तो ये सड़कों पर नजर नहीं आयेंगे और लोकदल नाम की पार्टी कहीं आपको नजर नहीं आयेगी अगर आये तो मुझे बता देना। जो आज यह कह रहे हैं। वे ऐसा नहीं कहते । आपने समय रहते कार्यवाही नहीं की।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं माननीय गौतम साहब को बताना चाहूंगा कि सी०बी०आई० इस बारे में जांच कर रही है इनकी एक बात तो सच है कि जो भागे थे वे आज तक विदेश से नहीं आये हैं, जब वे आयेंगे तो उनको भी पकड़ लेंगें।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, अगर उनको अरैस्ट किया होता जो ***

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, * **

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं लेकिन वाद-विवाद का जो अंत आपने किया है वह दुखदायी है इतना महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा था उस पर आपने पूरा समय नहीं दिया।

Mr. Speaker : Dr. Sahib, I will certainly provide opportunity to you to speak in the discussion on the excess demands over grants. आपके सारे प्वाईंट आ चुके हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं फिर भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एश्योर करता हूं कि हम किसान के हित के लिए सदा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे।

Mr. Speaker : Now, discussion on the Special Economic Zone is over.

अध्यक्ष द्वारा घोषणाएं

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairpersons :—

1. Shri Balbir Pal Shah, M.L.A.
2. Shri Anand Singh Dangi, M.L.A.
3. Shri Sher Singh, M.L.A.
4. Dr. Shushil Kumar Indora, M.L.A.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

(ii) राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए विधेयकों संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that the following Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its sessions held in December, 2005 and March,2006 and have since been assented to by the *President/Governor :—

December Session, 2005

1. The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2005.

March Session, 2006

1. The Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2006.
2. The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2006
3. The Haryana Appropriation (No.2) Bill, 2006
4. The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2006
5. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2006
6. The Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2006

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : I have received a letter dated 6th September, 2006 from Shri Om Parkash Chautala, MLA which reads as Under :—

> "I am under treatment in USA and would be unable to attend the sittings of ensuing Session of the Assembly. Therefore, permission for my absence from the sittings of the assembly may please be granted."

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह आप की मर्जी है कि किसी को छुट्टी दें या न दें। (शोर एवं व्यवधान) इस बारे में किसी भी मैम्बर को कुछ कहने का अधिकार नहीं है।

डॉ०सीता राम : अध्यक्ष महोदय,* * * * * *

श्री बलवंत सिंह सदौरा : अध्यक्ष महोदय,* * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप सुनें तो सही कि डांगी साहब क्या कहना चाहते हैं, सैंस आफ दि हाउस क्या है और फीलिंग आफ दि मैम्बर क्या है? (शोर एवं व्यवधान) जो ये कह रहे है यह कुछ भी रिकार्ड न किया जाये।

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, दोनों डॉक्टर खड़े हैं क्या इनको पता है कि चौटाला को क्या बीमारी है ? (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, छुट्टी दें या न दें यह आपकी मर्जी है यह चर्चा का विषय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनें तो सही कि ये क्या कहना चाहते हैं, आप तो 'आ बैल मुझे मार' वाली बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, हाउस की मर्जी है कि छुट्टी दें या न दें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I have given the permission to Mr. Dangi (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, इनको बिठाएं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये सुन तो लें हो सकता है मैं इनके भले की बात कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनके लीडर को छुट्टी दिलवाऊंगा।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, ये सब डरे हुए हैं कि कहीं आप लीव ग्रांट न कर दें, माननीय डांगी साहब कुछ कहना चाहते हैं और ये प्रजातांत्रिक तरीके से उनको सुनने की हिम्मत नहीं रखते और इनको भय है कि आप लीव ग्रांट न कर दें और ओम प्रकाश चौटाला वापिस न आ जाए और ये चाहते हैं कि लीव न दी जाए और वह वहीं रह जाए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा का विषय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर की रिक्वैस्ट है। I have a right to obtain the sense of the House. (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें, ये अपने आप शांत हो जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, डांगी साहब कुछ कहना चाहते हैं, ये सदस्य उनका बोलने का अधिकार छीन रहे हैं और उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये सुन तो लें कि वे क्या कहना चाहते हैं अगर इनको उनकी बात पसंद न आए तो बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डॉक्टर साहब, आपको किस बात का भय है ? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, भय तो इन लोगों को है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। माननीय सदस्य अपनी बात कहने के लिए खड़े हैं आप पहले उनकी बात सुनें। उसके बाद आप अपनी बात कह लेना। (शोर एवं व्यवधान) डाक्टर साहब, मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन सदन के सामने रखी है। उस पर एक माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहता है। आप उसे बोलने दें। जब बोलना चाहेंगे तब आपको भी अवसर दे दिया जायेगा।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिंह धलाका : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, ये लोग छुट्टी मंजूर नहीं करवाना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के एक सम्मानित सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं विपक्ष के साथियों को उनकी बात सुननी चाहिए और सदन के डैकोरम को बनाये रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I will obtain the sense of the House. Dangi Sahib, I will allow you to speak on the demands.

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा हक है इसलिए मैं इस छुट्टी की एप्लीकेशन पर बोलना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Question is—

That Permission for leave of absence for the current Session of Haryana Vidhan Sabha be granted.

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, नोट अलाऊड। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं। मेरी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से भी प्रार्थना है कि ये मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यदि सदन में कोई भी एप्लीकेशन आती है तो उस पर मैंबर्ज को बोलने का हक है। यदि कोई बोलना चाहता है तो वह बोल सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। डाक्टर साहब, जिस समय मैं इस एप्लीकेशन को मंजूर कर रहा था उस समय दो तरह की आवाजें आई। कुछ मैंबर्ज ने इसको यस किया और कुछ ने नो किया। डांगी साहब, नोट अलाऊड पर बोलना चाहते हैं आप उनकी बात सुन लें। उसके बाद आप अलाऊड पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान) डाक्टर साहब, आप इस तरह से अपनी मनमानी न करें।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, आप बुलायें या न बुलायें यह आपका अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान) यदि आप बुलाना चाहते हैं तो दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बुलवायें। जैसे एस०ई०जैड० का मुद्दा है। (शोर एवं व्यवधान) बीमार तो कोई भी हो सकता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी इस तरह की गलत परम्परा यहां सदन में न डालें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, यदि आप चाहें तो इस एप्लीकेशन पर वोटिंग करवा लेते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Sushil Indora : I request you to grant the permission for leave of absence.

Mr. Speaker : Dr. Sahib, at least I should seek the sense of the House. हर मैंबर की नैतिक जिम्मेवारी है कि वह अपनी बात यहां कहे। इस छुट्टी की एप्लीकेशन पर दो तरह की आवाजें आई हैं। जो मैंबर उस पर बोलना चाहते हैं उनको आप बोलने दें और उनकी बात आप सुनें। उसके बाद यदि आप भी उस पर कुछ कहना चाहते हैं तो आपको भी बोलने का अवसर दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) यह सदन डॉक्टर साहब आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान) सदन सभी मैंबरों के हिसाब से चलेगा। इंदौरा जी, प्लीज आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। पूरा प्रदेश आपकी हरकतों को देख रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, इंदौरा जी अपनी सीट पर नहीं खड़े। पहले इनको अपनी सीट पर जाना चाहिए और उसके बाद अपनी बात कहनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर इंदौरा जी, प्लीज आप पहले अपनी सीट पर जायें। It is a very serious matter because an elected representative of the House is not attending the House since long time. (Interruptions) I request you, please take your seats.

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक रिक्वैस्ट कर लूं उसके बाद आप बोल लें। (विघ्न)

श्री आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल इस हरियाणा विधान सभा को बने हुए हो गया है। हमारी विधान सभा के 90 मैम्बर्ज हैं और इस डेढ़ साल के अरसे में 89 मैम्बर्ज हर सैशन में हाजिर होते हैं और केवल एक व्यक्ति हर सैशन में छुट्टी के लिए अपनी ऐप्लीकेशन भेज देता है। इस छुट्टी के जरिये उनकी क्या डिमाण्ड है ? वे क्या चाहते हैं, उनको क्या बीमारी है? उनको क्या दिक्कत है ? क्या उनकी तरफ से आपके पास इस छुट्टी के लिए कोई मैडीकल रिपोर्ट आई है, क्या किसी डॉक्टर से कोई सर्टिफिकेट आया है कि वे फलां बीमारी से पीड़ित हैं जिसके लिए उन्हें छुट्टी चाहिए। स्पीकर साहब, उनको केवल एक ही बीमारी है और वह बीमारी है राजनीति। वे इस सैशन को फेस नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, वे यह कहा करते थे कि जब तक जीऊंगा मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठा रहूंगा। लेकिन आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं जबकि चौटाला साहब हरियाणा विधान सभा के अन्दर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का संविधान प्रजातान्त्रिक रूप से चलता है और संविधान के मुताबिक प्रजातान्त्रिक रूप से जो व्यक्ति चुना जाता है उसका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि वह अपने लोगों के बीच में रह कर उनके विकास और तरक्की के लिए काम करे। पिछले डेढ़ साल से रोड़ी हल्के की जनता तड़प रही है क्योंकि यहां पर उनकी बात कहने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं रोड़ी के हल्के के लोगों को यह कहना चाहूंगा कि आनन्द सिंह डांगी आपका भाई है, आप लोग मेरे पास आएं और आपका जो भी दुख दर्द और तकलीफ है वह बताएं। आपकी हर बात हरियाणा विधान सभा में सुनी जाएगी और सभी तकलीफ और दुख दर्द को दूर किया जाएगा। हरियाणा विधान सभा और रोड़ी हल्के की जनता इस बात को नहीं मानती कि उनको लीव की मन्जूरी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए पुरजोर सिफारिश करता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इस ऐप्लीकेशन के ऊपर किसी डॉक्टर की रिपोर्ट मांगी जाए और उसके बाद ही इस एप्लीकेशन को मन्जूर किया जाए। उनको छुट्टी अलाउ न की जाए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई बीमारी हो सकती है जिसके कारण उसको छुट्टी लेनी पड़ सकती है। इस प्रकार की कोई परम्परा नहीं है कि अगर कोई मैम्बर सदन में लीव के लिए ऐप्लाई करता है तो उस पर चर्चा करके उसको पास किया जाए। मैं यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि इस ऐप्लीकेशन को मन्जूर करने की मेहरबानी करें।(विघ्न)

श्री आनन्द सिंह डांगी : स्पीकर सर, मैंने जो बात कही थी उसका क्या हुआ ? अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। सर, आज सैशन चल रहा है और चौटाला सदन से एबसैंट है और सैशन के बाद उसकी पानीपत में, महम में और दूसरी जगहों पर रैली में आने की बात कह रहे हैं। उन जगहों पर कोई हवाई अड्डा नहीं है तो वह वहां पर कैसे आएगा ? किस तरीके से आएगा ? (शोर एवं व्यवधान) वह तो वहां पर दूसरे तरीके से आएगा। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question is—

The permission for leave of absence for the current Session of Haryana Vidhan Sabha be granted.

Voices : Yes, yes.

The motion was carried.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 11.00 A.M. on Monday, the 18th September, 2006 in the Chamber of the Hon'ble speaker .

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday, the 18th September, 2006 at 2.00 P.M. and adjourn after conclusion of Obituary References.

On Tuesday, the 19th September, 2006, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

On Wednesday, the 20th September, 2006, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on the 18th, 19th 20th September, 2006 be transacted by the Sabha as follows :—

Monday, the 18th September, 2006 (2.00 P.M.)	Obituary References.
Tuesday, the 19th September, 2006 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Commitee. 3. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.

4. Presentation, Discussion and Voting on the Excess Demands over Grants and Appropriations for the years 2002-03 and 2003-04.

5. (i) Presentation of Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 2006-07 and the report of the Estimates Committee thereon.

(ii) Discussion and Voting on Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 2006-07.

6. Legislative Business.

Wednesday, the 20th September, 2006 (9.30A.M.)

1. Questions Hours.

2. Motion under Rule-15 regarding Non-stop sitting.

3. Motion under Rule-16 regarding adjournment of the Sabha *sine-die*.

4. Papers to be laid, if any.

5. The Haryana Appropriation Bill, 2006 in respect of Excess Demands Over Grants and Appropriations for the years 2002-03 and 2003-04.

6. The Haryana Appropriaton Bill, 2006 in repsect of Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 2006-07.

7. Legislative Business

8. Any other Business."

Now, the Parliametary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is —

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay the papers on the Table of the House.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table--

The Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2006 (Haryana Ordinance No. 2 of 2006).

The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Ordinance, 2006 (Haryana Ordinance No. 3 of 2006).

Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan Ordinance, 2006 (Haryana Ordinance No. 4 of 2006).

Sir, I also re-lay on the Table—

The General Administration Department Notification No. S.O. 4/H.A.9/1979/S. 8/2006, dated the 13th January, 2006, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Amendment Rules, 2005, as required under section 8 (3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 5/H.A.3/1970/S. 9/2006, dated the 13th January, 2006, regarding the Haryana Ministers Allowances (Amendment) Rules, 2005, as required under section 9 (2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O. 30/H.A.3/1970/Ss. 8 and 9/2006, dated the 27th February, 2006, regarding the Haryana Ministers Allowances (Amendment) Rules, 2006, as required under section 9 (2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

Sir I, further lay on the Table—

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 9/Const./Art. 320/2006, dated the 25th May, 2006, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2006, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Annual Report of Haryana State Pollution Control Board for the year 2003-2004, as required under section 39(2) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

The 31st Annual Report of Haryana Seeds Development Corporation Ltd. for the year 2004-2005, as required under section 619-A-(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation, Chandigarh for the year ended 31st March, 2004, as required under section 37 (7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation, Chandigarh for the year ended 31st March, 2005, as required under section 37 (7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2002-2003, as required under section 39(3) of Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The 37th Annual Report & Accounts of Haryana Agro Industries Corporation Limited Chandigarh for the year 2003-2004, as required under section 619-A-(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 37th Annual Report of Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 2003-2004, as required under section 619-A-(3) (b) of Companies Act, 1956.

The 38th Annual Report of Haryana State Industrial Development Corporation Limited for the year 2004-2005, as required under section 619-A-(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 31st Annual Report of Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 2004-2005, as required under section 619-A-(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Public Service Commission for the year 2003-2004, as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

The Revised Explanatory Memorandum as Action Taken on the Report of 2nd State Finance Commission Haryana (September, 2004) which was laid on the Table of the House on 19th December, 2005, as required under clause (4) of Article 243-I of the Constitution of India.

The Annual Statement of Accounts of Haryana Urban Development Authority for the years 2003-2004 to 2004-2005, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana for the year 2004-2005, as required under Section 19-A(3) of Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Report of Haryana Electricity Regulatory Commission for the year 2004-2005, as required under Sections 104(4) and 105(2) of the Electricity Act, 2003.

शोक प्रस्ताव

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, इससे पहले कि वित्त मंत्री जी आपकी अनुमति से बोलें उससे पहले मैं आपके समक्ष एक शोक प्रस्ताव लाना चाहता हूं। हमारे एक आई०ए०एस० आफिसर श्री सुशील कुमार सक्सैना जी का भी पिछले दिनों देहांत हो गया था। कल किसी कारणवश हम शोक प्रस्ताव की सूची में उनका नाम शामिल नहीं कर पाए। मेरा आपसे निवेदन है कि उनका नाम भी शोक प्रस्ताव की सूची में शामिल कर लिया जाए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, हम भी अपनी पार्टी की तरफ से श्री सुशील कुमार सक्सैना के देहांत पर शोक प्रकट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री सुशील कुमार सक्सैना के निधन पर गहरा शोक है। यह एक बहुत नरम स्वभाव के सज्जन व्यक्ति और एक कुशल प्रशासक थे। परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति दे। उनके शोक संतप्त परिवार तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जाएगी। अब मैं दिवंगत आत्मा के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए सदन के सभी सदस्यों से खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूं।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

अतिविशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन

डॉ० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, एस० सी०) : अध्यक्ष महोदय, स्पीकर गैलरी में श्री दीपेन्द्र हुड्डा और डॉक्टर रामप्रकाश जी सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं लेकिन उनकी अनुपस्थिती में पार्लियामैंटरी अफेयरस मिनिस्टर का फर्ज बनता है कि वे उनके स्वागत के लिए सदन में दो शब्द कहें।

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : I thank Dr. Indora for correcting me. I welcome Dr. Ram Parkash, former Minister and Member of the House and also Sh. Deepender Singh Hooda, Member of Parliament, the youngest Member of Parliament of the country. Both of them are present today in the Speaker's Gallery.

Mr. Speaker : I also welcome them.

वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे प्रस्तुत करना चर्चा तथा मतदान तथा वर्ष 2006-2007 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the years 2002-2003 and 2003-2004.

Finance Minister (Sh. Birender Singh) : Sir, there are Demands for Supplementary Grants for the year 2006-2007 also. If you permit, all the three demands can be discussed together.

Mr. Speaker : Alright.

Sh. Birender Singh : Sir, I present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the years 2002-2003 and 2003-2004 and I also present the Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 2006-2007.

एस्टिमेटस कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, I.G. Sher Singh, Chairperson, Committee on Estimates, will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2006-2007.

I.G. Sher Singh (Chairperson, Estimates Committee) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (First Instalment) 2006-2007.

वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे और वर्ष 2006-2007 के लिए अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriations for the year 2002-2003 and 2003-2004 and on the Demands for Supplementary Grants for the year 2006-2007 will take place. As per past practice and in order to save the time of the House all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

(i) Demands for the year 2002-2003

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 48,17,913/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2002-2003 in respect of **Vidhan Sabha.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 11,88,78,286/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2002-2003 in respect of **Finance.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 28,52,66,040/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2002-2003 in respect of **Medical & Public Health.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 22,57,64,732/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2002-2003 in respect of **Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 109,08,32,094/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2002-2003 in respect of **Loans and Advances by State Government.**

(ii) Demands for the year 2003-2004

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 11,94,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Vidhan Sabha.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 17,55,76,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Revenue.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 16,80,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Other Administrative Services.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 39,55,80,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Medical & Public Health.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 78,37,25,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 2090,60,82,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Loans and Advances by State Government.**

(iii) Supplementary Demands for the year 2006.2007.

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 12-Labour & Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 98,17,50,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 16-Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 5,00,00,000/-** for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 24-Tourism.**

डॉ० सीता राम (डबवाली, एस०सी०): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय जी ने जो एक्सेस डिमांड रखी है उसमें कुंडली एक्सप्रेस हाई-वे का जिक्र भी है। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं ?

डॉ० सीता राम : सर, मैं डिमांड नं० 16 पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : डिमांड नं० 16 किस बारे में है ?

डॉ० सीता राम : सर, यह उद्योग के बारे में है। इसके अंदर पलवल कुंडली एक्सप्रेस हाई-वे के बारे में जिक्र किया गया है इसमें लिखा है कि—

> "Against the Budget provision of Rs. 10,00,00,000/- made in the Budget Estimates 2006-2007.".

अध्यक्ष महोदय, जो एक्सेस डिमांड है मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। इसके अंदर जो पलवल कुंडली एक्सप्रेस हाई-वे का जिक्र किया गया है मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि जो एक्सप्रेस हाई-वे है इसके लिए अब क्यों इतने ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गयी है ? यह एक्सप्रेस हाई-वे पहले वाली सरकार के समय में मंजूर हुआ था लेकिन इसको एक-डेढ़ साल तक डिले कर दिया गया। अगर यह काम पहले ही पूरा कर लिया जाता तो इस अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, यह तो पहले ही बताया जा चुका है। कि किसानों को अब 500 करोड़ रुपये मुआवजे के बजाए 650 करोड़ रुपये दिए गए हैं इसलिए अब इस एक्सप्रेस हाई-वे की कॉस्ट बढ़ गयी है। इसी वजह से अब यह एक्सप्रेस डिमांड आयी है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, उस समय पर जमीनों के रेट बहुत कम थे। उस समय उन कीमतों के अनुसार मुआवजा किसानों को दिया गया । वह उस समय की कीमतों के अनुसार था। अब जमीनों के रेट 10 से 20 गुना तक बढ़ गए हैं उन कीमतों के अनुसार किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है । मेरी यह मांग है कि उन कीमतों के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : ये भाव क्यों बढ़ गए ये इसलिए बढ़ गए क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो गई। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, दो लाख रुपये की बजाय 21 से 23 लाख रुपये तक मुआवजा दे रहे हैं। दस ग्यारह गुना ज्यादा दे रहे हैं।

डॉ० सीता राम : उस समय जमीन की कीमतें नहीं थी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और कीमतें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि सरकार प्रौपर्टी डीलिंग का काम करने लग गई है तो जमीन की कीमत तो ज्यादा हो ही जाएगी। (शोर एवं विघ्न)

श्री नरेश कुमार प्रधान (बादली) : स्पीकर सर, इनको दिक्कत ये है कि जमीन के भाव इसलिए ज्यादा हो गए क्योंकि इस सरकार ने किसानों को ओम प्रकाश चौटाला की ठगी से बचा लिया। सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र बादली में 940 एकड़ जमीन ओम प्रकाश चौटाला ने एक्वायर की थी। (शोर एवं व्यवधान) पांच बार मैं पंचायत के साथ गया था और चौटाला साहब से हमने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि किसानों के साथ दुराचार मत करो, बर्बादी मत करो लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने एक न सुनी । ओम प्रकाश चौटाला का एक ही जवाब था कि मैं किसका घर पाड़कर मुआवजा दूं। मुआवजा 2 लाख 70 हजार ही रहेगा। अब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडडा की सरकार ने किसानों के घर पाड़े बगैर 20 लाख रुपये मुआवजा दिया है। इनके प्यादे किसी के पास नोटिस भिजवाते थे और कहते थे कि तेरी जमीन 2 लाख 70 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से एक्वायर हो रही है तू हमें चार लाख रुपये एकड़ में बेच दे। ये किसानों की जमीन के साथ ठगी करते थे। ये तो ठगों की जमात थी। आज ये पूछना चाहते हैं कि जमीन के रेट (शोर एवं व्यवधान) कैसे बढ़ गए ? मैं बताना चाहता हूं कि रेट इसलिए बढ़े क्योंकि हरियाणा प्रदेश की तरक्की करने के लिए ये काम चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडडा कर रहे हैं। जो ठगी करने वाले लोग थे वे जेलों में चले गए हैं और जो बाकी बचे हैं वे भी जल्दी ही भेज दिये जाएंगे। हम जब हाथ उठाते हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जाता है। इन साथियों को यहां बोलने का पूरा मौका दिया जाता है फिर भी ये लोग अपनी बकवास से बाज नहीं आते हैं। (शोर एवं व्यवधान) हमारे चाचा ताऊ तो हमें पीटते थे और आगे भी हमेशा पीटते रहेंगे लेकिन चौटाला की वर्कशाप में कौन सा ऐसा विधायक है जिसका ट्रीटमैंट न हुआ हो। उससे पिट-पिट कर तो ये विधायक बनकर आ गए नहीं तो इनने कौन बूझे था।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, * ** **

श्री अध्यक्ष : बलवंत सिंह जी, डॉक्टर साहब इस समय लैग्स पर हैं और आप वाली बात वे ही कह देंगे।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनका क्या ये कोई बोलने का तरीका है। ये जो बकवास वर्ड यूज कर रहे हैं। यह कौई तरीका है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने यह कहा था कि भाव इसलिए बढ़ गए कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है। He spoke on the point of order.

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : उसने प्वाइंट आफ आर्डर पर यह कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति इम्प्रूव कर जाने से जमीनों के भाव बढ़ गए। उसने यह कहा कि इन्वैस्टर्स का रुझान था और कॉन्फीडैंस इन्क्रीज कर गया इसलिए जमीनों के रेट बढ़ गए और सरकार ने ऐक्वीजिशन के रेट भी बढ़ा दिए इसलिए भाव बढ़े।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस सदन की गरिमा को बहाल रखने के लिए आप कदम उठाएं। लोकतंत्र की परिभाषा में प्रदेश के किसी नेता के लिए यह कहना कि ठगी करते थे यह ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं हमने प्रदेश के किसी नेता के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि अशोभनीय हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन शब्दों को हाऊस की कार्यवाही से एक्सपन्ज कर दिया जाए। ऐसे शब्दों को जो मैम्बर साहेबान प्रयोग करते हैं वे उन शब्दों का इस्तेमाल न करें।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धर्मबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी विधायक डॉक्टर सीता राम जी ने जैसे कहा इनका मतलब कहने का यह है कि इतने ज्यादा दाम उस जमीन के कर दिये जब सरकार ने दाम बढ़ाये हैं इसीलिये पैसा ज्यादा मिलने लग रहा है। एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि पहले पैसा कम मिलता था अब ज्यादा कर दिया तो कह रहे हैं कि ज्यादा क्यों कर दिया। पिछली सरकार के समय क्या होता था कि कभी कैसीनो का बिल आता था तो कभी डिज्नीलैंड के बारे में बिल आता था और सारे प्रदेश की जनता उन बिलों का विरोध करती थी। आज सरकार ने एस०ई०जैड० का एक सही फैसला किया किया है जिसकी वजह से विदेशों में रहने वाले एन०आर०आईज़ और दूसरे लोगों की लाईनें लगी हुई हैं कि हमें हरियाणा में जमीन दो, हम हरियाणा में उद्योग लगाना चाहते हैं । सारा प्रदेश इस बात के लिए स्वागत करता है आप भी स्वागत करते थे, थोड़ी देर पहले और आपकी पार्टी के लोग भी स्वागत करते थे। इन्दौरा साहब, आपको तो उस वक्त के लिए प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि पिछली सरकार के समय 5-6 सालों में हरियाणा में नये उद्योग लगने की बजाए छोटे-छोटे उद्योगपति प्रदेश से भाग गये।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, हमने इस बिल का विरोध नहीं किया है। हमारे बारे में ऐसे ही दुष्प्रचार किया जा रहा है। हम तो कुछ प्वायंट हैं उनको रेज करना चाहते हैं कि वहां के किसानों की क्या दिक्कत है। यह कहना चाहते हैं कि जिन किसानों की जमीन इस एस०ई०जैड० के लिए अधिग्रहण करनी है तो उस कम्पनी को डायरेक्टली अधिग्रहण करनी चाहिए ताकि उन किसानों को अपनी जमीन का मार्केट वेल्यू के अनुसार भाव मिले। दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह टैक्स फ्री जोन है फिर दस हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू कहां से आयेगा ? तीसरा, मेरा प्रश्न यह था कि जो नौकरियों की बात सरकार कर रही है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एस०ई०जैड० में 25 प्रतिशत नौकरियां सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उसमें 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के लोगों को मिलनी चाहिएं।

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका व्यक्तिगत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। पहली बात तो यह है कि इन्दौरा जी यह समझ ही नहीं पाए कि एस०ई०जैड० क्या है। इस बारे में ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाये। खूब चर्चा सुनते ते पहलू में दिल का, चीर के देखा तो कतरा ए खून भी न निकला।" मैं सीता राम जी

को बताना चाहूंगा कि 25 प्रतिशत नौकरियां तो हरियाणा के लोगों के लिए मस्ट हैं उससे ज्यादा वे चाहें सारी की सारी दे दें।

डॉ० सीता राम : मैं यह कहता हूं कि 75 प्रतिशत मस्ट होनी चाहिए।

श्री फूलचन्द मुलाना : 25 प्रतिशत तो मस्ट हैं।

श्री लछमनदास असेड़ा : अध्यक्ष महोदय, इनको इस बारे में मालूम ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब, आप बैठिये।

डॉ० सीता राम : 25 प्रतिशत के बारे में तो रिकार्ड पर है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि 25 हजार एकड़ जमीन जो एक्वायर की जायेगी। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी डॉक्टर सीता राम जी पिछले सदन में भी इस सदन के सदस्य थे। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि यह कोई भी बात कहें तो वह फैक्ट्स पर कहें। 25 हजार एकड़ जमीन एक्वायर करने की बात कहां आई है किसने कहा है इसका मतलब तो यह है कि जो सरकार की पॉलिसी है वह इन्होंने पढ़ी ही नहीं है । ये हाऊस को गुमराह करने की कोशिश न करें। दूसरी बात इन्होंने टैक्स फ्री जोन से पांच हजार करोड़ रुपये रेवेन्यू की बात की है। इनको यह मालूम होना चाहिए कि यह जो एस०ई०जैड० है, यह मल्टी प्रोडैक्ट्स है। इसमें 45 प्रतिशत प्रोसैसिंग प्लांट्स लगाये जायेंगे, उसके बाद 50 प्रतिशत डोमैस्टिक के लिए प्रयोग होगा जिससे पांच हजार करोड़ रुपये टैक्स के रूप में आयेगा और पांच हजार करोड़ रुपये, ट्रांसपोर्ट हब बनेगा, उससे आयेगा इस प्रकार कुल दस हजार करोड़ रुपये का स्टेट को फायदा होगा। अगर आप पूरी जानकारी के साथ बोलेंगे और कंस्ट्रक्टिव सुझाव देंगे जो प्रदेश के हित में हों तो उनका मैं स्वागत करूंगा लेकिन बगैर ज्ञान के और बगैर पढ़े और बिना किसी बात की तह तक जाए कोई बात कहना इनको शोभा नहीं देता क्योंकि ये जिम्मेवार सदस्य हैं। 25 हजार की फीगर मैं पहली बार सुन रहा हूं गवर्नमैंट की पॉलिसी है कि 75 परसैंट जमीन वे अपने आप खरीदेंगे और 25 परसैंट जमीन मैक्सीमम हम देंगें। अब तक किसी के लिए भी एक एकड़ जमीन भी गवर्नमैंट ने एक्वायर नहीं की। बिना बात ऐसे ही बात कह रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और प्रदेश के विकास में बाधा बन रहे हैं या तो प्रदेश का विकास इनको हजम नहीं हो रहा और तरह तरह की बेकार बातें कर रहे हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। इंडस्ट्रीज की डिमांड पर डिस्कशन चल रही है तो ये एस०ई०जैड० का मामला कहां से आ गया। अध्यक्ष महोदय, अंडर कंसीडरेशन कोई मामला है और ये बोल किसी और मामले पर रहे हैं। इनको किसी बात का पता नहीं है इसलिए आप इनको इस तरह बोलना अलाउ न करें।

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी, आप इंडस्ट्रीज की डिमांड पर बोलें।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, कुण्डली पलवल एक्सप्रैस हाइवे भी एस०ई०जैड० का पार्ट है उसी से सारी डिवैल्पमैंट होनी है। एस०ई०जैड०. जो सरकार डवलप कर रही है यह एक्सप्रैस भी उसी का हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी ने जो 25 हजार फीगर की बात की तो उस बारे में मैं यह कह रहा था और मेरे कहने का भाव यह है कि 25 हजार एकड़ जमीन पर जो एस०ई०जैड० डवैलप होना है।

श्री अध्यक्ष : लीडर आफ दि हाउस ने कहा है कि ये 25 हजार की फीगर आप कहां से लाए हैं। यह रिपोर्ट में मैंशन है या आपके कोई सोर्सिज हैं।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि 25 हजार एकड़ पर एस०ई०जैड० डवलप होना है, मैंने एक्वायर करने का नहीं कहा। किसानों की उपजाऊ भूमि ये एक्वायर करेंगे। एस०ई०जैड० के लिए जो भूमि कम्पनी लेगी, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। आज पूरे देश में खाद्यान्नों की कमी है और हमें दूसरे देशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता है। उन किसानों की क्या हालत होगी जिनकी भी जमीन एक्वायर की जाएगी ? क्या उनके लिए उस एस०ई०जैड० में नौकरियों का कोई प्रावधान किया जाएगा ? (विघ्न) मेरा जो सवाल है उस पर मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। बड़ी चिंता का विषय है कि जब इतनी जमीन एक्वायर कर लेंगे तो प्रदेश में खेती के लिए जगह कहां बचेगी ? एस०ई०जैड० जो डवलप होना है उसके बारे में मैं कह रहा हूं कि इतने एकड़ जमीन के अंदर जब एस०ई०जैड० डवलप होगा। एस०ई०जैड० की शुरूआत जैसे एन०सी०आर० रीजन में की गई है तो इसके बारे में मेरा कहना है कि इसकी बजाय और उपजाऊ भूमि की बजाय जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके अंदर इसकी शुरूआत करनी चाहिए थी ताकि पूरे प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके।

श्री लछमण दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा साहब आप बैठें। सीता राम जी, आप बताएं आपके हिसाब से ये कैसी जमीन है ? Whether irrigation facilities are given there ? What type of land it is ? I think you do not have the knowledge कि ऐसी जमीन है या ऐसी जमीन है। Please don't waste the time of the House. Ask specific question and give specific information to the House.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, बहुत जगह ऐसी हैं जो उपजाऊ भी है जिसके अंदर ये एस०ई०जैड० डवलप होना है।

श्री अध्यक्ष : कौन से गांव में है ?

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड देख लें।

श्री अध्यक्ष : आप आन रिकार्ड बताएं, नोलेज आफ दि हाउस बताएं कि कौन से गांव की जमीन ऐसी है और वहां किस रेट की जमीन है ? (शोर एवं व्यवधान) पण्डित जी बताएंगे कि ढहर की जमीन कैसी है ? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ये 2 करोड़ की जमीन 20 लाख में दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी, जिनकी जमीन जा रही हैं उनसे पूछ लें क्योंकि केस तो उन्हीं लोगों को करना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हरी राम : अध्यक्ष महोदय, ये मेरी बात सुनें,एक मिनट ध्यान दें। मैं इनको कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) सीता राम मेरी बात आराम से सुण, अरे सीता राम मेरी बात सुण (विघ्न) सीता राम, मेरी बात सुणता है या मैं तेरे धोरे आके सुनाऊं।

श्री अध्यक्ष : हरि राम जी, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, हरि राम जी का व्यवहार सदन में ठीक नहीं है। इस तरह से मैंबर को सदन से बाहर निकालना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Indora ji, please take your seat. Sita Ram ji, please continue your speech. (Noise and Interruptions).

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, जो मैंबर बोलना चाहे वह बोले लेकिन मेरे को कोई बीच में डिस्टर्ब न करें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें। डॉ० इंदौरा जी, प्लीज आप बैठें। डॉ० सीता राम जी आप अपनी बात कहें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मैंबर को सबके सामने धमकाया जा रहा है। लोकतांत्रिक परम्पराओं में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उस मैंबर को सदन से डिस-क्वालीफाई किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, किस लिए डिस-क्वालीफाई किया जाये ? आपके मैंबर डॉ० सीता राम जी को बोलने के लिए समय दिया हुआ है और आप उनकी बात नहीं सुन रहे। डॉ० सीता राम जी, प्लीज आप अपनी बात पूरी करें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जैड० का जिक्र चल रहा था। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इनीशियल स्टेज पर एच०एस०आई०डी०सी० इसको डवैलप करने जा रही थी। एकदम क्या कारण हुए कि (शोर एवं व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : नो, प्वायंट ऑफ आर्डर । शर्मा जी, प्लीज आप बैठें। आप डॉक्टर साहब को अपनी बात पूरी करने दें।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एकदम क्या कारण रहे कि वहां पर एस०ई०जैड० बनाने का अवसर केवल रिलायंस कंपनी को ही दिया गया ? मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कि क्या किसी और कंपनी से भी इस बारे में कोई एप्लीकेशन मांगी गई थी या नहीं तथा जिस रिलायंस कंपनी को एस०ई०जैड० डवैलप करने का अवसर दिया है क्या उसे एस०ई०जैड० डवलप करने का पहले कोई एक्सपीरियंस है ? इसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब एस०ई०जैड० डवैलप होगा तब इसमें जो बिजली और पानी का प्रावधान करना होगा, वह कौन करेगा ? उसको रिलायंस कंपनी करेगी या सरकार करेगी ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस एस०ई०जैड० में एच०एस०आई०डी०सी० का 10 प्रतिशत का शेयर है जो कि ज्यादा भी किया जा सकता था। जिससे इक्विटी शेयर होता और प्रदेश की जनता को अधिक फायदा होता। अध्यक्ष महोदय, इस एस०ई०जैड० के विरोध में प्रदेश में जगह-जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि लोगों के मन में शंका है कि इस मामले में दाल में कुछ काला है। इसके अतिरिक्त जो एस०ई०जैड० डवलप हो रहा है उसके बारे में फाईनैंशियल मैमोरैंडम में कहा गया है कि

[डॉ० सीता राम]

एस०ई०जोन के डवलप होने से पूरे प्रदेश के अन्दर जो इण्डस्ट्रीज या छोटी इण्डस्ट्रीज हैं वह उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगी और उन पर इस का बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिनके छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हैं वे लोग अगर एस०ई०जैड० में आते हैं तो वहां पर न तो वे जमीन ले सकते हैं और न वहां पर अपनी कोई इण्डस्ट्रीज या फैक्टरी लगा सकते हैं। जो छोटे उद्योग पिछड़े हुए इलाकों में लगे हुए हैं वे सारे उद्योग-धन्धे चौपट हो जाएंगे और इन उद्योग धन्धों में जिन लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए इसके बारे में मेरा कन्सर्न है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात पूछी है उसके बारे में मन्त्री जी अपने जवाब के समय बता दें। धन्यवाद।

श्री सुखबीर जौनपुरिया (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी रोडज के बारे में बात हो रही थी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जयपुर-दिल्ली हाई-वे पर गुड़गांव के अन्दर अभी हल्दी राम कैम्पलैक्स से लेकर हीरो-हाण्डा चौक तक इस हाईवे के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। इसलिए इस रोड के बारे में थोड़ा सा गौर किया जाए। जैसे कि सुबह से ही सारे सदन में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं आंकड़ों के साथ आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं। मैं जो बात अभी कह रहा हूं आप इस ओर ध्यान दें। बहुत समय पहले जमीन एक्वायर की गई थी मेरे ऐलिवार, ढाणा, बासपुर, कासन और मानेसर की जमीनों का करीब छः लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिला था और यह मुआवजा जैसे कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि दो लाख साठ हजार प्रति एकड़ के ऊपर दिया गया था।हमने इलैक्शन के वक्त इस बात को लेकर खूब शोर मचाया था जैसे कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था उसके बाद 20 लाख रुपये जमीन का मुआवजा दिया गया था। आज तक किसी भी जमीन का मुआवजा 20 लाख रुपये प्रति एकड़ नहीं मिला था। हमने सदन में और सदन से बाहर भी इस बात का खूब शोर मचाया था दिल्ली की दर पर यहां पर मुआवजा मिलना चाहिए । उस वक्त दिल्ली में 23 लाख रुपये का मुआवजा था । सब लोगों ने उसी दिन से इस बात को उठाया था कि दिल्ली की दर पर हमारे यहां पर मुआवजा दिया जाए और वह दर 23 लाख रुपये की थी। अध्यक्ष महोदय, आज जो मुआवजा दिया जा रहा है वह 21 लाख से अब 23 लाख रुपये हुआ है। उसके बाद बार-बार जमीन की जो बात कह रहे हैं कि जमीन एक्वायर की जाए खेड़की ज्वाला, अलियर के पास जितने भी गांव हैं 6 महीने पहले उनकी जो भी जमीन खरीदी गई वह 15 से 20 लाख रुपये की परचेज्ड हैं। अगर आप चाहें तो छः महीने पहले की रजिस्ट्रीज मैं लाकर दिखा सकता हूं। एस०ई०जैड० के आने से पहले और आर०जैड० डिक्लेयर होने से पहले वहां पर जमीन के रेट्स 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये प्रति एकड़ थे। काकरौला, भांगरौला और दूसरे गांवों की रजिस्ट्रियां अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि इस भाव पर जमीन खरीदी गई है। जिस दिन एस०ई०जैड० स्कीम डिक्लेयर हुई है उस दिन के बाद हाईवे के ऊपर करीब 40 से 50 लाख रुपये प्रति एकड़ जमीन का रेट था और उसके बाद एकदम पूरी मार्किट में जमीन के रेट्स में बूम आया तब से ही ये रेट्स बढ़े हैं। स्पीकर सर, बार बार यहां पर कहा जा रहा है कि जो जमीन इसमें जा रही है वह बहुत उपजाऊ जमीन है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुल्तान पुर लेक के नजदीक मेरे पास जमीन है। मुझे यह कहते हुए 15 साल हो गए हैं कि कोई उस जमीन को खरीद ले लेकिन किसी ने भी उस जमीन का पांच लाख से ज्यादा का भाव नहीं दिया। आज हर आदमी इस बात को मानता है कि इस जमीन में टिब्बे हैं और उसका पानी खारा है। सुल्तान पुर लेक के बारे में सारा सदन भी सुन रहा है और बाहर भी लोग सुन रहे हैं। वहां पर 5 लाख से 7लाख रुपये के ऊपर कोई

मुआवजा नहीं था लेकिन आज वहां पर 21 से 23 लाख रुपये का मुआवजा इस एस०ई०जैड० स्कीम आने की वजह से हुआ है। अब लोग इस बात को महसूस करते हैं कि अगर एस०ई०जैड० स्कीम नहीं आती तो जमीन का इतना ज्यादा रेट नहीं मिलना था। स्पीकर सर, आज वहां के लोगों में एक कहावत हो गई है कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा यहां पर नहीं आया अगर वह आ जाता तो उनकी शादियां हो जातीं। पिछले वाला मुख्य मन्त्री तो यह कहता था कि वोट दो लड़के ब्याहने शुरू कर देंगे। आज हमारे गांवों में इस प्रकार की हंसी बना रखी है कि जिसके घर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा आ गया उसके लड़कों की शादियां हो रही हैं। स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब यह है कि लोगों में कहावत बनी हुई है जिन लोगों की जमीन किसी भाव पर नहीं बिकती थी वह जमीन आज ऊंचे भाव पर बिक रही है। (विघ्न) इन्दौरा साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुन लें मैं आपको पूरे आंकड़े देकर बता रहा हूं। खेड़की, शेखोपुर, शीशपुर सिकन्दर पुर,हयातपुर, बड़ा शिकोहपुर में से किसी भी गांव की रजिस्ट्री उठा कर आप देख लें छः महीने पहले गुड़गांव और सोहना तहसीलों का आप रिकार्ड मंगवा लें, 40 लाख रुपये से ऊपर की कोई रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप कोई भी रजिस्ट्री उठा कर देख लें उसकी कीमत काफी कम थी। (विघ्न) एस०ई०जैड० आने के बाद गुड़गांव के अन्दर, जहां की अभी बात चल रही थी जमीनों के रेट्स बढ़े हैं। यहां पर किसान हितैषी सरकार की बात हो रही थी। किसानों के पास 268 रुपये का मुआवजा गवर्नमैंट से आया था। जब हम इलैक्शन लड़ रहे थे। उस समय चौटाला साहब ने कहा था कि आप 268 रुपये मुआवजे की बात को छोड़िये, जब चीफ मिनिस्टर बनता है तो वह सारे हरियाणा प्रदेश का मालिक बन जाता है। आप मुझे वोट देकर जिताओं हम 268 रुपये का मुआवजा वापिस कर देंगे आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, मेरे ख्याल से झाडसा चौक, गुड़गांव में लाखों लोग इक्ट्ठे हुए थे, 90-90 वर्ष के आदमी वहां पर पहुंचे थे। लोगों ने चौटाला साहब को कहा था कि आज तो आप अपनी कही हुई बात को मानों क्योंकि आपकी सरकार आ चुकी है और 2.68 लाख रुपये वाले मुआवजे की बात को वापिस लो। चौटाला कहने लगा कि तुम इस बात को छोड़ दो वह बात पुरानी हो गई है। स्पीकर सर, उस वक्त आज के सी०एम० साहब भी वहां पर गए थे। वहां पर लोगों पर पुलिस के द्वारा पानी की बौछारें छोड़ी गई थीं, घोड़ों वाली पुलिस से लाठियां बरसवाई गई थीं। वहां पर लोगों की टोपियां, पगड़ियां और जूतियां ही रह गई थीं और लोगों को सोहना तक खदेड़ा गया था लेकिन इन्होंने आज तक उस बात का जिक्र नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज से पहले भी सरकारें बनती रही हैं, मुख्यमंत्री आते रहे हैं लेकिन आज के मुख्यमंत्री जैसा अच्छा और बढ़िया काम किसी ने नहीं किया है। इनको तो दर्द इस बात का है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने ऐसा बढ़िया स्टैप कैसे उठा लिया है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो 1600 करोड़ रुपए के बिल माफी वाला स्टैप उठाया है यह बहुत ही बढ़िया स्टैप है। अध्यक्ष महोदय, चौटाला सरकार भी डिजनीलैंड बनाना चाहता थी, जापान सिटी बनाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने जमीन भी एक्वायर कर ली थी। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि ये एक भी ऐसा उदाहरण बताएं कि हुड्डा साहब, आपने एस०ई०जैड० के लिए फलाना जो डिसीजन लिया है वह गलत लिया है उसमें ये शर्तें लागू होनी चाहिए थीं जो आपने नहीं मानी हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहता हूं कि इससे बढ़िया कोई डिसीजन हो ही नहीं सकता है। असल में इनके पास कोई सवाल ही नहीं है और ये बिना मतलब के ही यहां पर बातें करते रहते हैं। स्पीकर सर, यह जो एस०ई०जैड० आया है इसमें अन्धेरी से लेकर कुतुब तक और फिर द्वारका तक 150-150 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी और यह फासला आधे घंटे में

[श्री सुखबीर जौनपुरिया]

ही तय किया जा सकेगा। स्पीकर सर, पिछली सरकार के वक्त में सभी सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी थी और वहां पर 3-3 घंटे तक जाम लगा रहता था। आज जिस हिसाब से हमारी सरकार में हरियाणा में डिवैल्पमैंट हो रही है और यह जो एस०ई०जैड० और आर जौन आया है उससे जिन जमीनों के भाव पहले कौड़ियों के थे ये दाम आज काफी बढ़ गए हैं। इससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो एच०एस०आई०डी०सी० और हुड्डा में गांवों की जमीनें एक्वायर हुई हैं उन गांवों की डिवैल्पमैंट जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का एस०ई०जैड० में 2500 मैगावाट का पावर प्लांट बनाने का प्रपोजल था, उसके लिए हमें रिलायंस कम्पनी पर जोर देना चाहिए कि वे उस पॉवर प्लांट को पहले बनवाएं। जबकि ये बार-बार कह रहे हैं कि यह पॉवर प्लांट नहीं बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़े फायदे की बात है हमें वे सबसे पहले करनी चाहिए। इसके अलावा एक बात ये बार-बार कह रहे थे उस बारे में मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि खेड़कीदौला में जिन लोगों की जमीन परचेज हुई थी मैं उन लोगों का नाम नहीं बताना चाहता हूं । उन्होंने पहले उन जमीनों को बेच दिया लेकिन आज दाम बढ़ गए हैं तो उनको इस बात का दर्द हो रहा है। (विघ्न) असल में उनको इस बात का ही दर्द है कि उन्होंने पहले जमीन बेच दी और दाम अब बढ़ रहे हैं। (विघ्न) मैं आपको उनकी रजिस्ट्रियां भी दिखा सकता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनको दर्द इस बात का हो रहा है कि वह जमीन अब इनके हाथ से निकल गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको यह कहना चाहता हूं कि इनको जो भी बात सदन में कहनी हो वह तथ्यों के आधार पर कहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनके वक्त में जब जमीन एक्वायर की गई थी तो इन्होंने वहां पर सैक्शन 17-बी लगा दी थी। इस सैक्शन के तहत जमींदार को आब्जैक्शन भी लगाने का मौका नहीं मिलता था। आज उन जमीनों के रेट लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। जब चौटाला साहब को उनके वक्त में लोगों ने गांवों में बुलाया था और वहां पर लोगों ने उनसे कहा था कि साहब हमारे मकान भी बीच में आ गए हैं तो आप इस बारे में विचार करें। उस वक्त चौटाला साहब ने कहा था कि इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा फैसला वही का वही रहेगा। तुम्हारे मकान नहीं बच सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि जब आज की कांग्रेस की सरकार आई तो हमने वहां पर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम रखवाया था और इनको सारी बात बताई कि हजारों लोग बर्बाद होने जा रहे हैं, उनके मकान टूटने जा रहे हैं और लोग बेघर होने जा रहे हैं । मुख्यमंत्री जी ने सारी बात सुनी और आज उनका बचाव हुआ है और वे लोग सुख की सांस ले रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज ये स्कूलों की बात करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि इनको तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं कि आज आप वहां पर एक भी स्कूल ऐसा बता दें जिसकी बिल्डिंग जर-जर हो, जिसमें पेंट न हुआ हो। अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के राज में तो श्मशान घाट के रास्ते और वृद्ध आश्रम ही बनवाए जाते थे। इसके बावजूद इन्होंने जो 39 साल का रिकार्ड बताया है तो मैं यह कहता हूं कि उस 39 साल के रिकार्ड को एक तरफ रख दो और इस सरकार के डेढ़ साल के रिकार्ड को एक तरफ रख लो। अब इन सब बातों के बावजूद भी ये मान नहीं रहे हैं कि डिवैल्पमैंट हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं जमीनों को एक्वायर करने के बारे में तथ्यों के आधार पर बताना चाहता हूं कि इन्हीं गांवों की जमीनें सिर्फ 6 महीने पहले ही एक्वायर हुई थी जब चौटाला साहब ने 2.60 लाख रुपये का मुआवजा दिया था लेकिन आज उनमें किसी का घर नहीं है सारी

ढाणियां उजड़ी हुई हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जो लगती हुई जमीनें हैं वह सारी छोड़ी गयी हैं और बसावट की जमीन दो-दो एकड़ के करीब और बढ़ा दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जैड० का बार-बार विरोध किया जा रहा है। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहां पर जो और आगे की जमीनें है वह परचेज होनी शुरू हो गयी हैं। बीस लाख रुपये, बाईस लाख रुपये के हिसाब से जमींदार हंसकर अपनी जमीनें दे रहे हैं। वे लोग भी आज इस बात को मानते हैं कि अगर यह सरकार न आती तो उनको पांच सात लाख रुपये में ही अपनी जमीनें देनी पड़ती। जो बार-बार यह कहा जा रहा है कि एस०ई०जैड० ठीक नहीं है वह गलत है क्योंकि इसमें जो डिवैल्पमैंट हो रही है उसके तहत 25 परसैंट रोजगार हमारे नौजवानों को देने की बात है। ये लोग तब तो एस०ई०जैड० का विरोध करते यदि पहले इनमें 50 परसैंट रोजगार देने की बात होती और अब उसको 25 परसैंट कर दिया जाता है यदि ऐसा हो जाता तब तो इनको शोर मचाना चाहिए था कि पहले 50 परसैंट रोजगार देने की बात थी लेकिन अब आपने यह 25 परसैंट कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, आज तक कोई भी आदमी इतने बोल्ड फैसले नहीं ले पाया है, हुड्डा साहब पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एस०ई०जैड० लाकर दिया है, जिन्होंने बिजली के बिल्ज के 1600 करोड़ रुपये किसानों के माफ कर दिए हैं। जो ये कह रहे थे कि पहले भी चालीस हजार करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट आयी थी वह ठीक नहीं है। हो तो यह रहा है कि अब बहुत बड़ी बड़ी इन्वैस्टमैंट प्रदेश में आ रही हैं तब जाकर जमीनों के रेटस बढ़े हैं। अगर इससे पहले रेटस बढ़े हों तो ये बता दें क्योंकि यह इनके सामने की बात है। ये वही टच गांव हैं जिनकी जमीनों के पहले रेटस कम थे। वहां पर करीब करीब 80 परसैंट सब गांवों की जमीनें 15,25 या30 लाख रुपये प्रति एकड़ के भाव में बिकी हुई थी लेकिन एस०ई०जैड० आने के बाद वहीं पर जमीनों के रेटस बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव की डिवैल्पमैंट के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा । वहां पर हल्दीराम तक ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है। जिस हिसाब से अब की प्लान में रोडज आयी हैं तो पिछले प्लान में भी रोडज एक्सटैंड की जाएं और रोडज को बढ़ाया जाए। एच०एस०आई०डी०सी० और हुड्डा ने जिन गांवों की जमीनें एक्वायर की हैं उनकी डिवैल्पमैंट पर भी ध्यान दिया जाए। पहले जब कई गांवों की जमीनें एक्वायर हुई थी तो उस समय श्मशान घाट तक की जमीनों को एक्वायर कर लिया गया था इस कारण अब वहां के गांवों में मुर्दो को जलाने तक के लिए जगह नहीं बची है। मेरा अनुरोध है कि उन गांवों में कहीं न कहीं पर इस वास्ते जमीन दी जाए। इसके अलावा जो लोग गांवों में वहां पर बस रहे हैं उनकी डिवैल्पमैंट के लिए भी जगह दी जाए। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : स्पीकर साहब, जहां तक एस०ई०जैड० की बात है मुझे अभी मसूदपुर गांव के भाईयों द्वारा एप्रोच किया गया है। उन्होंने कहा है कि वहां कि 1250 एकड़ जमीन उनकी पंचायत की है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब, आप डिमांड पर बोलें।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह लूं इसके बाद मैं डिमांड पर ही बोलूंगा । जो एस०ई०जैड० की बात है हमारे मसूदपुर गांव के भाईयों ने कहा है कि 1250 एकड़ जमीन उनकी पंचायत की है। उन्होंने मुझे कहा कि गौतम साहब, आप हमारे को मुख्यमंत्री जी से मिलवा दो। अगर वे हमारे सारे बच्चों को रोजगार दे दें तो हम अपनी यह जमीन मुफ्त में दे देंगे। यदि सरकार और जमीन एक्वायर करना चाहती है और जिस तरह से सरकार ने गुडगांव में, झज्जर में या सोनीपत में किसानों को जमीनों का मुआवजा दिया है अगर हमें भी वैसा ही मुआवजा दे दें तो हमसे वह सारी जमीनें ले लें। अध्यक्ष महोदय, एस०ई०जैड० से जो आम लोग हैं वह बहुत

[श्री राम कुमार गौतम]

ज्यादा नाराज नहीं हैं। कुछ लोग बेचारे पोलिटिक्स में दॉव लगाने के चक्कर में हांडे जा रहे हैं और कोई सौदा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भी हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती सिंधिया जी एस०ई०जैड० बना रही हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कई बार कोई आदमी नौकरी में तो फिट होता है फौज की लेकिन यदि वह पड़ जाए लाले की दुकान में तो फिर ऐसा ही होता है। हमारे ये गरीब वर्ग के भाई गलत महकमे में पड़ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, सात हजार का बैकलॉग जो आदमी एस०सीज० वर्ग की नौकरियों में छोड़कर गया हो वह अब क्या बात करेगा ? एस०सीज० और बी०सीज० की वैल्फेयर का जो तीन करोड़ रुपये का बजट था, उसको टेक ओवर करते हुए उन्होंने दो करोड़ रुपये से घटाकर एक करोड़ रुपये कर दिया था। यह तो भला हो संविधान के बनाने वालों का कि उन्होंने बीस परसैंट एस०सीज०/एस०टीज० भाईयों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन कर दी। इन भाइयों ने तो एस०सी०, एस०टी० की नौकरियां भी खत्म कर दी और उनका भी बैकलॉग खा गये थे। (शोर एवं विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री राम कुमार गौतम : बैठ जाओ इन्दौरा साहब, आप दो मिनट बाद अपना प्वायंट आफ आर्डर रख देना। जब आप बोल रहे थे तब मैंने आपको बीच में नहीं टोका था। (शोर एवं व्यवधान) आप दो मिनट बाद अपना प्वायंट ऑफ आर्डर रख देना। आप कोई कारगर बात तो रखते नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं इससे ब्राह्मणवाद की बू आ रही है।

श्री राम कुमार गौतम : यह सबको पता है कि मैं कितना ब्राह्मणवादी हूं। यह बात सभी जानते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने ओ०बी०सीज० के लिए 27 परसैंट नौकरियां आरक्षित रखीं। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला के राज में किसी भी बिरादरी के लिए एक परसैंट भी आरक्षण हुआ हो तो बता दें। यह रिकार्ड की बात है। मुझे तरस आता है इन भाइयों पर कि अरे मेरे भाईयों तुम ऐसे दल में शामिल हो गए हो जिनको ओला काढ के चलना चाहिए। स्पीकर सर, मैं राजनीति करता हूं और सिर्फ इसलिए राजनीति करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में बसने वाले सभी भाइयों को बगैर जात-पात के उनका हक मिले, सब सुख की नींद सोयें। सभी को न्याय मिले। लेकिन इनकी पार्टी का तो ये सिद्धांत है कि चाहे किसी को फांसी लगे, चाहे किसी का कुछ भी बिगड़ जाए पर ये एम०पी०, एम०एल०ए० बने रहें। ऐसे एम०एल०ए० या एम०पी० बनने से तो अच्छा है कि कुंवारे बैठे रहो। (शोर एवं विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, गौतम साहब ने बड़ी वाजिब बात रखी है। खास तौर से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो पद सारे प्रान्त में थे। स्पीकर सर, इस बात का श्रेय कांग्रेस की चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार को जाता है जिन्होंने संविधान के 85वें संशोधन को लागू करने की सभी गरीब आदमियों की लगातार मांग थी और जिस मांग को आज तक किसी सरकार ने नहीं माना था, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने उसके क्रियान्वयन के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।

श्री ईश्वर सिंह पलाका (रादौर, अ०जा०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप किस डिमांड पर बोलना चाहते हैं।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : सर, मैं डिमांड नंबर 10 जोकि मैडीकल एंड पब्लिक हैल्थ के बारे में है उस पर बोलना चाहता हूँ। स्पीकर सर, आज प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री महोदया ने बताया था कि हॉस्पीटल्ज की स्थिति बहुत बढ़िया है। मैं कहूंगा कि हॉस्पीटल्ज की स्थिति जितनी बढ़िया बताई गई है वास्तव में उतनी बढ़िया है नहीं। मेरे हल्के में भी एक हॉस्पीटल आता है। मैंने उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री महोदया से निवेदन भी किया था कि उस हॉस्पीटल में एक्सरे मशीन के लिए कोई ऑपरेटर दे दें लेकिन वह आज तक नहीं दिया गया। जब वहां कोई गरीब आदमी एक्सरे के लिए जाता है तो उसे डॉक्टर एक्सरे के लिए जगाधरी भेज देते हैं। जबकि गरीब आदमी के पास जगाधरी जाने आने के लिए किराया तक नहीं होता और वह धक्के खाकर ऐसे ही बैठ जाता है या फिर मजबूर होकर प्राइवेट अस्पताल में जाता है। हमारे यहां अस्पताल में डॉक्टर्ज की भी काफी कमी है। जब कभी कोई अच्छा डॉक्टर आ भी जाता है तो उसको कहीं और बदल देते हैं। ग्रामीण एरिया में अच्छे डॉक्टर की आज भी कमी है। मेरे हल्के में कई जगह डिस्पैंसरीज हैं लेकिन उन डिस्पैंसरीज में कोई स्टाफ नहीं है। बिल्डिंगज बहुत अच्छी हैं लेकिन वहां पर स्टाफ न होने की वजह से उन बिल्डिंगज की अलमारियों और खिड़कियों के शीशे भी टूटे पड़े हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि सभी डिस्पैंसरीज में स्टाफ भेजा जाए और जहां कहीं भी डॉक्टरों की कमी है वहां पर डॉक्टर्ज की कमी को दूर किया जाए। दूसरा मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं। आज पीने के पानी की बहुत जरूरत है। जब लोगों को अच्छा पानी पीने को मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्पीकर सर, हमारे हल्के में घरों में लोग नलका लगाते हैं। लेकिन आज वे नलके भी खराब हो चुके हैं। जहां ट्यूबवैल्ज की जरूरत है वहां ट्यूबवैल्ज नहीं लगा पाते हैं तो पानी के मामले में लोग परेशान हैं। जहां कहीं पर ट्यूबवैल्ज लग जाते हैं वहां पर उनके बिजली के कनैक्शन नहीं लग पाते हैं। कई हल्के के लोग हमें मिलते हैं और कहते हैं कि ट्यूबवैल्ज तो लगा दिया लेकिन ट्यूबवैल्ज से पानी की सप्लाई करने के पाईप नहीं दबा रहे हैं। जब अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि पाईप तो जी आ ही नहीं रहे, नये पाईप कहां से दबा दें। मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करता हूं कि जहां कहीं भी चाहे वे कहीं पर छोटी-छोटी ढाणियां बनी हों वहां पर भी पाईप दबा कर उनको पीने का पानी देने की व्यवस्था की जाये ताकि हरेक आदमी को पीने का पानी मिल सके और उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I shall put various demands for the year 2002-2003 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

> That a grant of a sum not exceeding **Rs. 48,17,913/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2002-2003 in respect of **Vidhan Sabha.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 11,88,78,286/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2002-2003 in respect of **Finance.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 28,52,66,040/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2002-2003 in respect of **Medical & Public Health.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 22,57,64,732/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2002-2003 in respect of **Irrigation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 109,08,32,094/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2002-2003 in respect of **Loans and Advances by State Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I shall put the various demands for the year 2003-2004 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 11,94,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Vidhan Sabha.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 17,55,76,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Revenue.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 16,80,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Other Administrative Services.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 39,55,80,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Medical & Public Health.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 78,37,25,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Irrigation.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 2090,60,82,000/-** be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 2003-2004 in respect of **Loans and Advances by State Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members now I shall put the various supplementary demands for the year 2006-2007 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 2,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demands No. 12-Labour & Employment.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 98,17,50,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demands No. 16-Industries.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding **Rs. 5,00,00,000/-** for Capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2007 in respect of **Demand No. 24-Tourism.**

The motion was carried.

विधान कार्य

दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2006

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2006 and he will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में दो अमैंडमैंट प्रपोज की गई हैं, सैक्शन 11 सब सैक्शन (1) में पहले प्रोवीजन था कि "Every Gram Sabha shall hold

two general meetings one during the period commencing on the 15th day of May and ending with the 15th day of June and other during the period commencing on the 15th day of November and ending with the 15th day of December each year at such dates...." अब जो अमैंडमैंट के लिए प्रपोजल है उसमें "Every Gram Sabha shall hold minimum three general meetings each year...." ग्राम सभा की 3 मीटिंग जनरल हाउस की होगी, पहले डेट फिक्स की हुई थी कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये मीटिंग्ज होगी, फिर इसमें कोई कम्पलीकेसी आए इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले जैसे 2 मीटिंग के लिए समय निर्धारित था और उसके अनुसार ग्राम सभा की मीटिंग होती थी और सारी कार्यवाही हो जाती थी। अब प्रपोजल 3 मीटिंग्ज के लिए है यह अच्छी बात है, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। इससे ग्राम सभा के हर आदमी को यह जानने का मौका मिलेगा कि गांव की डिवैल्पमैंट के लिए कितना फण्ड आया है, कितना काम हुआ है, कितनी ग्रांट आई है और क्या सिचुएशन है। मेरा सुझाव है कि इन 3 मीटिंग्ज के लिए भी 4-4 महीने का टाइम फिक्स हो जैसे पहले 6-6 महीने का टाइम फिक्स था और डेट भी फिक्स थी उसी प्रकार अब फरवरी, जून और अक्टूबर ये 3 महीने इन मीटिंग्ज के लिए फिक्स कर दिए जाएं क्योंकि ये 3 महीने ऐसे हैं कि गांव में किसान के पास, मजदूर के पास काम कम होते हैं और ये मीटिंग्ज ठीक ढंग से कंडक्ट की जा सकती है और ग्राम के मैक्सीमम लोग भी इन मीटिंग्ज में हाजिर होंगे। दूसरी जो अमैंडमैंट इस बिल में की गई है वह है कि ग्राम पंचायत एक्ट में, ब्लाक समिति एक्ट में, जिला परिषद एक्ट में और नगर पालिकाओं में पहले 2 बच्चों का नार्म था और एक डेट फिक्स थी कि इस डेट के बाद किसी के दो बच्चों से ज्यादा बच्चे होंगे तो वे डिबार होंगे और चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस क्लाज को भी रिमूव कर दिया गया है। मैं इसका भी स्वागत करता हूं लेकिन इस मामले में बहुत से केसिज पाइप में हैं, कुछ केसिज अपील में हैं उनके लिए भी इसके अंदर पूरे ढंग से एग्जम्पशन दी जाए ताकि उनको भी लाभ हो और जो अननैस्सरी लिटीगेशंज हैं वह खत्म हो जाए और वे लोग ठीक ढंग से रह सकें। इसमें जो वजह दी गई है कि जिनका तीसरा बच्चा हो जाए और वे उसको किसी और के नाम लिखवा दें या किसी को गोद दे दें, यह बात सही है उससे बहुत सी ऐसी कम्पलीकेसी थी जिससे समाज में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, इसलिए मैं एक सुझाव देता हूं कि इसमें भी डेट फिक्स की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

डॉ० सुशील इंदौरा (ऐलनाबाद, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा यह जो पंचायती राज संशोधन विधेयक लाया गया है। हालांकि यह पुराने वक्त में वर्तमान कांग्रेस सरकार थी उसी के वक्त में लाया गया था कि दो बच्चों के बाद यदि तीसरा बच्चा किसी के होगा तो उसको ग्राम सभा के चुनावों से डिसक्वालीफाई किया जायेगा। यह बिल इस बात को देखते हुए लाया गया था कि आज जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई जनसंख्या आज देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है और उस समय यह सोचा गया था कि नीचे के स्तर से इस पर कंट्रोल किया जाये। हालांकि हमारा तो यह भी सुझाव है कि यदि उस समय जन प्रतिनिधियों पर प्रधानमंत्री से लेकर एम०पी० और एम०एल०एज० तक इसमें शामिल करके नीचे तक यह बिल लागू करते तो और अच्छा होता। लेकिन उस वक्त के नेताओं ने जो सोचा वह अच्छा ही सोचा होगा कि दो बच्चों वाला व्यक्ति ही ग्राम सभा के चुनाव लड़ सकता है। मैं मीटिंगों के बारे में नहीं कहूंगा। इस बिल में मुझे एक दो बातें समझ नहीं आई। उनके बारे में मंत्री जी अपने जवाब में क्लैरीफाई कर देंगे। इसमें मेरा एक सुझाव है कि इस बिल के द्वारा यह

[डॉ० सुशील इंदौरा]

प्रावधान किया गया है कि दो बच्चों से अब अधिक बच्चे वाला व्यक्ति भी ग्राम सभा के चुनाव लड़ सकता है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि एक तरीका बनाया जाये कि जिस तरह से आज लिंग-अनुपात की समस्या हमारे सामने बढ़ती जा रही है, वह भी दूर हो सके। लिंग-अनुपात को बराबर लाने के लिए हमारे प्रदेश में भी चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का तरीका अपनाया जाये कि एक तो पापुलेशन भी कंट्रोल हो और दूसरा लिंग-अनुपात में भी बराबरी आये ताकि जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उन्हें हम दूर कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इस क्लाज में लिखा है (विघ्न)

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि इंदौरा साहब यह तरीका भी तो बतायें कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, पापुलेशन कंट्रोल के लिए जिस तरह से दो बच्चों की सीमा रखी गई थी। (विघ्न) अब उसमें उनको छूट दी जाये जिनके लगातार दो से अधिक लड़कियां हैं। चाहे किसी के लगातार तीन, चार या पांच लड़कियां हैं उनको यह छूट दी जानी चाहिए। ऐसा करने से लिंग-अनुपात की समस्या भी दूर होगी और जनसंख्या पर भी कंट्रोल होगा तथा लोग भी अपनी सामाजिक परम्पराओं का निर्वाह अच्छी तरह से कर पायेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बिल में भी इसी तरह प्रावधान करे। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के आखिर में लिखा है कि "परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की समाप्ति पर या तब तक दो से अधिक बच्चे रखने वाला व्यक्ति निरर्हित नहीं समझा जाएगा।" अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव इस बिल के बारे में मैंने दिये हैं उन पर सरकार गौर करेगी। धन्यवाद।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2006 सरकार ने सदन में पेश किया है। इस पर कई सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक ने यह कहा कि ग्राम सभा की पहले दो मीटिंग होती थी। सरकार ने यह सोचा कि गांव के आम आदमी की ग्राम सभाओं के अंदर महत्वपूर्ण दावेदारी हो इसलिए तीन मीटिंग्स का एक सैलूटरी प्रोवीजन दिया गया है। इस पर माननीय चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक जी ने यह सुझाव दिया है कि इसकी तारीख एक्ट में लिख दी जाये। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि बी०डी०पी०ओ० को ऐडमिनिस्ट्रेटिव डायरैक्टिव के माध्यम से हम पहले तिथि निर्धारित करके देखेंगे। यहां पर यह ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि फलैक्सिब्लिटी रहे और यह रीजिड न बन जाए। तीन मीटिंग्स डिफरैंट गैप्स के अन्दर होंगी। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके बारे में आज ही हम इंस्ट्रक्शन्ज भी जारी करेंगे, यह निर्णय पहले ही लिया हुआ है। दूसरी बात यह की उन्होंने पैंडिंग केसों की चर्चा की। स्पीकर सर, अगर इस कानून को ध्यान से पढ़े तो सभी पैंडिंग केसिज इसके दायरे में आ जाएंगे और आज तक किसी भी मैम्बर पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के खिलाफ अगर कोई केस विचाराधीन होगा तो वह खत्म हो जाएगा, केवल उन केसों को छोड़ कर जहां पर रि-इलैक्शन हो गया है। बाकी सब स्टेटस को-एण्टी रिस्टोर कर दिया जाएगा। स्पीकर सर, इन्दौरा साहब ने 'limit of children' की तरफ ध्यान दिलाया और

लिंगानुपात की चर्चा की। स्पीकर सर, हालांकि यह मुद्दा इससे जुड़ा हुआ नहीं है फिर भी आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि लिंगानुपात हरियाणा में सभी विधायकों और दलों के लिए एक गम्भीर विषय है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसमें कई कारगर तथा नीतिगत कदम उठाए हैं। स्पीकर सर, पहली बार सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 'लाडली' स्कीम के तहत दूसरी बच्ची के जन्म पर बी०पी०एल० फैमिलीज को पांच हजार रुपये का फिक्स डिपॉजिट पांच साल तक दिया जाएगा ताकि जब बच्ची बड़ी हो कर शादी के लायक हो तो उसके मां बाप के पास उसकी शादी के लिए काफी पैसा जमा हो जाएगा और बच्ची मां-बाप के ऊपर बोझ नहीं रहेगी। स्पीकर सर, गरीब आदमी को इससे मदद मिलेगी और लिंगानुपात को बराबर लाने और लड़कियों की तादाद बढ़ाने में इससे बहुत ही मदद मिलेगी। स्पीकर सर, इसी प्रकार से 55 वर्ष की आयु के बाद जिसके पास केवल बच्चियां हैं उनके परिवार-जनों तथा अभिभावकों को पैंशन देने का प्रावधान भी कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार ने किया है। स्पीकर सर, मैं यह बताना चाहूंगा कि पूरे देश में किसी भी राज्य के अन्दर इस प्रकार की अनूठी स्कीम नहीं है। इसके अलावा पहली बार हरियाणा ने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यह निर्णय लिया है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। सरकार ने अभी हाल ही में अध्यापकों के पद विज्ञापित किये हैं उनके अन्दर भी हमने महिलाओं के लिए आरक्षण रखा है। स्पीकर साहब, इसके साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए अभी एक कानून आएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। जिसकी कुलपति तथा रजिस्ट्रार तक केवल महिलाएं ही होंगी। यह कानून भी अभी हम ले कर आ रहे हैं। इसलिए लिंगानुपात को लेकर सरकार बेहद चिन्तित है और उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाएं हैं। स्पीकर सर, इन शब्दों के साथ मैं हाउस से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां बिल, 2006

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan Bill, 2006 and he will also move the motion for its consideration.

Education Minister(Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to introduce the Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

That the Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved–

That the Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is–

That the Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर-कलां के इस बिल के बारे में बोलना है।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बिल पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष : आपने जिस भी क्लाज पर बोलना होगा, आप क्लाज पर बोल लेना।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है और यह Institute मेरी कांस्टीचुएंसी में खुल रहा है So, I want to discuss this Bill in detail.

श्री अध्यक्ष : जब मोशन मूव हुआ था तब तो कोई मैम्बर बोलने के लिए नहीं खड़ा था, अब तो मोशन कैरिड हो चुका है अब आप क्लाज पर बोल लेना।

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

श्री नरेश यादव (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, जब बिल शुरू हुआ था मैंने तभी आपसे कह दिया था कि मैंने इस बिल पर बोलना है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर-कलां में खोलने के बारे में यह सरकार प्रस्ताव लेकर आई है इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के पहले सत्र में मैंने सवाल किया था कि क्या सरकार का दक्षिणी हरियाणा में विश्वविद्यालय खोलने के बारे में विचार है तो शिक्षा मंत्री जी ने

[श्री नरेश यादव]

कहा था कि प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि इस बारे में बजट का कोई प्रावधान नहीं है। आज ये दो दो विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं तो नहीं में जवाब दे देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बाद यह सरकार प्राईवेट विश्वविद्यालय खोलने के बारे में भी विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो जो भी मुख्यमंत्री आए उन्होंने अपने-अपने एरियाज में विश्वविद्यालय खोले हैं।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि आप इस बिल के पक्ष में है या नहीं है। आप इस तरह से सदन में ब्यान देकर अपनी राजनीति चमकाने वाली बात नहीं करें। सदन का समय बहुत ही कीमती है इसे बर्बाद न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, जब हम दक्षिणी हरियाणा में विश्वविद्यालय खोलने की बात करते हैं तो न में जवाब देते हैं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य--

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां बिल, 2006 (पुनरारम्भ)

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, नरेश यादव जी साऊथ हरियाणा के बारे में बात कर रहे थे । मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि साऊथ हरियाणा में किराए की एक प्राईवेट बिल्डिंग में पोस्ट ग्रैजुएट रीजनल सैन्टर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही उस सैन्टर के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं और मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वह सैन्टर 100 एकड़ की जमीन में बनेगा। आप हमें थोड़ा सा समय तो दो क्योंकि इतना बड़ा सैन्टर बनने में कुछ तो समय लगेगा। इस सरकार के अंदर साऊथ हरियाणा के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ये खामखां पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं । पिछले दस सालों में जो काम वहां के लिए नहीं हुए हैं वह अब वहां पर इस सरकार द्वारा किए गए हैं। इस सरकार में वहां के लिए काम हो रहे हैं इसलिए इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जो सब्जैक्ट हैं उस पर ही इनको बात करनी चाहिए। इतने बढ़िया काम मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। लेकिन ये वैसे ही क्रिटीसाईज कर रहे हैं।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस विश्वविद्यालय को मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में खोल दिया गया है लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा

कि यह विश्वविद्यालय सोनीपत के अंदर है रोहतक में नहीं है। दूसरा तथ्य मैं माननीय सदस्य की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि कन्या गुरुकुल खानपुर-कलां जो संस्था है वह आज से स्थापित संस्था नहीं है। वह एक जिले की संस्था भी नहीं है और न ही वह एक प्रान्त की संस्था है। पूरे देश की कन्याओं को प्रोत्साहित करने के लिए कन्या गुरुकुल खानपुर-कलां में स्थापित हुआ है। शायद इस बात से सभी परिचित हैं आप भी जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं। दक्षिणी हरियाणा के लिए इनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं लेकिन वहां पर दक्षिणी हरियाणा की भी, उत्तरी हरियाणा की भी, पूर्वी हरियाणा की भी और पश्चिमी हरियाणा की भी लड़कियां पढ़ेंगी। वहां पर पंजाब की और हिमाचल की भी लड़कियां पढ़ेंगी। मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह विश्वविद्यालय केवल हरियाणा का ही न रहे बल्कि पूरे देश में इसका नाम हो इसलिए ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए ही माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मलिक साहब, आप बोलिए।

सदस्य का नाम लेना

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने के लिए एक मिनट का टाईम दे दें।

श्री अध्यक्ष : नरेश यादव जी, आप पांच मिनट बोले लेकिन आपके पास कोई सुझाव नहीं था। Please sit down.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पांच मिनट का समय बोलने के लिए दिया था।

Mr. Speaker : Yadav Ji, I warn you.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिये।

Mr. Speaker : I again warn you. Please sit down.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी तो आपने मुझे दो मिनट का ही बोलने के लिए समय दिया है।

Mr. Speaker : I name you. You may please leave the House.

(At this stage Shri Naresh Yadav withdrew himself from the House.)

विधान कार्य-

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां बिल, 2006 (पुनरारम्भ)

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह

[चौ० धर्मपाल सिंह मलिक]

बहुत पुरानी संस्था है। तकरीबन 70 साल पहले यह संस्था शुरू की गयी थी। अंग्रेजों के जमाने में जब लड़कियों को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि उस समय कोई भी अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहता था ऐसे समय में भगत फूल सिंह ने यह संस्था शुरू की थी। माननीय सदस्य ने कह तो दिया लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं कि भगत फूल सिंह कौन आदमी है ? उनकी बड़ी भारी कुर्बानी है। मैं चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि जब ये वहां पर गुरुकुल में गए थे और उन्होंने यह कहा था कि यदि गुरुकुल की महासभा हमें इसके लिए इजाजत देती है तो हम इसको विश्वविद्यालय बनाएंगे। उन्होंने अपना वायदा पूरा किया है इसलिए मैं पूरे हल्के के लोगों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। तमाम इलाके के लोग हमेशा-हमेशा के लिए इस बात के लिए उनको याद रखेंगे। अध्यक्ष जी, हमारे साथी ने एक ऐसी बात कह दी कि यह विश्वविद्यालय सोनीपत जिले में बनना है। पहली बात तो यह है कि चीफ मिनिस्टर का कोई एक जिला नहीं होता। चीफ मिनिस्टर सारे प्रान्त का होता है। वैसे तो साधारणत: विश्वविद्यालय भी एक जिले का नहीं होता । मैं तो यह कहूंगा और यह रिकार्ड की बात है उत्तर भारत में विशेष तौर से महिलाओं के लिए अलग से कोई विश्वविद्यालय नहीं है। उत्तर भारत में यह पहला विश्वविद्यालय है। भगत फूल सिंह को इसी जगह पर गोलियों से मारा गया था। फूलसिंह जी पटवारी होते थे और उन्होंने एक बड़ी भारी मिसाल कायम की है वे पूरे रिश्वतखोर और शराबी पटवारी थे लेकिन जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने घर की जमीन बेच दी और जिन जिन लोगों से रिश्वत के पैसे लिए थे उन सबको ब्याज समेत पैसे लौटा दिये और यह कह दिया कि मैं महिलाओं की शिक्षा के लिए सारा जीवन लगाऊंगा और उन्होंने दो गुरुकुल खोले जैसे कि आर्य पद्धति में चलता है कि महिलाओं और पुरूषों के स्कूलों में फांसला होना चाहिए। उसी प्रकार लड़कियों और लड़कों के गुरुकुल के बीच में पांच किलोमीटर का फांसला उन्होंने रखा था। उसी को आधार मानकर एक भैंसवाल में लड़कों के लिए गुरुकुल खोला और एक खानपुर-कलां में लड़कियों के लिए खोला। दोनों का फांसला पांच किलोमीटर से ज्यादा है। तमाम बुराइयों को छोड़कर उन्होंने उस समय इस किस्म की संस्था चलाई थी। ऐसे तो लोग होंगे जिन्होंने आगे के लिए रिश्वत लेनी छोड़ दी होगी। आगे के लिए शराब पीनी बंद कर दी होगी लेकिन भगत फूल सिंह जी ने अपनी पिछली गलतियों के लिए भी पश्चाताप किया और पटवारी के पद पर रहते हुए जिन लोगों को उन्होंने जूते मारे थे उनके घर गए और बाहर जाकर भूख हड़ताल पर बैठ गए कि तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तू मुझे एक जूते के बदले दस जूते नहीं मार लेगा। उन्होंने इस किस्म की कुर्बानी की थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बिल के अंदर जो खास विशेष बातें हैं उनका इस बिल के अंदर प्रोवीजन कर दिया जाए कि जो इसकी ऐक्जीक्यूटिव कमेटी होगी जो इसका संचालन करेगी उसमें ऐक्स ऑफिशियो मैंबर फोर ऐग्जाम्पल गवर्नर को छोड़कर सभी महिलाएं हों। यह भी कहना चाहूंगा कि अब तक यह गुरुकुल आर्य समाज के सिद्धांतों के मुताबिक चल रहा था तथा इसमें किसी प्रकार की कोई कास्ट, क्रीड, धर्म, जाति, गोत्र, नात कुछ भी नहीं है। सभी जातियों और सभी मजहब के लोगों के लिए यह हो, इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था का प्रावधान इसमें होगा। इसमें बाकी सभी चीजों का मैं पूरे ढंग से समर्थन करता हूं इससे इलाके के लोगों में बड़ी भारी खुशी है। एक चीज मैं इसमें और कहना चाहता हूं। स्पीकर सर, आप तो वहां के सारे सिस्टम को जानते हैं। यह गुरुकुल लड़कियों को शिक्षा देने के लिए बना था क्योंकि उस समय लड़कियों के लिए अलग से संस्था नहीं होती थी लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता ये

गुरुकुल राजनीति का अड्डा बन गया और वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव में मुझे इसे फेस करना पड़ा क्योंकि उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी उन्होंने उस समय के डी०जी०पी० की पत्नी श्रीमती कृष्णा मलिक को वहां से कैंडीडेट बनाने के लिए उस संस्था का प्रधान बना दिया। वह तो वहां की साधारण जो 100 रुपये दिये जाते हैं उस की भी मैंबर नहीं थी लेकिन उसकी बैक डेट में 100 रुपये की पर्ची काटकर उसको प्रधान बना दिया। जब मैं चुनाव में गया तो सभी लड़कियों को हरी साड़ियां और सभी लड़कों व स्टाफ को हरे पजामे पहना दिये गए और इस ढंग से वहां नंगा नाच होता रहा। वहां लड़कियों की कुश्ती और कबड्डी होती थीं, उनके दंगल होते थें और उसमें चीफ मिनिस्टर के महान बेटे वहां चीफ गैस्ट के रूप में होते थे। मेरा तो उस समय लोकसभा के चुनाव में यह एजेंडा था कि हम इन सब चीजों को हटवाएंगे। हालांकि हमें धमकियां भी मिलीं, पर मैंने परवाह नहीं की। भगवान ने हमारे को ऐसा मौका दिया इसके लिए मैं शुकगुजार हूं और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बने, उसी इलाके के हैं और उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस इलाके के लोगों ने बहुत जमीन दे रखी है। एक हजार एकड़ जमीन दे रखी है। 400-500 एकड़ जमीन खानपुर गांव के लोगों ने दी है और 400-500 एकड़ ही मैंसवाल गांव के लोगों ने दी है। कुछ जमीन भगत फूल सिंह के गांव मारहे की है, कुछ आंधली और बिलबिलान की भी जमीन है, कुछ रिवाड़ा गांव की जमीन है। इस प्रकार टोटल मिलाकर एक हजार एकड़ जमीन है जो कि इस गुरुकुल के नाम है और सैक्शन 36 में इसका प्रोवीजन है कि टोटल जमीन इस में वैस्ट करेगी, यह प्रावधान इस एक्ट में कर दिया है। जिस जमीन पर यह बिल्डिंग है यह अरबों-खरबों की जमीन हैं यह बहुत बड़ी संस्था है। कम से कम पांच हजार लड़कियां आज उस गुरुकुल के होस्टल में रहती है। कमाल की बात यह है कि वहां पर आज तक किसी प्रकार की कोई गलत घटना नहीं हुई। मैंने जब वकालत शुरू की थी उस समय वहां पर एक मिसाल थी कि रात के 11.00 बजे अगर कोई लड़की राजस्थान से, दिल्ली से या यू०पी० से आखिरी बस में आ जाती थी तो वहां का किसान जो अपने खेत में पानी लगा रहा होता था वह अपने खेत पर पानी छोड़कर उस लड़की को होस्टल तक अपनी कस्सी-जेल्ली के साथ छोड़कर आता था। एक और ऐतिहासिक बात यह है कि यह संस्था शहर के अन्दर न होकर गांव के अन्दर है यह भी एक रिकार्ड की बात है और यह बात सारे हिन्दुस्तान में होगी कि आज गांव के अन्दर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। इसके लिए जो वहां के इलाके के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत धन दिया है इस संस्था को बनाने के लिए यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हाऊस में बैठे हुए हैं। पिछले दिनों एक महीने पहले मुख्यमंत्री जी के पिता जी आदरणीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी वहां पर गये थे और उस मौके पर मैंने ही उनका स्वागत किया था। मैं यहां पर एक बात हाऊस को बताना चाहूंगा कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी ने मैंसवाल के गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की है। वे मैंसवाल के गुरुकुल के विद्यार्थी रहे हैं। वे हमारे बुजुर्ग नेता हैं जिस समय वे उस गुरुकुल में गये थे उस समय वे भावुक हो गये और कहने लगे कि आज मैं धन्य हो गया कि उस धरती पर फिर से आया हूं जिस गुरुकुल से मैंने शिक्षा प्राप्त की थी और कहा कि मैंसवाल के लोगों की कुर्बानी इस संस्था को बनाने में काम आयी है। मैं चाहता हूं कि वहां के जो मुलाजिम हैं वे शायद सभी क्वालिफाईड न हों इसलिए जो टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ they should be posted in the Universty मेरे कहने का मतलब यह है कि उन सभी को इस यूनिवर्सिटी के अन्दर वापिस ले लिया जाए। इस

[चौ० धर्मपाल सिंह मलिक]

बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय मुरथल में इंजीनियरिंग कालेज खोला गया था तो उस गांव के लोगों ने अपनी जमीन दी थी उस समय उस कालेज के लिए सरकार ने यह प्रावधान किया था कि इस कालेज में जिस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन होंगे तो मुरथल गांव के 4 स्टूडैंट्स को हर साल दाखिला दिया जायेगा इस प्रकार 20 साल में मुरथल गांव के 80 लड़के इंजीनियर बन गये हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे नौकरी की बात हो या एडमिशन की बात हो इसके लिए खानपुर कलां, मैंसवाल गांव और आस पास के अन्य गांवों के लिए कुछ न कुछ रिजर्वेशन जरूर की जाए ताकि उन लोगों ने जो कुर्बानी दी है उसका फल उन लोगों को मिल सके। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि यह एजूकेशन से संबंधित मामला है। अखबारों में हम रोज नैट और पी०एच०डी० के बारे में पढ़ते हैं कि पहले यह प्रोवीजन होता था कि जो भी आदमी चाहे वह कितना भी पढ़ा-लिखा हो चाहे पी०एच०डी० और एम०एस०सी० हो उसको नैट या सैट का एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। आज भारत सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि जो आदमी पी०एच०डी० है उसको नैट या सैट पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहां वह नहीं है उसके लिए हमारे बहुत से नौजवान साथी जिन्होंने पी०एच०डी० की हुई है वे गवर्नमैंट सर्विसिज में जाने के लिए डिप्राइव हो जाएंगे, इस किस्म की संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए डिप्राइव हो जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि उनको नैट और सैट से एग्जम्पट किया जाए। एजूकेशन पर बात हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी शिक्षा पद्धति जिसको हम आज पढ़ते हैं वह बहुत पुरानी है, हमारे प्रदेश में अंग्रेजों ने लार्ड मैकाले के टाइम में क्लर्क भर्ती करने के लिए इस पद्धति को शुरू किया था। मेरी गुजारिश है कि सरकार कोई कमेटी कंस्टीच्यूट करे और इसमें भी हरियाणा पहल करे और दुनिया के लोग देखें कि 100-150 साल पहले जो क्लर्क पैदा करने के लिए शिक्षा पद्धति थी उसको हमने खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में हरियाणा में एक कमेटी कंस्टीच्यूट की जाए ताकि हमारे समाज को दिमागी तौर पर डिवैल्प किया जा सके और माहौल को डिवैल्प किया जा सके और इस शिक्षा की पुरानी पद्धति से निजात पायी जा सके, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब ने जो बात कही मैं इसके लिए इनका आभारी हूं। भगत फूल सिंह के बारे में इन्होंने चर्चा की, उस इलाके को ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश को भगत फूल सिंह के बारे में पता होगा। शायद हमारे एक दो साथी जिनको भगत फूल सिंह के बारे में पता नहीं था उनके साथ-साथ आज पूरे प्रदेश को भी भगत फूल सिंह के बारे में पता लग गया होगा। उनकी तपस्या और त्याग उस इलाके में जो चेतना लेकर आई वह अपने आप में एक मिसाल है। सबसे पहले महिलाओं के लिए विद्यालय उन्होंने उस इलाके में खोला, होस्टल खोला, इससे पूरे प्रदेश को लाभ हुआ है। इस बात की मलिक साहब ने चर्चा की इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। एक बात इन्होंने इम्पलाईज की की, तो मैं कहना चाहूंगा कि चाहे वहां का टीचिंग स्टाफ हों या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, हमने आलरेडी ये आदेश दिए हैं और हमने फैसला किया है कि चाहे क्वालीफाईड स्टाफ है या नान-क्वालीफाइड स्टाफ है, किसी को रिट्रैंच नहीं किया जाएगा बल्कि सभी को उस यूनिवर्सिटी में एबसोर्ब किया जाएगा। इसके साथ साथ इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जिन गांवों ने इसके लिए जमीन दी है, उनके लिए नौकरियों में भी और एडमिशन में भी कोई न कोई फैसला करके परसैंटज जरूर फिक्स किया जाएगा।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (नौलथा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत आभारी हूं। जब कहीं भी पढ़ने के लिए जगह नहीं होती थी, उस संस्था में हम जैसों को जाने का मौका मिला और काफी सालों तक वहां रहने का मौका मिला। उस संस्था की ऐसी हालत रही है कि अनाज इकट्ठा कर लिया तो काम चल गया, सबने मिलकर काम कर लिया, किसी ने रोटी बना ली, किसी ने गोबर उठा लिया, लड़कियां ही सारे काम करती थी। मैं समझती हूं और अपने आप में महसूस करती हूं कि मुझमें जो हिम्मत आई और जो मैंने भागदौड़ की वह भगत फूल सिंह जी की प्रेरणा से आई। जब भगत फूल सिंह जी को गोली से मार दिया गया तो उनकी बेटी सुभाषिणी जी ने बीड़ा उठाया कि जिस काम को लेकर उनके पिता जी ने अपनी कुरबानी दी वह काम वह पूरा करेंगी । जब भगत फूल सिंह जी ने पानीपत में श्रद्धानंद जी का भाषण सुना था तब उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए। जैसा कि धर्मपाल सिंह मलिक जी ने विस्तार से बताया कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया जैसे जमीन वगैरह बेच दी। सुभाषिणी जी ने अपनी सारी जिन्दगी इस संस्था में लगाई। जिस वक्त मैं उस संस्था में रहती थी, मुझे भी वहां कुछ काम करने का मौका मिला। 500 के करीब वहां लड़कियां होती थी, सारी होस्टल में रहती थी, वहां किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था, नहाने के लिए बाथरूम नहीं होता था, 4 बजे उठकर रहट खींच कर हम नहा लिया करते थे मैं सुभाषिणी जी की आभारी हूं जिन्होंने अपनी अच्छी सूझबूझ और त्याग की भावना वाले पिता भगत फूल सिंह जी से भी 4 कदम आगे बढ़कर उस संस्था को आगे बढ़ाया। सुभाषिणी जी ने उस संस्था को आगे बढ़ाते बढ़ाते भाग दौड़ करके उस संस्था में जे०बी०टी० शुरू करवाई, कालेज शुरू करवाया, आयुर्वेदिक कॉलेज चलवाया और आज मैं यह कहती हूं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी से एक ऐसी संस्था हमारे प्रदेश में बनने जा रही है जिसको आने वाली पीढ़ियां विशेषकर महिलायें याद रखेंगी और मुख्यमंत्री जी की आभारी भी रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय के बनने से देहात की महिलाओं को विशेष लाभ होगा। जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पढ़ाई के लिए इस तरह का विश्वविद्यालय बनेगा। यह विश्वविद्यालय जहां बनाया जा रहा है वहां पहले बहुत भारी जंगल होता था। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे क्षेत्र में महिला विश्वविद्यालय बनाने का बिल लाकर जंगल में मंगल करने का काम किया है। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश में जितने भी महिला विद्यालय हैं उनको इस विश्वविद्यालय के अंडर किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने यह भी फैसला किया है कि इस विश्वविद्यालय में कुलपति, रजिस्ट्रार आदि सभी पदों पर महिलाओं को ही लगाया जायेगा। यह फैसला सोने पर सुहागे की बात है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी की आभारी हूं और उनका धन्यवाद भी करती हूं। अंत में मैं इस बिल का समर्थन करती हूं कि यह बिल पास कर दिया जाये। धन्यवाद।

श्रीमती गीता मुक्कल (कलायत, एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरकलां में बनाने के लिए जो यह बिल लाया गया है इसका मैं समर्थन करती हूं। हमारे प्रदेश में पांच यूनिवर्सीटीज और तीन डीन यूनिवर्सीटीज हैं जो कि को-एजुकेशन यूनिवर्सीटीज हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस महिला विश्वविद्यालय को बनाने के लिये यह बिल लाकर बहुत ही साहसिक कदम उठाया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को बालिका वर्ष घोषित किया है और बेटी बचाओ आंदोलन भी चलाया है। मैं समझती हूं कि

[श्रीमती गीता भुक्कल]

इस महिलाओं के लिए यह विश्वविद्यालय बहुत बड़ा तोहफा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं और उनका धन्यवाद भी करती हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी व हमारी माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह सोच और इरादा रखा कि महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त किया जाये। हमारे मुख्यमंत्री जी आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यह बात हमने अपने मुख्यमंत्री जी के मुंह से भी कई दफा सुनी है कि हमने उन महिलाओं को इम्पावर्ड नहीं करना जो पहले से ही इम्पावर्ड हैं बल्कि हमने उनको इम्पावर्ड करना है जो इम्पावर्ड नहीं हैं, जो चूल्हे, चौके से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि इस विश्वविद्यालय के बनने से हमारे ग्रामीण आंचल में रहने वाली महिलाएं अपने आपको सौभाग्यशाली समझेंगी और इससे उनका हौंसला भी बढ़ेगा कि वे इस विश्वविद्यालय में अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। इस विश्वविद्यालय के बनने से हमारा स्टेट पायनियर स्टेट साबित होगा क्योंकि इस तरह का विश्वविद्यालय पूरे नार्थ इण्डिया में नहीं है। इस विश्वविद्यालय में महिलाओं को हायर एजुकेशन दी जायेगी। इसमें स्पैशल इकनोमिक टैक्नोलोजी, मैडीकल एजुकेशन, बायो-टैक्नीकल एजुकेशन, मैनेजमैंट एजुकेशन, कॉमर्शियल और लॉ आदि की एजुकेशन महिलाओं को दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो प्रावधान किया गया है कि इसमें किसी भी कास्ट, समुदाय या रिलीजन को महत्व नहीं दिया जायेगा लेकिन क्लाज में यह भी प्रावधान किया गया है कि चाहेंगे तो एस०सीज० और एस०टीज० के लिए कोई न कोई रिजर्वेशन इसमें दे सकते हैं। मैं समझती हूं कि यह निर्णय वाकई में गरीब महिलाओं को सम्मान देने वाला निर्णय है। इस विश्वविद्यालय में जो टीचिंग स्टाफ या दूसरा स्टाफ रखा जायेगा उसमें महिलाओं की संख्या अधिक रहेगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। इस पर मैं एक सुझाव भी देना चाहती हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने टीचिंग के लिए 50 प्रतिशत रिजर्वेशन रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को देने के लिए प्रावधान किया है उसी तरह का प्रावधान इसमें भी किया जाये कि हमारी ग्रामीण आंचल में रहने वाली जो महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं उनको इस विश्वविद्यालय में दाखिले में 50 प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया जाये क्योंकि शहरों में जो लड़कियां रहती हैं वे तो किसी भी को-एड यूनिवर्सीटी में या कॉलेज में जाकर शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं लेकिन ग्रामीण महिलायें पढ़ाई करने के लिए कहीं दूर नहीं जा सकती। अध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय अपने आप में एक अद्भुत विश्वविद्यालय होगा जिसमें गांवों में रहने वाले मां-बाप भी अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे जो पहले बाहर भेजने से डरते थे । मैं समझती हूं कि इस विश्वविद्यालय के बनने के बाद हमारी प्रदेश की महिलाओं की शिक्षा में काफी सुधार होगा और उनमें कॉफीडैंस भी आयेगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि यह विश्वविद्यालय हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा सरकार के लिए और पूरे देश और प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अंत में मैं इस बिल का समर्थन करती हूं कि यह बिल पास कर दिया जाये । धन्यवाद।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया (बावल, एस०सी०) : स्पीकर सर, सबसे पहले मैं महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां को विश्वविद्यालय बनाने के लिए माननीय मन्त्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं। वास्तव में यह एक ऐसा गुरूकुल रहा है जो कि जंगल के अन्दर था और वहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं होता था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पर कैसे पहुंचा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं खुद भी शुरू शुरू में वहां पर दाखिल हुई थी। गुरूकुल कन्या खानपुर कलां की छात्रा होने के नाते मैं आज

फख्र महसूस करती हूं । इस गुरुकुल के कारण ही आज मैं विधान सभा में सदस्या के रूप में खड़ी हुई हूं इसलिए मैं अपने मन की आत्मा से माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि इस गुरुकुल के अन्दर एक विशेष बात थी कि आचार्य सुभाषिणी जी, उनके पति श्री अभिमन्यु और उनके सारे परिवार ने अपना पूरा जीवन इसी गुरुकुल में लगा रखा था। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह कह सकती हूं कि जातिवाद का आज तो इतना प्रचार और प्रसार हो गया है लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं था। मैं वहां पर पढ़ती रही हूं लेकिन हमें यह पता नहीं था कि हम हरिजन जाति से सम्बन्ध रखते हैं। मेरे पिता जी पटवारी थे। उस वक्त जितने भी पटवारी हुआ करते थे भगत फूल सिंह जी की वजह से उन्होंने अपने आप को इस गुरुकुल को समर्पण किया हुआ था। गधों के ऊपर गुड़ लाद कर तथा लोगों से अनाज मांग-मांग कर सारे वहां पर जाया करते थे। मैं हरिजन बेटी थी और मेरी देखरेख वहां पर बहुत ही अच्छे ढंग से होती थी । जब मैं बहुत छोटी थी तो आठवीं क्लास की लड़कियों की ड्यूटी हुआ करती थी मेरे कपड़े धोना, सिर देखना, नहलाना और सफाई का प्रबन्ध थे स्वयं ही देखती थी। आचार्य सुभाषिणी जी हर हफ्ते ट्रंक चैक किया करती थी, वस्त्र चैक करती थी और यहां तक कि सिर भी चैक किया करती थी कि कहीं जुंए न पड़ जाएं। अध्यक्ष महोदय, कन्या गुरुकुल खानपुर कलां के जैसा कोई अन्य उदाहरण शायद ही आपको कहीं और मिले। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने इस गुरुकुल को विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है, सच मानिये इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती है। इसके लिए हरियाणा प्रदेश की सभी महिलाएं माननीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हैं। मैं यहां पर यह भी चाहती हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने महिलाओं को शिक्षित करने का यह बीड़ा उठाया है, मेरे हल्के में कुण्ड मण्डी बहुत दूर है और राजस्थान के नजदीक लगता है, वहां पर लड़कियों की पढ़ाई का कोई साधन नहीं है और उधर से पहाड़ियां लगती हैं। मैं यह चाहती हूं कि इस दुर्गम जगह पर महिलाओं के लिए एक महिला कॉलेज जरूर खोला जाए। महिला कॉलेज और जगहों पर भी खोले जाएं तथा कुण्ड मण्डी में भी महिला कॉलेज जरूर खोला जाए मैं इसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्य मन्त्री जी की बहुत ही आभारी रहूंगी। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो महिलाओं के उत्थान के लिए इस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और यह इतना अच्छा महिला विश्वविद्यालय बनाया है और महिलाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है जो कि अपने आप में एक उदाहरण होगा। जहां पर भी दुर्गम जगहें हैं वहां पर महिलाओं के लिए कॉलेज जरूर खोले जाएं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधा घण्टा बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य-

भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुरकलां बिल, 2006 (पुनरारम्भ)

कुमारी शारदा राठौर (बल्लभगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बनाने का जो बिल आया है उसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री जी का हरियाणा की सभी महिलाओं तथा सभी बालिकाओं की ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पहले ही सन 2006 को बालिका वर्ष घोषित किया हुआ है। जो ऐतिहासिक फैसला मुख्य मन्त्री जी ने महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान और कल्याण के लिए लिया है यह अपने आप में सराहने के योग्य कदम है और इसी कड़ी में यह ऐतिहासिक फैसला मानेंगे कि भगत फूल सिंह जी जैसी महान शख्सियत के नाम पर उन्होंने महिला विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है जो पूरे उत्तर भारत में अपने आप में एक मिसाल होगी। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है । स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब तक इस देश की आधी आबादी शिक्षा से दूर रहेगी तब तक 14.00 बजे देश का विकास सम्भव नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि जितनी भी महिलाएं हैं चाहे वे ग्रामीण अंचल की हों उन सभी को विकास से जोड़ने के लिए वे बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। इस सरकार ने एक 'लाडली' स्कीम शुरू की है। जिसके तहत अगर किसी की एक लड़की होती है तो उसको 500 रुपए महीने के हिसाब से दिए जाएंगे। इसी के साथ एक 'लाडली सुरक्षा योजना' भी शुरू की गई है, इसी तरह से 'इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना' महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। इन्हीं प्रोग्रामों के तहत हम आज गांवों में जाते हैं तो वहां पर बच्चियों को साईकल्ज़ दी जाती हैं, किताबें दी जाती हैं और तो और स्कूल की वर्दियां भी दी जाती हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जिन पंचायतों में जहां पर 6 साल से 14 साल की बच्चियों की 100 प्रतिशत स्कूलों में एनरोलमैंट होगी उनको भी इन्सैंटिव देने के बारे में इस सरकार की योजना चल रही है। आज लड़कियों को वजीफा दिया जा रहा है, बसों में जो हमारी छात्राएं यात्रा करती हैं उनको किराए में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है, अगर किसी महिला के नाम प्रापर्टी स्थानांतरित हो रही है तो उसकी स्टाम्प डयूटी में भी 2 प्रतिशत की छूट दी जा रही है, अगर किसी महिला के नाम पर बिजली का मीटर है तो उसके बिल में भी उसको 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से रियायत दी जा रही है। हरियाणा बोर्ड कारपोरेशन में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा टैक्नीकल इन्स्टीच्यूशन में भी महिलाओं को 25 प्रतिशत का रिजर्वेशन सरकार के द्वारा दिया गया है और तो और अगर कोई महिला स्वयं रोजगार के लिए महिला विकास निगम से लोन लेना चाहती है तो उसको ब्याज में एक प्रतिशत की छूट दी जाती है। इन सब के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हरियाणा की सभी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद करती हूं। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, यह जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बनाने का ऐतिहासिक फैसला इस सरकार ने लिया है इसके लिए भी हरियाणा की सभी महिलाएं और बालिकाएं इनका आभार प्रकट करती हैं। इस विश्वविद्यालय में वाईस चांसलर, रजिस्ट्रार से लेकर छोटे कर्मचारी तक महिलाएं ही होंगी। यह महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सारे हरियाणा प्रान्त में इस विश्वविद्यालय से एफिलिएटिड एक एक

कॉलेज होना चाहिए ताकि हरियाणा की सभी बच्चियां इस विश्वविद्यालय से फायदा उठा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण आंचल से जुड़ी हुई हूं और गांव से आती हूं लेकिन मैं सदन में बताना चाहूंगी कि आज भी कई मां-बाप ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वे अपनी लड़कियों को कॉलेजों में पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि वहां पर को-एजुकेशन है और जिसकी वजह से लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं और बालिकाओं के लिए इतने अच्छे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हरियाणा की सभी बालिकाओं को शिक्षा लेने का अवसर मिलेगा और कम्पीटीशन में हमारी बच्चियां दूसरे क्षेत्र की बच्चियों को हर क्षेत्र में कम्पीट कर सकेंगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कोई भी महिला कॉलेज नहीं है, क्या मुख्यमंत्री जी वहां पर एक कॉलेज बनाने के बारे विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण यह बिल बहुत ही महान् शख्सियत के नाम से जुड़ा हुआ है और इस बारे में सभी महिला मैम्बर्ज बोलना चाहती हैं। इसलिए मैं सभी मैम्बर्ज से कहना चाहूंगा कि वे अपनी बात 2 मिनट में खत्म करें ताकि सभी को बोलने का मौका मिल सके।

प्रो० छत्तरपाल सिंह (घिराय) : स्पीकर साहब, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां में खोलने का जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय लेकर आए हैं उसका सभी साथी स्वागत कर रहे हैं क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान होती है जो देहात से जुड़ा होता है और महिलाओं की समस्याओं से भी परिचित है तो वह ऐसे ही फैसले करता है। देहात के परिवेश में से शहर में जब बच्चियां शिक्षा की तरफ जाती हैं तो क्या क्या उनको प्रोब्लमज फेस करनी पड़ती हैं वह देहात के परिवेश से आने वाला व्यक्ति ही सोच सकता है। हमारे साथी इस बात का समर्थन तो करना चाहते हैं कि यह एक बहुत अच्छा फैसला मुख्यमंत्री महोदय का है लेकिन वे हमारे साथी एक छोटी सी इलाके की बात को लेकर सारी बात का मजा खराब करने की अनायास चेष्टा करते हैं जिससे माहौल अच्छा नहीं रहता है। पूरे दक्षिणी हरियाणा से जितने साथी आले हैं वे सभी जागरूक हैं। इस सरकार के साथ जो साथी जुड़े हुए हैं उन सभी का ध्यान इस तरफ है कि वहां पर डिवैल्पमैंट हो और शिक्षा के साधन भी अच्छे हों। खानपुर कलां से उपयुक्त स्थान कोई और महिला विश्वविद्यालय के लिए हो ही नहीं सकता था। मेरा खुद का एक्सपीरियैन्स है जब मैं टैक्नीकल ऐजुकेशन मिनिस्टर था तो मैं खुद वहां पर एक टैक्नीकल ऐजुकेशन के ऐनुअल फंक्शन में गया था। यहां पर जितने डिसिप्लिन की चर्चा उस महाविद्यालय के बारे में की गयी है वह सही है। जिस श्रद्धा के साथ सुभाषिणी जी इसको चलाती हैं वह भी काबिलेतारीफ है। हमने भी उस समय वहां पर और ज्यादा टैक्नीकल ऐजुकेशन का इजाफा करने के लिए सफीशिएन्ट फंड्ज वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिए थे। इस विश्वविद्यालय का जो नाम भगत फूल सिंह के नाम से दिया गया है तो इससे उपयुक्त नाम कोई और हो ही नहीं सकता था। अभी हमारे साथी कर्ण सिंह दलाल से मेरी चर्चा हुई थी। जो एक मंशा थी कि जब इस विश्वविद्यालय की वाईस चांसलर महिला होगी, एजिस्ट्रार महिला होगी तो इसका नाम भी महिला के नाम पर ही हो लेकिन डिसकशन के बाद शायद हमारी यह भ्रान्ति दूर हो गयी है। क्योंकि भगत फूल सिंह स्वयं महिलाओं की शिक्षा के एक बड़े वकील थे और उन्होंने खुद इस इलाके के अंदर हरियाणा की महिलाओं को शिक्षा के साथ जोड़ा है। उनकी बेटी ने भी इस बात को बढ़ाया है तो उनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चार चांद ही लगाने का काम किया है। जब मैं मिनिस्टर था तो

[प्रो० छत्तर पाल सिंह]

उस वक्त भी हिसार में एक टैक्नीकल यूनिवर्सिटी खोली गयी थी। उस वक्त हमारा एक प्रपोजल था कि तकनीकी शिक्षा का विश्वविद्यालय बना दें। उस समय भी स्थान की चर्चा हुई थी कि कहां पर यह बने। हमारे एक साथी ने कहा कि उस समय हिसार जिले के मुख्यमंत्री थे इसलिए उन्होंने टैक्नीकल यूनिवर्सिटी वहां पर बना दी और आज हमारे मुख्यमंत्री जी को भी खानपुर कलां के इलाके से जोड़कर बात की गयी है। दोनों ही बातें तथ्य से गलत कही गयी थी। उस वक्त हमने मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऐस्टेबलिश करने की कोशिश की थी लेकिन मुरथल इंजीनियरिंग कालेज अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीच्यूट था और वहां पर जो 250 एकड़ लैंड थी तो उस समय यही सोचा गया कि यह लैंड केवल उसी कॉलेज की डिवैल्पमैंट के लिए ठीक रहेगी। हिसार में उस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक रीजनल सैंटर खोलना प्रस्तावित था और वहां पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का फाउंडेशन भी हमने रखा था।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। मुरथल के इंजीनियरिंग कॉलेज की माननीय सदस्य ने चर्चा की है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि मुरथल का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको अब सर छोटू राम साईंस और तकनीकी विश्वविद्यालय बनाकर डिवैल्प किया जाएगा।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : बहुत बढ़िया फैसला सरकार ने लिया है। उस वक्त भी हम इसको इसी तरह से डिवैल्प करना चाहते थे लेकिन हिसार में जो रीजनल सैंटर की जमीन उपलब्ध थी और जो एक हम रीजनल सैंटर बनाने जा रहे थे तो हमने तमिलनाडु के साथ इस बारे में अध्ययन किया था कि टैक्नीकल ऐजुकेशन की यूनिवर्सिटी बने। उस समय हिसार में जमीन उपलब्ध थी इसलिए वहां पर टैक्नीकल यूनिवर्सिटी बनायी गयी थी। उसका नाम देने के बारे में चाहे उस वक्त के मुख्यमंत्री की थोड़ी सी राजनीतिक और सामाजिक मंशा रही हो लेकिन उस वक्त भी हम इस बात के पक्षधर थे कि किसी टैक्नोक्रेट के नाम पर ही उस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाए। अब जो भगत फूल सिंह के नाम से खानपुर कलां में विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि वे स्वयं महिलाओं की शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर थे और महिलाओं की शिक्षा के जो पक्षधर हों और जिनकी बहुत ज्यादा सैक्रिफाईसेज उस इलाके के अंदर हों तो यदि आज उनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाए तो यह एक उपयुक्त नाम है और एक उपयुक्त स्थान है जिसके ऊपर आज मुख्यमंत्री महोदय ने फैसला लिया है। शारदा राठौर जी ने भी अच्छे सुझाव दिए हैं टैक्नीकल ऐजूकेशन से संबंधित जो कॉलेजिज हैं, वह टैक्नीकल ऐजूकेशन से जुड़ने चाहिएं और जो वूमैन कॉलेजिज हैं उनकी ऐफीलिएशन भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज से होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नो रिपीटीशन प्लीज।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात कहकर मैं अपना स्थान लूंगा। एक यूनिवर्सिटी पिछली सरकार ने भी बनाई थी। आज यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंटल लेवल भी पिछली सरकार के मुख्यमंत्री से तालमेल रखता तो आज वे इसका नाम चौधरी मातूराम महिला विश्वविद्यालय के नाम से रख सकते थे। उस वक्त इस संकीर्णता का दावा लिया गया और चौधरी देवी लाल के नाम से सिरसा के अंदर यूनीवर्सिटी बनाई गई। यह बात दर्शाती है कि कौन व्यक्ति कितनी संकीर्णता से काम करता है और कौन सा राजनीतिक व्यक्ति कितने खुलेपन से रिलेवैंस के साथ कोई भी फैसला लेने की हिम्मत रखता है। इन शब्दों के साथ मैं इस यूनीवर्सिटी का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री वचन सिंह आर्य (सफीदों) : ओम या: में धान देव गणा: यक्षो पास्तु मेधाम्ने मेधाम्ने ओम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस महान शख्सियत भगत फूल सिंह के नाम से हरियाणा सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी खानपुर कलां में विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हम सभी हरियाणावासी इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आर्य समाज जो इन्टरनैशनल संस्था है इसलिए मैं आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, कोई सम्प्रदाय नहीं है। भगत फूल सिंह के बारे में अभी साथियों ने बोलते हुए बताया कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे स्वामी श्रद्धानंद जी से प्रेरित होकर वे आजादी के दीवाने बने थे और पूरे देश भक्त थे और आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में 80 प्रतिशत संख्या हरियाणावासियों की थी। आर्य समाज श्रेष्ठ लोगों का संगठन रहा है न कि कोई सम्प्रदाय या धर्म है। मेरा धन्यवाद के साथ यह निवेदन है कि यह जो मैंने वेद का मंत्र बोला है यह मेरी तरफ से नहीं है। जिस संस्था में बहन शकुंतला जी और बहन प्रसन्नी देवी जी ने भी शिक्षा प्राप्त की है उस संस्था में भगत फूल सिंह और उन की बेटी सुभाषिणी देवी सुबह चार बजे उठकर इन मंत्रों के साथ काम शुरू करते थे और सोते व उठते वक्त 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्व सन्तु निरामया' की बात से दिनचर्या की शुरुआत किया करते थे। आज देश तरह तरह से सम्प्रदायों के आधार पर खड़ा हुआ है और उन पर उस तरह की मशिनरी तैयार की जा रही है। हमारे भारत वर्ष की, आर्यव्रत की और हरियाणा की संस्कृति रही है और उस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सरकार ने यह ऐतिहासिक काम किया है। मैं इन सारी बातों का समर्थन करता हूं। जिस पद्धति को भगत फूल सिंह लेकर चले थे वह महर्षि देव दयानंद जी की पद्धति थी। भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया कि भगत फूल सिंह पटवारी हुआ करते थे सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद के आदर्शों को पढकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहां तक कहा कि जो भी मैंने रिश्वत ली है उसे मैं वापस कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करूंगा और सुझाव दूंगा कि उनकी जो किताबें हैं उनके जो ग्रन्थ हैं उसे नैतिक शिक्षा के तौर पर उस विश्वविद्यालय में लागू जरूर किया जाए, जिससे कि हमारी संस्कृति जिंदा रहे। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का क्योंकि जैसे कि महिला सशिक्तकरण की बात चल रही है वेदों और शास्त्रों में जिसको कोई झुठला नहीं सकता 'यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता।' इस बात को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तभी सफल किया है क्योंकि वे भी वैदिक धर्म और आर्य समाज से संबंध रखने वाले हैं। उनकी नीव आर्य समाज और वैदिक धर्म पर रखी गई है। इसके लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद ।

श्री अध्यक्ष : अगर कोई विपक्ष का माननीय सदस्य इस बिल पर बोलना चाहता है तो वह बोल सकता है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां की बात की जा रही है हम इस बात के पक्षधर हैं कि प्रदेश में चाहे महिलाओं की बात हो चाहे आम जन की बात हो या उनकी शिक्षा के प्रचार-प्रसार की बात हो उसके लिए अच्छी संस्था बनाई जाये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं तो यह सोच रहा था कि इस बिल के बाद एक प्राईवेट विश्वविद्यालय के बारे में भी बिल आ रहा है। इसलिए उस पर भी इक्ट्ठा ही बोल लूंगा। लेकिन मुझे इस बात की शंका जरूर है सारी बातों की एक बात यह है कि बड़े लम्बे-चौड़े दावे किए गये हैं। यह जो महिलाओं के लिए बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं शहीदें के

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

लिए अच्छा नाम दिया गया है तो ये जो दावे किए गये हैं कहीं ये दावे छोटे न पड़ जायें। जिस प्रकार से हमारी सरकार के समय चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय को बढ़ावा दिया गया था लेकिन इस सरकार ने आते ही उस विश्वविद्यालय को संकीर्ण कर दिया। यह इस तरह की इनकी मानसिकता थी और उस मानसिकता का ही इन पर असर हो गया।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप बिल पर बोल रहे हैं ऐसे लैफ्ट-राईट की बात न करें।

(विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य जिस बिल पर बोल रहे हैं केवल माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात के लिए आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस तरह उन्होंने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय को संकीर्ण बनाने की बात की है। स्पीकर साहब, इनसे एक बात पूछ ली जाए कि क्या इनकी सरकार 6 वर्ष के दौरान कुलपति भी लगा पाई ? वह काम भी कांग्रेस सरकार ने आकर शुरू किया है। स्पीकर सर, यह तो फैकल्टी नहीं लगा पाये, अध्यापकों की नियुक्तियां भी नहीं कर पाये और रजिस्ट्रार भी अपना नहीं लगा पाये, किस प्रकार की एक्सपैंशन इनकी सरकार कर रही थी।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जो अच्छा इनफ्रास्ट्रैक्चर है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए था। नई शिक्षा एडीशन न हो तकनीकी चीजें आएं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए यह अच्छी सोच है ताकि प्रदेश की महिलाओं के लिए इसका फायदा मिले। मैं इस बिल के न पक्ष में हूं और न ही विरोध में। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause 2 of Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of amendment from Education Minister in Clauses, 2, 9, 23 and 25. Now, Education Minister may move the amendment.

Clause 2

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move an amendment in Clause 2.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to move—

"That in Clause 2 (g) "she" includes "he".

"The present sub-clause(g), (h) and (i) of clause 2 shall be read/re-numbered as (h), (i) and (j) of clause 2 respectively."

Mr. Speaker : Motion moved—

"That in Clause 2 (g) "she" includes "he".

"The present Sub-clause(g), (h) and (i) of clause 2 shall be read/re-numbered as (h), (i) and (j) of clause 2 respectively."

Mr. Speaker : Question is—

"That in Clause 2 (g) "she" includes "he".

"The present sub-clause(g), (h) and (i) of clause 2 shall be read/re-numbered as (h), (i) and (j) of clause 2 respectively."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 3 to 8

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 3 to 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 9

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move an amendment in Clause 9.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to move—

"In Clause 9 for the existing proviso *i.e.* provided that all these officers shall be women except in cases of ex-officio officers", the proviso, "Provided that preference will be given to women in the appointment of officers and faculty of the University except in the cases of ex-officio appointees" shall be substituted."

Mr. Speaker : Motion moved—

"In Clause 9 for the existing proviso *i.e.* provided that all these officers shall be women except in cases of ex-officio officer", the proviso, "Provided that preference will be given to women in the appointment of officers and faculty of the University except in the cases of ex-officio appointees" shall be substituted."

परिवहन मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि क्लॉज 9 के अन्दर यह कहा है—

"Provided that all these officers shall be women....."

फैकल्टी को छोड़ दिया गया है फैकल्टी को एप्वायंट करते हुए भी महिलाओं को प्रीफ्रेंस नहीं देंगे उसके अन्दर प्राथमिकता नहीं देंगे तो कम से कम उसके बगैर शायद इसे पूरा महिलाओं का विश्वविद्यालय बनाने के पीछे जो आईडिया है जो सभी दलों ने एक मत होकर विचार व्यक्त किये हैं शायद वह पूरा नहीं हो पायेगा। मैं मंत्री महोदय से सभी सदस्यों की तरफ से यह अनुरोध करूंगा

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
कि इसके अन्दर संशोधन जरूर कर लिया जाए ताकि जो फैकल्टी आफिसर के साथ-साथ जो फैकल्टी के लिए एप्वायंटमैंट होंगी दोनों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेग

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I agree with the Parliamentary Affairs Minister and request you to incorporate these amendments and they should be carried forward.

Mr. Speaker : Question is—

"In Clause 9 for the existing proviso *i.e.* provided that all these officers shall be women except in cases of ex-officio officer", the proviso, "Provided that preference will be given to women in the appointment of officers and faculty of the University except in the cases of ex-officio appointees" shall be substituted."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 9, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 10 to 22

Mr. Speaker : Question is–

That Clauses 10 to 22 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 23

Mr. Speaker : Now, the Edcuation Minister will move an amendment in Clause 23.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to move—

"In the Title of Clause 23 for the words, "Statutes how made," the words, "Framing of Statues", shall be substituted."

Mr. Speaker : Motion moved—

"In the Title of Clause 23 for the words, "Statutes how made." the words, "Framing of Statues", shall be substituted."

Mr. Speaker : Question is—

"In the Title of Clause 23 for the words, "Statutes how made," the words, "Framing of Statues", shall be substituted."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 23, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 24

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 24 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 25

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move an amendment in Clause 25.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to move—

"In the Title of Clause 25, for the words, "Ordinances how made" the words, "Framing of Ordinances", shall be substituted."

Mr. Speaker : Motion moved—

"In the Title of Clause 25, for the words, "Ordinances how made" the words, "Framing of Ordinances", shall be substituted."

Mr. Speaker : Question is—

"In the Title of Clause 25, for the words, "Ordinances how made" the words, "Framing of Ordinances", shall be substituted."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 25, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 26 to 37

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 26 to 37 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That the Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, कुछ मैम्बर्ज के बिल पर बोलते हुए सुझाव आए हैं। बिल तो बाकई में ही ऐतिहासिक है। भारत में हरियाणा पहला राज्य होगा जहां महिला यूनीवर्सिटी स्थापित हो रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपकी सरकार, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार को बधाई देता हूं। यह भगत फूल सिंह जी को और नारी जगत को बहुत बड़ी

ट्रिब्यूट होगी। आपको इस बिल पर बोलने वाले एक मैम्बर को मजबूरन नेम करना पड़ा था। उस मैम्बर ने कहा था कि दक्षिणी हरियाणा में उच्च शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा । अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अजय सिंह यादव ने यहां बोलते हुए साफ किया था कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है उसका रिजनल सैंटर रिवाड़ी में पहले से ही चल रहा है। उसकी नई बिल्डिंग बनाने के लिए मीरपुर गांव में 100 एकड़ जमीन लोगों ने दी है, उस पर कार्यवाही शुरू हो रही है और वहां यूनीवर्सिटी के स्तर पर रिजनल सैंटर स्थापित होगा, तो यह कहना कि दक्षिणी हरियाणा को इग्नोर किया जा रहा है केवल राजनैतिक लाभ उठाने के इलावा और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय इतने फ़िराख़दिल हैं कि उन्होंने केवल मीरपुर में ही नहीं जींद में भी रिजनल सैंटर मंजूर किया है। सभी साथियों ने इसकी तारीफ की है, मलिक साहब ने भी तारीफ की है और मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी बोल दिया है कि जो भी वहां स्टाफ लगा हुआ है चाहे टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको हटाया नहीं जाएगा। मलिक साहब ने एक बात लैक्चरार की एप्वांयटमैंट की उठाई कि जो बच्चे एम०फिल और पी एच०डीज० हैं उनको नैट से एग्जम्पट किया जाए तो मुख्यमंत्री महोदय ने यह बात भी मान ली है कि लैक्चरार की एप्वायंटमैंट में जितने बच्चे जो एम०फिल० या पी एच०डी० किए हुए हैं उनको नैट से एग्जम्पट किया जाएगा। इन्दौरा जी ने बोलते हुए कहा कि सिरसा यूनीवर्सिटी को छोटा कर दिया है और ऐसा न हो कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के साथ भी छेड़छाड़ की जाए। अध्यक्ष महोदय, जब से श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी है शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज सैट अप हो रही हैं, केवल महिला विश्वविद्यालय ही नहीं सुरथल में साइंस और टैक्नोलोजी का विश्वविद्यालय भी स्थापित होने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी काम किए जा रहे हैं। जो देवीलाल जी के नाम से विश्वविद्यालय है वैसे तो इसका नाम ही ऐसा नहीं रखा जाना चाहिए था। नाम किसी भगत के नाम पर या किसी भी अच्छे व्यक्ति के नाम पर रखा जाना चाहिए था जिनका देश में नाम रहा हो, किसी परिवार के नाम पर नहीं रखना चाहिए था। भाई रणदीप सिंह जी ने ठीक कहा कि अगर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की इच्छा होती तो वे महिला विश्वविद्यालय का नाम अपने दादा श्री मातू राम जी के नाम से रख लेते या अपने परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर रख लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस महिला विश्वविद्यालय का नाम भगत फूल सिंह के नाम पर रखा है। जहां तक मेरे साथी चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी को छोटा करने की बात कह रहे थे मैं इनको बताना चाहूंगा कि हम उसको छोटा नहीं कर रहे बल्कि यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार लगा दिया गया है और वहां पूरी तरह से कार्य हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जो महिला विश्वविद्यालय बन रहा है यह हरियाणा की महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इससे भगत फूल सिंह को भी मान मिलेगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इस बिल को ध्वनिमत से पारित करने के लिए सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बिल, 2006.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the Haryana Private Universities Bill, 2006 and he will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to introduce the Haryana Private Universities Bill, 2006.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Private Universities Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion Moved—

> That the Haryana Private Universities Bill be taken into consideration at once.

श्री बलवंत सिंह (खट्टौरा, एस०सी०) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बिल जो शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उस पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने अखबारों के माध्यम से बहुत पढ़ा है। प्राईवेट यूनिवर्सिटीज की हालत कहीं पर भी ठीक नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत ही काबिल हैं और जिस तरीके से वे सवालों के जवाब देते हैं वह उनका परिचय है। अध्यक्ष महोदय, सदन में यूनिवर्सिटीज का स्तर बढ़ाने बारे भी चर्चा हुई है। सरकार ने 17 एन०ओ०सी० बी० एड० कॉलेजों को देकर शिक्षा को बिजनैस बना दिया है। उन बी०एड० कॉलेजों की मैनेजमैंट किसी भी छात्र को पैसे लिये बगैर एडमिशन नहीं देती है। उन कॉलेजों में छात्रों से एक लाख या डेढ़ लाख रुपये डोनेशन के लिए जाते हैं। उसके बाद एडमिशन दिया जाता है। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत भारी धांधली हरियाणा में हो रही है। यदि सरकार प्राईवेट यूनिवर्सिटी बनायेगी तो इससे भी प्रदेश में शिक्षा का व्यापार हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पंजाब के जालंधर शहर में भी लवली नाम की यूनिवर्सिटी बनी हुई है। क्या हम बंटी और बबली नाम की यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पायेंगे। झारखंड, एम०पी०, त्रिपुरा, राजस्थान और यू०पी० आदि में भी प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं। उनकी क्या हालत है यह हम सब जानते हैं। हमारे जिन बच्चों ने इन यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है। आज उनको कहीं नहीं पूछते । वे यूनिवर्सिटी आज पूरी तरह से फेल हैं। फिर हमारे यहां ऐसी यूनिवर्सिटीज क्यों खोली जा रही हैं जिसके कारण शिक्षा व्यवसाय बनकर रह जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी है जो की डीन यूनिवर्सिटी बन चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले लेकिन सरकार एक प्राईवेट यूनिवर्सिटी के हवाले हमारे बच्चों का भविष्य करने जा रही है। ऐसा करके सरकार अपने बच्चों के साथ कहां का न्याय कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं क्यों कि एक तरफ तो हम हरियाणा प्रदेश की जनता को बढ़िया ऐजुकेशन, बढ़िया सिस्टम देना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम दूसरे तरीके से इसको प्राईवेटाईजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर सर, मैं इस बिल का विरोध करता हूं और अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य

दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बिल, 2006 (पुनरारम्भ)

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट विश्वविद्यालय बिल जो सरकार अभी लेकर आई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इससे पहले सरकार द्वारा महिला विश्वविद्यालय का बिल प्रस्तुत करने पर मैं सरकार की तारीफ करना चाहता था और माननीय मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बधाई देना चाहता था। प्राईवेट विश्वविद्यालय का बिल अब प्रस्तुत किया गया है हालांकि यह भी शिक्षा के विस्तार के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए है। स्पीकर सर, किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी देश की ताकत और उसकी मजबूती उस देश की जनसंख्या, फौज, असला, बम्ब और गोली से नहीं आंकी जाती है बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि उस देश की जनसंख्या के कितने परसैंट लोग शिक्षित हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए महिला विश्वविद्यालय खोल कर जो हमारी आधी संख्या है उसकी ऐजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा ही अच्छा काम किया है । इसके साथ ही मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि जहां प्राईवेट विश्वविद्यालय खुलने से शिक्षा का विस्तार होगा वहीं पर सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन विश्वविद्यालयों पर कुछ न कुछ अंकुश जरूर होना चाहिए नहीं तो ये प्राईवेट दुकानें बन जाएंगी। इससे शिक्षा बहुत ही महंगी हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इन पर अंकुश जरूर लगे। अध्यक्ष महोदय, जहां महिला विश्वविद्यालय खोला गया है वहां पर महिला कॉलेज खोलने का प्रावधान भी सरकार को करना चाहिए । मेरे हांसी हल्के में कोई भी महिला कॉलेज नहीं है इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि हांसी में एक महिला कॉलेज अवश्य खोला जाए। प्राईवेट विश्वविद्यालय का जो बिल सरकार लाई है यह ठीक है कि यह भी शिक्षा का विस्तार है मगर इस पर कुछ अंकुश जरूर होना चाहिए। मैं सरकार से इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसकी फीस पूरी तरह से निर्धारित हो ताकि किसी प्रकार से भी लोगों की लुटाई न हो सके और बच्चों तथा उनके अभिभावकों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े। धन्यवाद।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और इस पर एक-दो सुझाव भी देना चाहता हूं। हाउस काफी देर से बैठा हुआ है और किसी ने भोजन भी नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर आप यह प्रावधान जरूर करें कि किसी व्यक्ति के नाम पर किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बिल के अन्दर इस बात का प्रोविजन कर देंगे तो ठीक रहेगा अन्यथा कोई अपनी बहन के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रख देगा और कोई अपनी लड़की के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रख देगा या किसी और के नाम पर विश्वविद्यालय का

[चौ० धर्मपाल सिंह मलिक]

नाम रख देगा। इसमें यह प्रोविजन जरूर होना चाहिए कि फ्रीडम फाईटर हो या बहुत बड़ा ऐजुकेशनिस्ट हो या कोई बहुत बड़ा योगी हो, उसके नाम पर ही विश्वविद्यालय का नाम रखा जा सकेगा, इसमें इस किस्म का प्रावधान सरकार जरूर रखे। जहां तक मैं समझता हूं कि यह बात ठीक है कि बिल के अन्दर यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी वित्तीय कुप्रबन्धन की स्थिति में या कुप्रशासन की स्थिति में उस विश्वविद्यालय को बन्द किया जा सकता है। स्पीकर सर, तीन निजी विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका जिक्र किया गया है। ये विश्वविद्यालय राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तरांचल में हैं। लेकिन मैं समझता हूं और यदि मेरा नॉलेज ठीक है तो इसी किस्म का बिल छत्तीसगढ़ में भी आया था और यह बिल आने के बाद 110 प्राईवेट निजी विश्वविद्यालय खुले थे जो कि बाद में दुकानें बन गई थीं तथा उनका शिक्षा का स्तर बहुत ही डाऊन चला गया था। अब उन सबकी इक्वायरीज चल रही हैं। कहीं ऐसी ही रिवायत यहां पर भी न पड़ जाए इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर इस बात को बहुत सख्ती से लागू किया जाए। स्पीकर सर, इसमें जो हवाले दिए गए हैं वह काफी सख्त हैं और यह ठीक बात है लेकिन जब इनको सख्ती से लागू किया जाएगा तभी इससे लोगों का भला होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्राईवेट यूनिवर्सिटी बिल लेकर आए हैं इसकी क्लाज 9 में 'requirement of land' का जो टाईटल है उसमें प्रावधान किया गया है और विभाग ने भी कहा है कि कोई यूनिवर्सिटी इस्टैब्लिस नहीं हो सकती यदि स्पोंसरिंग बॉडी के पास म्यूनिसिपिल लिमिट के अन्दर मिनिमम 10 एकड़ और ऑउटसाईड ऑफ म्यूनिसिपिल लिमिट 20 एकड़ का पोजैशन नहीं है। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जहां वे इस बिल को लेकर आए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ बसा हुआ है। आज देश की नहीं दुनियां के बड़े-बड़े व्यवसायी और ऐजुकेशनिस्टस हरियाणा में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। स्पीकर सर, हरियाणा के नौजवान साथियों को इस बिल के माध्यम से जो सुविधा दी जा रही है उससे उनको बहुत भारी लाभ होगा। लेकिन स्पीकर सर, यह जो 10 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनेगी, हमें यह बात कुछ जचती नहीं है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगर यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी संस्था 100 एकड़ जमीन मुहैया नहीं करवाती है तो उनको यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी का एक रूतबा होता है, यूनिवर्सिटी के नाम पर लोगों को आस्था होती है, विश्वास होता है इसलिए मेरा कहना है कि 10 एकड़ में तो कॉलेज भी ठीक ढंग से नहीं चलता है तो यूनिवर्सिटी क्या चलेगी, अत: सरकार को जमीन वाली बात पर अवश्य गौर करना चाहिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमन्त्री जी यह जो प्राईवेट यूनिवर्सीटी के बारे में बिल लेकर आए हैं मैं इसका घोर विरोध करता हूं क्योंकि इस बिल के बारे में सत्ता पक्ष की तरफ-से ही आपत्तियां आ चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बिल की आब्जैक्टस में राजस्थान, उत्तरांचल, झारखंड और त्रिपुरा का जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, हम झारखंड की ही बात लें तो इससे यह लगता है कि शिक्षा का आज व्यवसायीकरण हो रहा है। होना तो यह चाहिए कि हम आज शिक्षा का प्रचार और प्रसार इस तरह से बढ़ाएं कि हमारे बच्चों

को शिक्षा का एक सही स्टेटस मिले। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कर्ण सिंह दलाल जी ने कहा है कि 10 एकड़ में यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती है। यह जगह यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही कम है। अगर हम यूनिवर्सिटी के लिए 10 एकड़ की जमीन रखेंगे तो कोई भी आदमी 10 एकड़ की जमीन लेकर अपनी दुकान खोल कर बैठ जाएगा और उससे कमाई करने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारे यहां पर शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल जी का जो स्टेटस है उस बारे में सभी जानते हैं। इस बिल की क्लॉज 15(1) में उनको विजिटर की संज्ञा दी गई है। अब आप ही बताएं कि विजिटर से क्या भाव लिया जाए जबकि एक तरफ तो राज्यपाल महोदय, यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। अध्यक्ष महोदय, धर्मपाल सिंह मलिक जी ने कहा है कि 10 एकड़ की वजह से 100 यूनिवर्सिटीयां हरियाणा में आ जाएंगी और वे लोगों को फेक डिग्रियां देने लग जाएंगी तो क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा हो भी रहा है। इस तरह से झारखंड में हुआ है। (विघ्न स्पीकर सर, यह एक ऐसा बिल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और हमारे गवर्नर साहब के स्टेटस को डाऊन करना कहां का औचित्य है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कह दिया कि हम प्राईवेट लोगों को यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत देकर शिक्षा का स्टैण्डर्ड बढाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि आज जो आपके पास यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ही और शिक्षाविद लाएं चाहे उनको सैलरी ही क्यों न देनी पड़े। अध्यक्ष महोदय, अच्छे टैक्नीकल इन्स्टीच्यूशंज हमारे प्रदेश में हैं, उनको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। हमने जो शंका जाहिर की है कि इन प्राईवेट यूनिवर्सिटीज से कहीं शिक्षा का व्यवसायी करण न हो जाए। आज भी हमारे प्रदेश में प्राईवेट कॉलेजिज हैं और व ज्यादा पैसा लेकर बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री मुलाना जी यहां पर बैठे हुए हैं और मैं इनके क्षेत्र की ही बात बता देता हूं। मुलाना में एक मैडिकल कॉलेज में एम०बी०बी०एस० की डिग्री के लिए 30-30, 35-35 लाख रुपए लिए जाते हैं। स्पीकर सर, गरीब आदमी इतना पैसा कहां से देगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर इन्दौरा जी ने कहा है उस बारे में इनको बताना चाहता हूं कि प्राईवेट यूनिवर्सिटीज का बिल लाने का हमारा मकसद शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है और इस बिल को लाकर हमने हरियाणा के हितों का पूरा ध्यान रखा है। इसी वजह से मैंने शिक्षा मंत्री जी को सुझाव दिए हैं कि आप इस बिल में दो अमैंडमैंट करके दोबारा से लेकर आएं। पहली अमैंडमैंट में हमने प्रावधान किया है कि उन प्राईवेट यूनिवर्सिटीज में जितने भी एडमिशंज होंगे उसमें 25 प्रतिशत हरियाणा के बच्चे डोमिसाईल होंगे और उस 25 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चे होंगे। यह करने के पीछे हमारा यह कारण है कि वहां तक गरीब आदमियों के बच्चे भी पहुंच सकें। इसके अलावा मैंने इनसे कहा कि आप फीस स्ट्रक्चर में अमैंडमैंट लेकर आएं ताकि जो भी यूनिवर्सिटी बनाएगा उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि वह हमारे फीस स्ट्रक्चर को माने। वहां पर इन 25 परसैंट सीटस में से पांच परसैंट फ्री सीटस होंगी जो कि उनको देनी ही पड़ेंगी। अध्यक्ष महोदय, 25 परसैंट में से दस परसैंट बच्चों को पचास प्रतिशत की फीस में रियायत दी जाएगी जबकि 10 परसैंट बच्चों को पच्चीस प्रतिशत की फीस में रियायत दी जाएगी ताकि हरियाणा के 25 परसैंट बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आज दुनिया बहुत छोटी हो गयी है और गुणवत्ता में हम पीछे रह गये हैं इसलिए आज हमारे लिए यह बातें करना जरूरी है। आज जब हम गुड़गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि कॉल सैंटर्ज में कितने ही लड़के दिल्ली बगैरा से आते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे बच्चे गुणवत्ता प्राप्त नहीं कर सके।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
इसलिए अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए और हमें अपने बच्चों को इतना काबिल बनाना चाहिए कि वहां पर बच्चे दिल्ली से न आएं बल्कि हमारे बच्चे दिल्ली जाएं और उनकी वहां पर डिमांड बढ़े। अध्यक्ष महोदय, यही हमारा मकसद है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने तो अभी से ही अमैंडमैंट लानी शुरू कर दी है, इन्होंने तो इस बिल की क्लॉज में अभी से ही नयी बातें जोड़नी शुरू कर दी हैं अगर अभी से ही ऐसा होगा तो फिर आगे इस बिल का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, किसी सदस्य की तरफ से अगर कोई सुझाव आया है और अगर वह बात दुरुस्त कर दी तो इसमें क्या गुनाह कर दिया ? आप बताएं कि क्या आप उन अमैंडमैंट के फेवर में हो या खिलाफ हो ?

डॉ० सुशील इन्दौरा : हम तो उनके 100 परसैंट खिलाफ हैं। हम इस बिल के ही खिलाफ हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, फिर आप अपनी बात रखिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने मैडीकल कॉलेज मुलाना की चर्चा की है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 35-35 लाख रुपये जहां पर लेते हैं उसका लाईसेंस भी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ही दिया था इसलिए जब वे विदेश से वापस लौटें तो उनसे ये जरूर पूछ लें कि उन्होंने क्यों उनको लाईसेंस दिया था ? (विघ्न) इंदौरा साहब, बड़े तजुर्बेकार आदमी हैं यह जानते हैं कि मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप तो लगा नहीं रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हरियाणा में जो 8 सरकारी विश्वविद्यालय हैं जिनको इस समय सरकार अनुदान राशि देती है, मदद देती है ये भी कार्य कर रहे हैं। ये हैं महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार, हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार, देवीलाल यूनिवर्सिटी, सिरसा, भगत फूल सिंह कन्या महाविद्यालय जिसके बारे में आज ही कानून पास किया गया है, सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको साईंस एंड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने यह भी फैसला किया है कि जैसे आंध्र प्रदेश में लॉ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया गया है तो उसी तर्ज पर लॉ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का स्टेटस देंगे। वह मानेसर में दक्षिण हरियाणा के अंदर बनाया जाएगा। माननीय नरेश यादव जी अभी हैं नहीं अगर वे होते तो वे जरूर इस बात की तारीफ करते। शिक्षा के व्यावसायीकरण का प्रश्न ही कहां पैदा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संशोधन का इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है कि हरियाणा के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए लेकिन ये इसका भी विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के दस प्रतिशत बच्चों को प्राईवेट विश्वविद्यालयों में पचास प्रतिशत की फीस में छूट दी जाएगी लेकिन ये उसका भी विरोध कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और सुझाव दिया है कि दस प्रतिशत के बाकी बच्चे जो बचेंगे 25 प्रतिशत में से उनको 25 परसैंट फ्री कन्सेशन दिया जाए लेकिन उसका भी ये विरोध कर रहे हैं। स्पीकर सर, किस प्रकार शिक्षा के व्यावसायीकरण की ये बात कर रहे हैं ?

अगर इनके मन में हरियाणा की नौजवान पीढ़ी के प्रति थोड़ी सी भी दया, थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाने की मंशा हो तो ये इसका विरोध नहीं करेंगे। इनका यह कदम हरियाणा की पीढ़ी के लिए विरोधी कदम है।

वाक-आउट

डॉ० सुशील इन्दौरा : अगर सरकार इस बिल के बारे में हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आपको तो यह भी नहीं पता कि हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि चार यूनिवर्सिटीज हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक आऊट कर गये।)

विधान कार्य-

दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बिल, 2006 (पुनरावृत्ति)

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहता हूं। ओम प्रकाश चौटाला के समय में जितने टीचर्ज भर्ती हुए थे वे तकरीबन बेचारे मौलड़ टाईप के लिए गए थे। उनके अद्धुसे में पऊआ होता था और कान में बीड़ी होती थी। उसी वजह से दस-दस एकड़ में खुले हुए सरकारी स्कूलों में कोई भी अपने बच्चे पढ़ाना पसन्द नहीं करता था और एक एक कोठड़ी में अगर किसी समझदार आदमी ने स्कूल खोल रखा था तो इसमें हजार या पांच पांच सौ बच्चे होते थे। अध्यक्ष महोदय, यह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलने का बिल आज सदन में लाया गया है इसके बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे अभी कर्ण सिंह दलाल भाई साहब ने एक बात कही कि सौ एकड़ से कम में इनको यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत न दी जाए तो उनकी यह बात सही है। हुड्डा साहब, अगर ऐसा हो तो आप किसी को भी इजाजत न दो। आप बिल में यह अमैंडमैंट लेकर आओ। अगर दस एकड़ में यूनिवर्सिटी बनेगी तो यह ठीक नहीं होगा। किसी भी तरह से ऐसा न हो कि प्राईवेट यूनिवर्सिटी के नाम पर दुकानें खुलकर खड़ी हो जाएं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज दूसरी प्राईवेट यूनिवर्सिटीज की बेकद्री हो रही है और उनको आज कोई भी मान्यता नहीं देता तो कहीं यही पोजीशन यहां पर भी न हो जाए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पन्द्रह मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य-

दि हरियाणा प्राईवेट यूनिवर्सिटीज बिल, 2006 (पुनरारम्भ)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, देश और दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जो कि एक-एक बिल्डिंग से चलते हैं । यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैमफोर्ड है जो कि एक बिल्डिंग में ही चल रही है ये जरूर है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में चल रही है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में और यूरोप के दूसरे देशों में जाकर देखें। वहां भी इस तरह से कम जगह में यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। सवाल गुणवत्ता का है, सवाल जगह की अधिकता का नहीं है। जगह तो तेजाखेड़ा में बहुत पड़ी है।

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चंद मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल भी हरियाणा के इतिहास में एक लैंडमार्क है। कई साथियों ने जिक्र कर दिया कि हम शिक्षा का कामर्शियलाइजेशन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, यह कामर्शियलाईजेशन नहीं है। यह तो हमारी उच्च शिक्षा की जो योजना है उसमें हम एक ऐडीशन कर रहे हैं। सर, सरकार सारी शिक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती । बहुत सारे इंटरनेशनल लैवल के कोर्सिज ऐसे हैं जो हमारी सरकार नहीं चला रही है। इस प्रकार के कोर्सिज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिन्होंने इस बारे में इंट्रस्ट जाहिर किया है, वे लेकर आएंगे और इससे हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। इनमें जो स्टूडैंट्स होंगे उनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इन यूनिवर्सिटीज में 25 परसैंट हरियाणा के डौमिसाइल बच्चों के दाखिले होंगे और 10 परसैंट हरिजन बच्चों के दाखिले होंगे। इस बारे में हमने अमैंडमैंट कर दी है । लैंड रिक्वायरमैंट की चर्चा जैसे गौतम साहब ने की है। आज के दिन सबको पता है कि लैंड की क्या दशा है इसलिए हमने शहरों में 10 एकड़ लैंड का और देहात में 20 एकड़ लैंड की शर्त इसमें रखी है। दस एकड़ लैंड में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी बन सकती है। हमने इंग्लैंड और अमेरिका में व अन्य यूरोपीय देशों में इस तरह की यूनिवर्सिटीज देखी हैं। वहां कम-कम जगह में इस तरह की यूनिवर्सिटीज बखूबी काम कर रही हैं। माननीय सदस्य बलवंत सिंह ने यह शक जाहिर कर दिया कि ये यूनिवर्सिटीज लूट का साधन न बन जाएं, इनमें बच्चों के दाखिलें में धांधली होगी, जैसे बी०एड० की बात कही। जैसे प्राइवेट कॉलेज आये हैं उनमें 90 प्रतिशत दाखिले बाकायदा इम्तिहान लेकर के होंगे और 10 प्रतिशत बच्चे जो बिल्कुल ही पढ़ाई में आगे नहीं आते उनके लिए मैनेजमैंट कोटा है। उसमें ज्यादा फीस मैनेजमैंट वाले लेते हैं। जहां तक क्वालिटी की इम्प्रूवमैंट की बात कही गई। क्वालिटी इम्प्रूव होगी। इस बारे में पूरा ध्यान रखा जाएगा। नाम की चर्चा की गई कि कोई अपना नाम रख लेगा। इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक इसमें मुख्यमंत्री जी ने 25 प्रतिशत का बहुत अच्छा सुझाव दिया है। यह अमैंडमैंट सैक्शन 35 के सब-क्लॉज (3) में है। दूसरा सुझाव फी स्ट्रक्चर का है। यह भी बहुत अच्छा सुझाव है। मैं मुख्यमंत्री जी से सहमत हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि यह अमैंडमैंट कैरी फारवर्ड कर ली जाए और इस बिल को सदन बहुमत से पास कर दे।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Private Universities Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clauses 2 and 3 of Clauses-1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clauses 2 and 3 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 34

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 34 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 35

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move an amendment in Clause 35.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to move—

"In Clause 35 for the existing Sub-clause 3, "A minimum of 25% seats for admission in the University shall be reserved for students of the State of Haryana, out of which 10% seats shall be reserved for students belonging to Scheduled Castes of the State of Haryana", the following Sub-clause 3 shall be substituted.

"A Minimum of 25% seats for admissions in the University shall be reserved for the students who are domicile of Haryana, out of which 10% seats shall be reserved for students belonging to Scheduled Castes of the State of Haryana".

Mr. Speaker : Motion moved—

"In Clause 35 for the existing Sub-clause 3, "A minimum of 25% seats for admission in the University shall be reserved for students of the State of Haryana, out of which 10% seats shall be reserved for students belonging to Scheduled Castes of the State of Haryana", the following Sub-clause 3 shall be substituted.

"A Minimum of 25% seats for admissions in the University shall be reserved for the students who are domicile of Haryana, out of which 10% seats shall be reserved for students belonging to Scheduled Castes of the State of Haryana".

Mr. Speaker : Question is—

"In Clause 35 for the existing Sub-clause 3, "A minimum of 25% seats for admission in the University shall be reserved for students of the State of Haryana, out of which 10% seats shall be reserved for students belonging to Scheduled Castes of the State of Haryana", the following Sub-clause 3 shall be substituted.

"A Minimum of 25% seats for admissions in the University shall be reserved for the students who are domicile of Haryana, out of which 10% seats shall be reserved for students belonging to Scheduled Castes of the State of Haryana".

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 35, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 36

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move an amendment in Clause 36.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to move—

"For the existing Clause 36, the following Clause shall be substituted—

"(1) The University may from time to time, prepare fee structure and shall send it for information to the Government, at least 30 days before the commencement of the academic session.

(2) The fee structure for the 25% of the students who are domicile of Haryana shall be based on merit-cum-means and be as follows:—

(i) 5% out of the 25% shall be granted full fee exemption.

(ii) 10% out of the 25% shall be granted 50% fee concession.

(iii) The balance 10% of the 25% shall be granted 25% fee concession.

(3) The University shall not charge any fee, by whatever name called, other than that prescribed as per clause (1) and (2) above."

Mr. Speaker : Motion moved—

"For the existing Clause 36, the following Clause shall be substituted—

"(1) The University may from time to time, prepare fee structure and shall send it for information to the Government, at least 30 days before the commencement of the academic session.

(2) The fee structure for the 25% of the students who are domicile of Haryana shall be based on merit-cum-means and be as follows:—

(i) 5% out of the 25% shall be granted full fee exemption.

(ii) 10% out of the 25% shall be granted 50% fee concession.

(iii) The balance 10% of the 25% shall be granted 25% fee concession.

(3) The University shall not charge any fee, by whatever name called, other than that prescribed as per clause (1) and (2) above."

Mr. Speaker : Question is—

"For the existing Clause 36, the following Clause shall be substituted—

"(1) The University may from time to time, prepare fee structure and shall send it for information to the Government, at least 30 days before the commencement of the academic session.

(2) The fee structure for the 25% of the students who are domicile of Haryana shall be based on merit-cum-means and be as follows:—

(i) 5% out of the 25% shall be granted full fee exemption.

(ii) 10% out of the 25% shall be granted 50% fee concession.

(iii) The balance 10% of the 25% shall be granted 25% fee concession.

(3) The University shall not charge any fee, by whatever name called, other than that prescribed as per clause (1) and (2) above."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 36, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 37 to 49

Mr. Speaker : Question is

That Clauses 37 to 49 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker : Questions is—

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill, as amended, be passed.

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) : Sir, I beg to move—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

*14.55 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 20th September, 2006.)

42196—H.V.S.—H.G.P., Chd.